निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION







प्राप्त प. भानुशाला S. P. Bhanushali विकास अधिकारी

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

प्रधान कार्यालय: छठी मंजिल, न्यू इंडिया सेंटर, 17, कूपरेज रोड़, बंबई - 400 039

शुभेच्छा के साथ

एस. के. कपूर महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम न्यू इंडिया सेंटर, 17, कूपरेज रोड, बम्बई - 400 039.

> निदेशक बोर्ड की 30 वीं वार्षिक रिपोर्ट, 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र और लेखे

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रेषण पत्र	iii & iv
2.	निदेशक बोर्ड	. v
3.	संगठन तालिका	νi
4.	निगम के कार्यालय	vii
5.	निगम के प्रमुख अधिकारी	viii
6.	निगम का स्वरूप	ix
7.	विशिष्टता-प्रगति एक दृष्टि में	x
8.	निदेशकों की रिपोर्ट	1
9.	निदेशकों की रिपोर्ट के विषय में अनुबंध	12
10.	तुलन-पत्र और लेखे	36
11.	कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा	44
	तालिका I से XII (Charts I to XII)	

प्रेषण पत्र

(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम न्यू इंडिया सेंटर, 17, कूपरेज रोड़, पोस्ट बॉक्स सं. 1076, बंबई - 400 039.

29 जून 1992 8 आषाढ 1914 (शक)

डीआइसीजीसी/94/06.02/015/92-93

सचिव, भारतीय रिज़र्व बैंक, सचिव विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शाहीद भगतिसंह मार्ग, बंबई - 400 023.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1991-92 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है :-

- (i) 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रति सहित निगम के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लेखे की एक प्रति, और
- (ii) 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट ।

भवदीय,

ह/-

(के. के. मुखर्जी)

महा प्रबंधक

प्रेषण पत्र

(भारत सरकार को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम न्यू इंडिया सेंटर, 17, कूपरेज रोड़, पोस्ट बॉक्स सं. 1076, बंबई - 400 039.

डीआइसीजीसी/95/06.02/016/92-93

29 जून 1992 8 आषाढ 1914 (शक)

सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग), जीवनदीप बिल्डिंग, 6, संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110 001.

प्रियमहोदय,

वर्ष 1991-92 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है :-

- (i) 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और
- (ii) 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।
- 2. तुलन पत्रों की प्रतियाँ और निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है। उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।
- कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें।

भवदीय, ह/-(के. के. मुखर्जी) महा प्रबंधक

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

रा. जानकीरामन

उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की घारा 6(1)(ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

सुश्री आई.टी.वाज़

कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ग) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित

टी.एस.लस्चर

संयुक्त निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग, (वैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(घ) के अन्तर्गत नामित

बी. डी. शाह

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एस्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बंबई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ङ) के अन्तर्गत नामित

एस. एस. नाडकणी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बंबई (12 नवम्बर 1991 तक)


वी. महादेवन

प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, बंबई

आर. एल. वधवा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता

(24 जून 1992 तक)



निगम के कार्यालय

		टेलीफोन संख्या	तार
प्रधान कार्यालय :	न्यू इंडिया सेंटर, 4, 5, 6, 7 और 8 वीं मंजिल, 17, कूपरेज रोड़, पोस्ट बॉक्स सं. 1076, बंबई - 400 039.		''क्रेडिटगा र्ड ''
	महा प्रबंधक बोर्ड अनुभाग	2027323 202 0299	
	(i) उप महा प्रबंधक प्रशासन विभाग लघु उद्योग ऋण गारंटी विभाग लेखा विभाग	2022408	
	(ii) उप महा प्रबंधक निक्षेप बीमा विभाग गैर-औद्योगिक ऋण गारंटी विभाग कम्प्यूटर प्रभाग	2044876 202 0299	
शाखाएँ :			
1) नागपुर	भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, हाइकोर्ट के समीप, नागपुर - 440 001.	521406 532321 532357	''क्रेडिटगा र्ड ''
2) कलकत्ता	8, कौउन्सिल हाऊस स्ट्रीट (पहली मंजिल), पोस्ट बॉक्स सं. 17, कलकत्ता - 700 001.	281154 286029	''डिसिन्गर''
3) मद्रास	कुरालगम बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, एस्प्लेनेड, पोस्ट बॉक्स सं. 5021, मद्रास - 600 108.	560524 560239	''क्रेडिटगार्ड''
4) नयी दिल्ली	भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 123, नयी दिल्ली - 110 001.	3716487 371 0538 से 42	''डिपॉजिटिस''

निगम के प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक

डॉ. के. के. मुखर्जी (29 जुलाई 1992 तक) श्री. एस. के. कपूर (29 जुलाई 1992 से)

उप महा प्रबंधक

श्री. बी. ए. राव

श्री. ए. एल. भाटिया

मुख्य लेखाकार सुश्री. यू. एस. बनर्जी

अन्य अधिकारी

प्रबंधक

श्री. ओ. पी. अरोड़ा

श्री. के. पी. टेकचंदानी (30 जून 1992 तक)

श्री. जी. एम. देशपांडे

श्री. जे. पी. शर्मा

सचिव

श्री. आर. जी. तावडे

शाखा प्रबंधक

नागपुर

श्री एन. के. साहा

मद्रास 😁

श्री जे. ए. ग्रेगरी

कलकत्ता श्री. एस. एन. गांगुली दिल्ली श्री एस. एस. सेठी

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

लेखा परीक्षक

मैसर्स एन. बी. शेट्टी एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार बंबई 400 001.

निगम का स्वरूप

प्रयोजन और उद्देश्य

जमा बीमा निगम की स्थापना पहली जनवरी 1962 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरु की गयी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को 15 जुलाई 1978 से अपने अधिकार में ले लिया जिससे एकही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यी अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने और समाज के खासकर कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा देने के कार्यों को समन्वित किया जा सके । इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदल कर उसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया । लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना रह होने के बाद निगम ने पहली अप्रैल 1981 से लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरु किया।

निगम के दो उद्देश्य हैं बैंकों में जमाकर्ताओं के लाभ के लिए बैंक की सभी शाखाओं उनकी सभी जमा राशियों अथवा उनके किसी अंश के लिए अधिकतम 30,000 रुपये तक की हानि के लिए बीमा प्रदान करना और सहभागी संस्थाओं अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों सिहत) सहकारी बैंकों, राज्यवित्त निगमों और अन्य साविध ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के लिए गारंटी समर्थन प्रदान करना । 31 मार्च 1989 तक गारंटी सुरक्षा समर्थन (क) छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों (जैसे कृषक, पिरवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे कारोबारी उद्यम, स्विनयोजित व्यक्ति आदि) और (ख) लघु उद्योगों के लिए उपलब्ध था । 1 अप्रैल 1989 से गारंटी सुरक्षा संपूर्ण

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों (रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार) के लिए लागू हैं। तथापि 1990-91 से अग्रिमों की कुछ ऐसी श्रेणियाँ जो केन्द्र/राज्य सरकारों, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा गारंटीकृत हैं, को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनाई हुई हैं, जो किस्तों तथा गारंटी शुल्कों द्वारा जमा की जाती है और इनका उपयोग केवल दावों के निपटान के लिए ही किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी हैं जिसमें निगम की पूँजी रखी गयी है और इस निधि से होने वाली निवेश आय से स्टाफ स्थापना संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय किये जाते हैं।

निगम की प्राधिकृत पूँजी 50 करोड है जो पूर्णतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है। निगम को आयकर की अदायगी के संबंध में 31 दिसंबर 1986 तक छूट दी गयी थी। स्थायी रूप से छूट प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है।

निगम का प्रबंध निदेशक बोर्ड द्वारा देखा जाता है जिसके अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर होते हैं। दावा समिति और निवेश समिति जो भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत है, बोर्ड की सहायता करती है। महा प्रबंधक निगम के मुख्य कार्यपालक होते हैं।

निगम का प्रधान कार्यालय बंबई में है । इसकी चार शाखाएँ नागपुर, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली में हैं । निगम की कोई सहायक या संबद्ध संस्था नहीं हैं ।

विशिष्टता - प्रगति एक दृष्टि में

(राशि करोड रुपये में)

	वर्ष के अंत में	1962	1972	1978	1982	1984	1987	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1.	पूँजी .	1	1.5	10	15	50	50	50	50	50	50
2.	निक्षेप बीमा						K) 30				1
	 निक्षेप बीमा निधि 	1	25	76	154	219	@	@	@	@	@
	ii) बीमाकृत बैक	276	476	1,021	1,683	1,805	1,898	1,903	1,921	1,922	1,93
	· iii) निर्धारणयोग्य जमा राशियाँ	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	1,08,044	1,26,884	1,40,746	1,56,892	1,86,307
	iv) बीमाकृत जमा राशियाँ	448	4,656	15,369	31,774	46,340	75,511	90,192	1,01,682	1,09,316	1,27,925
	v) खाते (लाखों में)	77	341	931	1,598	2,026	2,569	2,781	3,142	3,089	3,287
	vı) पूर्णतः संरक्षित खाते (लाखों में)	. 60	328	916	1,581	2,000	2,518	2,705	8,059	2,983	3,169
E I	vn) अदाकृत दावे	_	. 1	2	3	3	44	69	100	131	139
3.	ऋण गारंटी									<u> </u>	
	i) ऋण गारंटी निधि	- 1 <u>-</u> 1	_	27	89	118	@	@	@	@	. @
	ii) गारंटीकृत अग्रिम							. 7 e			
	क) छोटे उधारकर्ता		208	1,715	4,840	7,104	11,116	14,291	25,586	27,692	29,181
	ख) लघु उद्योग	_		* 1	3,822	4,891	7,788	10,465	14,094	16,826	17,362
	i प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)			1.1				5, 7		,	,
	क) छोटे उधारकर्ता			, 9	25	62	255	364	356	505	410
	ख) लघु उद्योग		_		30	71	149	241	199	247	220
	iv) निपटाये गये दावे (वर्ष के दौरान)										
	क) छोटे उधारकर्ता	· ·_		3	15	32	225	281	347	427	360
	ख) लघु उद्योग	- - 3	<u> </u>	-	27	47	122	177	388	260	260

@ निगम की देयताओं के बीमांकिक मूल्य के कारण तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा के प्रारूपों में परिवर्तनों के कारण ऋण गारंटी निधि में निवल अतिरिक्त (+) / घाटा (—) निम्नानुसार दर्शाया गया है :

वर्ष			राशि
		(करोड	ह रुपये में)
1987		(-)	264.72
1988-89		(-)	148.99
1989-90	The second second	(+)	188.64
1990-91		(-)	33.52
1991-92		(-)	15.37

उपर्युक्तानुसार ऋण गारंटी निधि में अतिरिक्त/धाटे का समायोजन संबंधित वर्ष की जमा बीमा निधि के अतिरिक्त के बदले किया गया । 31 मार्च 1992 को ऋण गारंटी से जमा बीमा निधि को देय निवल सिशि इ. 273.96 करोड़ रही ।

31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के कामकाज की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 (I) की शर्तों के अनुसार, निदेशक बोर्ड 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की 30 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 1991-92 के लिए मौद्रिक नीति प्राथमिक रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की स्थिति के बारे में चिन्ता से संबंधित थी। भूगतान संतुलन में स्थिरता लाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में आयात पर कठोर अंकुश लगाना और ऋण पर प्रतिबंध शामिल थे। इन उपायों से मार्च 1992 के अंत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की स्थिति में सुधार हुआ । इसके परिणामस्वरूप, मौद्रिक कुल जमा राशियों में तेजी से वृद्धि हुई । वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमा राशि 37.916 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष के 25.582 करोड़ रुपये की वृद्धि से अधिक है। इस प्रकार, निर्धारणीय राशियों और बीमाकृत निक्षेपों की धनराशियों में भी तदनरूपी वृद्धि हुई । मौद्रिक सकल जमा की गति बढ़ने से थोक कीमत सचकांक के अनुसार स्फीति की दर पर प्रभाव पड़ा, वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान अंक-दर-अंक आधार पर यह 12.8 प्रतिशत रहा, जो 1990-91 के दौरान 12.1 प्रतिशत था। वर्ष 1991-92 में वास्तविक रूप में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि २.५ प्रतिशत अनुमानित है।

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और विनियमों से मुक्त करने से भविष्य में इसमें और गित आएगी, मुक्त अर्थव्यवस्था में कठिन प्रतिद्वंद्विता का सामना न कर सकनेवाली इकाइयों के बंद होने और बिहर्गमन के परिणामस्वरूप औद्योगिक रुग्णता की घटना बढ़ने की संभावना है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक दल गठित किया है जो औद्योगिक रुग्णता को रोकने (विशेषकर रुग्णता प्रारंभ होने की स्थित में किए जानेवाले निवारक उपाय) में इसकी भूमिका की समीक्षा करेगा ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के हितों की रक्षा की जा सके।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990

भारत सरकार की कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990

की शर्तों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पात्र उधारकर्ताओं को 10.000/- रुपये की सीमा तक ऋण राहत दी गई । इस स्कीम के अन्तर्गत लाभग्राप्त उधारकर्ताओं में से अधिकांश निगम की ऋण गारंटी स्कीम में भी शामिल थे। उक्त खातों में चुकौती, भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त होने वाली थी, यह ज्ञात हुआ है कि ऋण संस्थाओं को भारत सरकार से पूर्ण धन राशि अभी प्राप्त होनी है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा दावा की गई राहत राशि के पहले ही किए गए भूगतान/ऋण संस्थाओं द्वारा सरकार से दावा की जानेवाली राशि को शामिल न करने के लिए सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रत्यासन अधिकार के माध्यम से निगम द्वारा प्राप्त की गई वस्लियों को सम्बद्ध ऋण संस्थाओं को वापस लौटा दिया गया है। इस प्रकार, प्रत्यासन अधिकार के माध्यम से प्राप्त होनेवाली वसूली की धनराशि निगम को उपलब्ध नहीं होगी । उक्त स्कीम का प्रत्यक्ष प्रभाव यह रहा कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्राप्त होनेवाले दावों में वर्ष 1991-92 के दौरान संख्यावार और धनराशिवार क्रमशः 20.86 प्रतिशत और 18.83 प्रतिशत की कमी आई । निगम के लिए वसूलियों की अनुमानित हानि 342.00 करोड़ रुपये के आसपास होगी । इससे ग्रामीण ऋण की वसूली की स्थिति पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और निकट भविष्य में इससे निगम पर और चुककर्ताओं तथा दावों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

निगम के कार्य - एक विहगावलोकन

- 3.1 वर्ष 1991-92 के दौरान निगम ने बैंकों में छोटे जमाकर्ताओं के लिए निक्षेप बीमा योजना और गैर-औद्योगिक क्षेत्र (4 स्कीम) तथा लघु उद्योग क्षेत्र (1 स्कीम) के संदर्भ में ऋण गारंटी स्कीम चलाना ज़ारी रखा। ये स्कीमें बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दी गई ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी सहायता प्रदान करती हैं।
- 3.2 निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा और बीमा किस्त क्रमशः 30 हजार रुपये और प्रति 100 रुपये प्रति वर्ष 4 पैसे रही 131 मार्च 1992 को बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,931 थी। जून 1991 के अंत में, योजना में पूर्णतः संरक्षित खाते 3,169 लाख थे, जो कुल 3,287 लाख जमा खाते का 96.4 प्रतिशत थे।

1,27,925.00 करोड़ रुपये की बीमाकृत जमा, बैंकों की कुल निर्धारणयोग्य जमा 1,86,307.00 करोड़ रुपये का 68.7 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान प्राप्त बीमा किस्त की राशि 93.48 करोड़ रुपये रही। निगम ने वाणिज्य बैंक (7.26 करोड़ रुपये) और 4 सहकारी बैंकों (0.38 करोड़ रुपये) की जमाराशियों के संबंध में कुल 7.64 करोड़ रुपये की राशि के दावे निपटाये।

निगम ने दावे की देयताओं के लिए 50.97 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मई 1992 से निजी क्षेत्र के एक वाणिज्य बैंक - बैंक ऑफ कराड लिमिटेड का परिसमापन कर दिया है। जमाकर्ताओं, विशेषकर वे छोटे जमाकर्ता जो बैंक के आकस्मिक परिसमापन से किठनाइयों का सामना कर रहे थे, की मुसीबतों को कम करने के उद्देश्य से, बम्बई उच्च न्यायालय के निदेशानुसार निगम अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी होने तक उक्त प्रावधान में से 45 करोड़ रुपये ''लेखागत अदायगी'' के रूप में भुगतान करने पर सहमत हुआ है। इस राशि में से 25 करोड़ रुपये की राशि बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए पहले ही दी जा चुकी है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

गारंटी सुरक्षा प्रदान करने और गारंटी शुल्क लगाने के प्रयोजन से 1 अप्रैल 1989 से निगम ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की अग्रिम की परिभाषा को स्वीकार कर लिया है । तथापि, सहभागी ऋण संस्थाओं द्वारा किए गये अभ्यावेदन के प्रति उत्तर में वर्ष 1990-91 और इसके बाद से गारंटी शल्क के भुगतान और गारंटी सुरक्षा से अग्रिमों के कुछ कतिपय वर्गी को अलग कर दिया गया है । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल अग्रिम 43,525.00 करोड़ रुपये था जो जन 1991 के अंतिम शुक्रवार को 1,10,815.00 करोड रुपये के निवल बैंक ऋण का 39.3 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम जून 1991 के अंतिम शुक्रवार को कुल 42,093.00 करोड़ रुपये के थे जो 1,02,959.00 करोड़ रुपये के कुल अग्रिमों का 40.9 प्रतिशत (40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में) थे । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के भीतर ही, कृषि प्रयोजनों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही) के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कुल 16,864.00 करोड़ रुपये के अग्रिम दिए जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों का 40.1 प्रतिशत या

कुल अग्रिमों का 16.4 प्रतिशत है। लघु उद्योगों को दिए गए कुल अग्रिम 16.590.00 करोड़ रुपये के रहे जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का 39.4 प्रतिशत है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य वर्गोंको दिए गए अग्रिम 8,639.00 करोड़ रुपये के थे इनमें सड़क और जल परिवहन के छोटे परिचालक, व्यवसायी और स्वरोज़गार में लगे व्यक्तियों, ग्रामीण दस्तकारों, छोटे व्यवसायी और खुदरा व्यापारी शामिल हैं। यह राशि जून 1991 के अंतिम शुक्रवार को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए कुल अग्रिम का 20.5 प्रतिशत बनता है। "कमजोर वर्गों" को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिम 9,914.00 करोड़ रुपये (अस्थायी) रहे जो 1,03,271.00 करोड़ रुपये के निवल बैंक ऋण का 9.6 प्रतिशत होता है जबिक इस क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत का है।

निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम सितम्बर 1990 के अंतिम शुक्रवार को 1,504.00 करोड़ रुपये था जो निवल बैंक ऋण का 34.9 प्रतिशत बनता है। कृषि और लघु उद्योग क्षेत्र को उनके द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष ऋण कुल अग्रिमों का क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 14.9 प्रतिशत होता है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम मार्च 1989 तक उनके कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत के स्तर तक होने चाहिए और 31 मार्च 1990 तथा 31 मार्च 1992 तक यह क्रमशः 12 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक इसमें वृद्धि होनी चाहिए। सितंबर 1990 के अंतिम शुक्रवार को (अन्तिम तारीख जिसके लिए आँकड़े उपलब्ध हैं) विदेशी बैंकों का प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम उनके निवल बैंक ऋण का 9.7 प्रतिशत था 1 मार्च 1991 के अंत में यह अनुपात घटकर 9.5 प्रतिशत पर आ गया।

रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयाँ

सितंबर 1990 के अंत तक लघु उद्योग क्षेत्र को 15,944.00 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ था। बैंकों द्वारा अभिनिर्धारित 2,25,324 रुग्ण इकाइयों (इनमें 1,41,162 के रुग्ण इकाइयाँ शामिल नहीं है जिनका सुराग नहीं लग सका / विद्यमान नहीं हैं, जिनमें बैंक ऋण का 287.26 करोड़ रुपया फँसा है) के संदर्भ में बैंक ऋण का बकाया 2,610.87 करोड़ रुपये बनता है। इन रुग्ण इकाइयों में फँसा हुआ धन लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों के बकाया का

^{*} टिप्पणी : प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के कमज़ोर वर्गों के कारतकार लघु और सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, कारतकार, बटाईदार कृषक दस्तकार और ग्राम तथा कुटीर उद्योग शामिल हैं । वहाँ ऋण की व्यक्तिगत अपेक्षाएँ २५,०००/- रुपये हत्यादि से अधिक नहीं हैं ।

16.4 प्रतिशत है। सितंबर 1990 के अन्त में 656.87 करोड़ रुपये की बकाया राशा के साथ केवल 16,977 इकाइयों को सक्षम रूप से व्यवहार्य घोषित किया गया। 13,235 इकाइयाँ, जिनके पास 522.00 करोड़ रुपये थे, के बारे में सूचना दी गई कि वित्तपोषक बैंकों द्वारा उन्हें नर्सिंग कार्यक्रम में ले लिया गया है। अव्यवहार्य इकाइयों की संख्या 2,06,213 थी जिनके पास बैंक ऋण का 1,867.00 करोड़ रुपये बकाया है। ऐसी 2,134 इकाइयाँ हैं। जिनके पास बैंक ऋण का 87 करोड़ रुपये बकाया है तथा जिनके मामले में व्यवहार्यता अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। अव्यवहार्य इकाइयों को इन अग्रिमों के एक महत्वपूर्ण भाग को या तो निगम पर दावे के रूप में रूपांतरित किया जा चुका है या निकट भविष्य में ये दावे के रूप में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

3.4 निगम की पाँच ऋण गारंटी स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क के आधार पर बीमा किए गए कुल गारंटीकृत अग्रिम बढ़कर मार्च 1991 के अंत में 46,543.18 करोड़ रुपये जबिक मार्च 1990 के अंत में यह 44,518.53 करोड़ रुपये थे । इस प्रकार, 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । गैर-औद्योगिक क्षेत्र (अर्थात् कृषक, सड़क और जल परिवहन के छोटे परिचालक, खुदरा व्यापारी, छोटे व्यवसायी, व्यवसायी और स्वरोज़गार प्राप्त व्यक्ति और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग) के छोटे उधारकर्ताओं को दिए गए गारंटीशुदा अग्रिम जून 1972 के अंत में मुश्कल से 200.39 करोड़ रुपये थे

जो मार्च 1990 के अंत में बढ़कर 27,692.32 करोड़ रुपये और मार्च 1991 के अंत में 29,180.82 करोड़ रुपये हो गए जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए गारंटीशुदा अग्रिम मार्च 1990 के अंत में 16,826.21 करोड़ रुपये थे, जो मार्च 1991 के अंत में बढ़कर 17,362.36 करोड़ रुपये हो गए। पिछले वर्ष की स्थिति में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

3.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम द्वारा प्राप्त दावों की संख्या में 20.3 प्रतिशत और राशा में 16.2 प्रतिशत की कमी आई। मार्च 1991 में समाप्त वर्ष के दौरान 630.39 करोड़ रुपये के लिए कुल 17,30,725 दावे प्राप्त हुए। इसकी तुलना में पिछले वर्ष 752.10 करोड़ रुपये के लिए 21,72,413 दावे प्राप्त हुए थे। निगम ने 619.86 करोड़ रुपये के लिए 16,71,770 दावों का निपटान किया। इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान 687.03 करोड़ रुपये के लिए 19,78,672 दावों का निपटान किया गया था। वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष के दौरान दावों के निपटान की दर लगभग 15.5 प्रतिशत कम हुई। वर्ष के दौरान दावों की मासिक निपटान दर 13,9314 रही। सूचनाधीन वर्ष के दौरान और पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त हुए और निपटाये गये दावों का योजनावार विवरण निम्नलिखित हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

	era aperaj milije, je persona i	. 1990-91 वे	दौरान	1991-92 वे	दौरान प्र	तिशत वृद्धि (+)	/ कमी (-)
6.7		संख्या -	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
I. प्राप्त (क)	ा दावे निगम की योजनाएँ	2 K 17 F					
	(I) छोटे ऋणकर्ता	20,87,562	505.05	16,52,076	409.97	(-) 20.86	(-) 18.83
	(II) लघु उद्योग	83,809	243.71	78,447	217.26	(-) 6.40	(-) 10.85
	जोड़	21,71,371	748.76	17,30,523	627.23	(-) 20.30	(-) 16.23
(ख)	सरकार की योजना (अब निरस्त)	1,042	3.34	202	3.16	(-) 80.61	(-) 5.39
	जोड़	21,72,413	752.10	17,30,725	630.39	(-) 20.33	(-) 16.18
II. निपत	टाये गये दावे						
(布)	निगम की योजनाएँ			nest of the fig.			
	(I) छोटे ऋणकर्ता	19,00,904	427.17	15,91,028	360.14	(-) 16.30	(-) 15.69
	(II) लघु उद्योग	76,148	249.25	80,510	255.67	(+) 5.73	(+) 2.58
45.74	जोड़	19,77,052	676.42	16,71,530	615.81	(-) 15.45	(-)8.96
(ख)	सरकार की योजना (अब निरस्त)	1,620	10.61	232	4.05	(-) 85.68	(-) 61.83
	जोड़	19,78,672	687.03	16,71,770	619.86	(-) 15.51	(-) 9.78

^{*} अलग किए जाने से पहले

निगम की योजनाओं के अन्तर्गत दावों की प्राप्ति में तीव कमी संभवतः कृषि और ग्रामीण ऋण राहत स्कीम 1990 के प्रभाव की वजह से हुई।

3.6 1982 से अबतक दावा प्राप्तियों और गारण्टी शुल्क प्राप्तियों की धनराशियाँ निम्नलिखित हैं :

(राशि करोड रुपये में)

		Augustus -	
वर्ष	गारंटी शुल्क प्राप्तियाँ	गारंटी दावा प्राप्तियाँ	अन्तर
1	2	3	4
1982	57.67	34.11	+ 23.50
1983	71.17	60.42	+ 10.75
1984	87.91	115.69	- 27.78
1985	105.66	186.90	- 81.24
1986	127.25	245.86	- 118.61
1987	145.17	386.95	- 241.78
1988-89 (15 माह)	191.89	580.97	-389.08
1989-90	593.83	548.33	+ 45.50
1990-91	524.72	748.76	- 224.04
1991-92	565.88	627.23	-61.35

गारंटी शुल्क प्राप्ति के योजनावार ब्यौरे संलग्नक (XVI) में दिये गये हैं। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 1984 से अब तक केवल एक बार अर्थात् 1989-90 में गारंटी शुल्क प्राप्तियाँ, गारंटी दावों की प्राप्तियों से अधिक रहीं। इसके पश्चात् पिछले 2 वर्षों के दौरान इनमें घाटा ही हुआ है। गारंटी योजनाओं की व्यवहार्यता के प्रश्न पर निगम द्वारा सतत रूप से समीक्षा की जाती रहती है तािक उचित संशोधन किये जा सकें।

निक्षेप बीमा संबंधी कार्य:

4.1 वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत निगम के पास बीमाकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 1991 को 1922 थी जो 31 मार्च 1992 को बढ़कर 1931 हो गयी इनमें 80 वाणिज्यिक बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1655 सहकारी बैंक शामिल हैं। 1981 से अब तक बीमाकृत बैंकों का वर्षवार विवरण संलग्नक I में दिया गया है। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत बैंकों के रूप में जहाँ एक वाणिज्यिक बैंक और 13 सहकारी बैंकों को पंजीकृत किया गया वहीं 5 सहकारी बैंकों का (समामेलन इत्यादि के कारण) पंजीकरण समाप्त कर दिया गया (संलग्नक II)।

4.2 इस समय निक्षेप बीमा योजना में सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सिंहत) और 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है (संलग्नक III)। शेष 9 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 87 सहकारी बैंकों को अभी इस योजना के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना हैं। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 के प्रावधानों को सिक्किम राज्य में लागू किये जाने का मामला विचाराधीन हैं। इसी प्रकार, असम और मिणपुर राज्यों में सहकारी बैंकों के लिए निक्षेप बीमा योजना लागू करने का मामला अभी तक विचाराधीन हैं।

4.3 निगम के पास बीमाकृत खातों की संख्या और धनराशियों तथा जमाकर्ताओं को दी गयी सुरक्षा की स्थिति जून 1990 और जून 1991 के अंत में निम्नानुसार रही:

(राशि करोड़ रुपये में)

notesi		जून 1990	जून 1991
1.	खातों की कुल संख्या (लाखों में)	3,089	3,287
2.	पूर्णतः संरक्षित खाते (लाखों में)	2,983	3,169
3.	1 की तुलना में 2 का प्रतिशत	96.5	96.4
4.	निर्धारण योग्य जमा राशियाँ	1,56,892	1,86,307
5.	बीमाकृत जमा राशियाँ	1,09,316	1,27,925
6.	4 की तुलना में 5 का प्रतिशत	69.7	68.7

(विवरण संलग्नक IV और V में दिये गये हैं)

4.4 पूर्णतया संरक्षित खातों और आंशिक रूप से संरक्षित खातों में जमा धनराशियाँ जून 1991 के अंत में कुल निर्धारण योग्य जमाराशियाँ क्रमशः 49.4 प्रतिशत और 50.6 प्रतिशत थीं।

4.5 बीमाकृत बैंकों से 1991-92 के दौरान प्राप्त किस्तों (अदत्त किस्तों पर ब्याज सहित) का पिछले वर्ष से तुलना करते हुए वर्गवार ब्यौरा निम्मानुसार है -

(राशि करोड़ रुपये में)

	बैंकों की श्रेणी	प्राप्त कि	स्तें
	લવગ વગ ત્રળા	1990-91	1991-92
1.	वाणिज्य बैंक	71.37	82.41
2.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1.58	1.81
3.	सहकारी बैंक	7.62	9.26
		80.57	93.48

4.6 वर्ष 1991-92 के दौरान निगम ने कुल 7.64 करोड़ रुपये की धनराशि के दावों का निपटान निम्नानुसार किया।

(राशि लाख रुपये में)

बैंक	का नाम	निपटाये गये दावों की राशि
aıf	णज्य बैंक	
1.	दि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड	725.27
	(सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलित)	
सह	कारी बैंक	
1.	कुंडारा को-ऑपरेटिव शहरी सहकारी बैंक	17.37
	लिमिटेड (परिसमापन में)	
2.		17.44
	लिमिटेड (परिसमापन में)	
3.	दि सरदार नागरिक बैंक लिमिटेड (परिसमापन में)	0.72
4.	दि प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बंबई	2.80
	(सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)	
·	जोड़	764.10

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित दावों की देयताओं के लिए खाते में 50.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

- (क) परिसमापनाधीन बैंक ऑफ कराड लिमिटेड के दावे के लिए 45.43 करोड़ रुपये।
- (ख) वासावी को-ऑपरेटिव शहरी बैंक लिमिटेड, गुरज़ाला के संबंधमें 0.01 करोड़ रुपये का पूरक दावा।
- (ग) नवदीप को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत 5.52 करोड़ रुपये का दावा, जिसके संबंध में न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा है।
- (घ) भद्रावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत 0.01 करोड़ रुपये का दावा स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन है।

- 4.7 (क) 31 मार्च 1992 को 24 वाणिज्य बैंकों (वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 7.26 करोड़ रुपये सिंहत) के संबंध में भुगतान की गई कुल धनराशि (संचयी) 135.92 करोड़ रुपये थी। मार्च 1992 तक कुल चुकौती रु. 13.89 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 4.55 करोड़ सिंहत) रही। मार्च 1992 तक 5 वाणिज्य बैंकों के संबंध में रु. 0.10 करोड़ की राशि बट्टे खाते डाली गयी।
- (ख) 31 मार्च 1992 को सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में भुगतान किए गए दावों की कुल धनराशि 3.21 करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 0.38 करोड़ रुपये सिहत) थी। मार्च 1992 तक कुल चुकौतियाँ रु. 0.76 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 0.11 करोड़ सिहत) रही।
- 31 मार्च 1992 तक भुगतान और प्रावधान किए गए दावों और प्राप्त चुकौतियों के विवरण संलग्नक VI में दिए गए हैं।

ऋण गारंटी संबंधी कार्य :

- (अ) लघु उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ
- 5. वर्ष के दौरान, निगम ने लघु उधारकर्ताओं के लिए निम्नलिखित पाँच ऋण गारंटी योजनाओं को संचालित करने का काम जारी रखा।
- (I) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
- (II) लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971
- (III) सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971
- (IV) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982
- (V) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

उक्त (IV) की योजना 1 जनवरी 1983 में शुरु की गयी लेकिन इसे कोई सफलता नहीं मिली । निगम की शेष चार ऋण गारंटी योजनाओं का समग्र कार्यनिष्पादन निचे दिया गया है।

(राशि करोड़ रुपये)

	31 मार्च 1991		प्राप्त दावे	ं की राशि	
उधारकर्ताओं की श्रेणी	को गारंटीशुदा अग्रिम	मार्च 1991 तक	1991-92 के दौरान		2 की तुलना में 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
कृषक और खेतिहर	19,788.04	939.16	146.69	1085.85	5.49
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम	8,986.77	900.97	253.91	1154.88	12.85
विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की शेष श्रेणियाँ	405.62	68.04	9.37	77.41	19.08
सेवा सहकारी समितियाँ	0.39			4 6 7 8 <u></u>	_
जोड	29,180.82	1908.17	409.97	2318.14	7.94

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

6.1 यह योजना 1 अप्रैल 1971 से चालू है और यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सिंहत वाणिज्य बैंकों तथा इससे सम्बद्ध गतिविधियों परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यापार आदि के लिए मंजूर किये गये अग्रिमों के लिए गारंटी-सुरक्षा की व्यवस्था करती है।

6.2 वर्ष के दौरान, एक वाणिज्य बैंक ने इस योजना से बाहर होने के लिए अनुमित हेतु निगम से अनुरोध किया। एक क्षेत्रीय प्रामीण बैंक सिंहत आठ अन्य बैंकों ने बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने पर भी गारंटी शुल्क की अदायगी में लगातार चूक की। अतः, इन बैंकों के नाम सहभागी ऋण संस्थाओं (संलग्नक VIII) की सूची से हटा दिये गये। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 1992 को इस योजना के अधीन सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या घटकर 249 (56 वाणिज्य बैंक और 193 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं) हो गयी जबिक 31 मार्च 1991 में यह संख्या 258 थी (संलग्नक VII)

6.3 योजना के अधीन, 31 मार्च 1991 को गारंटीशुदा कुल अग्रिमों के 29,166.66 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्ष की तुलना में 5.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इस योजना के अंतर्गत उन छोटे उधारकर्ताओं को गारंटीशुदा अग्रिमों का अधिकांश हिस्सा दिया जाता रहा जो 29,180.82 करोड़ रुपये वाले गैर-लघु उद्योग हिस्से को दिये जानेवाले कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 99.95 प्रतिशत हैं। गारंटीशुदा अग्रिमों का वर्षवार तथा क्षेत्रवार ब्योरा संलम्नक - 1X में दिया गया है। योजना के अधीन प्राप्त दावों की राशि की तुलना में गारंटीशुदा अग्रिमों का क्षेत्रवार ब्योरा नीचे दिया गया है:

		प्रतिश	त
	उधारकर्ताओं की श्रेणी	गारंटीशुदा अग्रिम	प्राप्त दावे
(i)	कृषक तथा खेतिहर	67.85	46.85
(ii)	अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	30.76	49.92
(iii)	विभिन्न ब्याज दर अग्रिम	1.39	3.23
		100.00	100.00

6.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में संख्यावार और राशि-वार क्रमशः 20.86 प्रतिशत और 18.76 प्रतिशत की घटौती दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के दौरान के 504.61 करोड़ रुपये के लिए 20,87,406 दावों के मुकाबले 409.96 करोड़ रुपये के लिए 16,52,074 दावे प्राप्त किए । जैसािक पहले उल्लेख किया जा चुका है, दावों में कमी का श्रेय कृषि और ग्रामीण ऋण राहत स्कीम, 1990 के अधीन ऋण माफी को दिया जा सकता है। वर्ष के दौरान प्राप्त दावों के संबंध में 409.96 करोड़ रुपयों की राशि, योजना के अधीन कुल गारंटी शुद्ध राशि अर्थात् 29,166.66 करोड़ रुपये का 1.4 प्रतिशत बैठता था। छोटे उधारकर्ताओं के लिए सभी योजनाओं के अधीन प्राप्त दावों का क्षेत्रवार ब्योरा संलम्नक - XI में दिया गया है।

6.5 निगम ने पिछले वर्ष के 426.81 करोड़ रुपयों के लिए 19,00,788 दावों की तुलना में 360.05 करोड़ रुपयों के लिए 15,90,989 दावों का निपटान किया। (इस वर्ष मासिक निपटान की औसत दर पिछले वर्ष की उसी अवधि के 1,58,339 दावों की तुलना में 1,32,582 दावे थे)। इसके अतिरिक्त, 291.40 करोड़ रुपयों के लिए 5,38,018 दावों की जांच की गई है और स्पष्टीकरणों के अभाव में निपटान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। योजना के अधीन, 31 मार्च 1990 को कारवाई के अधीन दावों की संख्या 74.83 करोड़ रुपये के लिए 3,10,500 थी (संलग्नक - X)।

6.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रत्यासन अधिकारों के द्वारा वसूली की कुल राशि 38.28 करोड़ रुपये थी, जबिक यह पिछले वर्ष 42.16 करोड़ रुपये रही। योजना के प्रारंभ से प्राप्त वसूलियों की कुल राशि 189.77 करोड़ रुपये थी, जो अदा किये गये दावों की 1760.92 करोड़ रुपये (संचयी) के अदा किये गये दावों का 10.8 प्रतिशत है।

6.7 इस योजना के अधीन 25,000 रुपये तक की राशा के लिए कम्प्यूटर पर मैंग्नेटिक टेप को प्रोसेस करने हेतु दावे प्रस्तुत करनेवाले बैंकों की संख्या पिछले वर्ष की 20 से बढ़ कर 30 हो गई है (22 सरकारी बैंकों सिहत) जबिक मैंग्नेटिक टेपपर प्रस्तुत दावों की संख्या पिछले वर्ष के लगभग 12 लाख से घट कर चालू वर्ष में 10 लाख रह गई । मैंग्नेटिक टेप पर प्रस्तुत दावों की संख्या पिछले वर्ष में प्राप्त कुल दावों का 51.8 प्रतिशत बैठता है ।

लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971

- 7.1 वर्ष के आरंभ में मात्र दो राज्य वित्त निगम योजना में सहभागी थे। इन निगमों का नाम भी भुगतान में चूक और उनकी योजना से हटने की इच्छा जाहिर करने के कारण सूची से हटा दिया गया (संलग्नक VII और VIII)।
- 7.2 वर्ष के दौरान जबिक निगम ने कोई नवीन दावे प्राप्त नहीं

किए, पिछले व र्ष के 0.35 करोड़ रुपये के लिए 68 दावों की तुलना में 6.8 करोड़ रुपये के लिए 18 दावों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, 1.39 करोड़ रुपये के लिए 253 दावों पर कार्रवाई की गई, परन्तु स्पष्टीकरणों के अभाव में उन्हें लंबित रखा गया।

सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971

8. योजना में भाग लेनेवाली ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या मार्च 1992 के अन्त में उतनी ही अर्थात् 150 रही (48 वाणिज्य बैंक, 70 क्षेत्रीय प्रामीण बैंक, 32 सहकारी बैंक) । योजना के अधीन गारंटीशुदा अग्रिमों की राशि मार्च 1991 के अन्त में 0.39 करोड़ रुपये थी, जबिक यह 1990 मार्च के अन्त में 0.44 करोड़ रुपये थी । किन्तु, इस योजना के अंतर्गत कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ ।

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

- 9.1 1984 से लागू इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर कृषि प्रयोजनों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गए अग्रिम आते हैं।
- 9.2 इस योजना में सहभागियों की संख्या कुछ संस्थाओं द्वारा योजना से बाहर रहने की इच्छा अथवा उनके द्वारा गारंटी शुल्क में चिरकाल तक और लगातार चूक के कारण उनके नाम सूची से हटाये जाने की वजह से 31 मार्च 1991 को 39 से घट कर 31 मार्च 1992 को 35 रह गई। (संलग्नक VIII) मार्च 1991 के अन्त में गारंटीशुदा अग्रिमों की कुल राशि मार्च 1990 के अन्त के 10.98 करोड़ रुपये की तुलना में 13.77 करोड़ रुपये थी।
- 9.3 रिपींटाधीन वर्ष के दौरान निगम ने मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान 0.04 करोड़ रुपये के लिए प्राप्त 86 दावों की तुलना में 0.01 करोड़ रुपये के लिए २ दावे प्राप्त किए । 1991-92 के दौरान 21 दावों का निपटान करके 0.01 करोड़ रुपये की राशि अदा की गई । इसके अतिरिक्त, 0.09 करोड़ रुपये के लिए 83 दावों पर पहले ही कारवाई की गई थी, परंतु कितपय स्पष्टीकरणों के अभाव में उन्हें लंबित रखा गया ।

आ) लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना

क) सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब समाप्त)

10.1 निगम ने, 1 अप्रैल 1981 से समाप्त की गई इस योजना के अधीन शेष कार्यों के निपटान के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना जारी रखा। सरकार के निदेशों के अनुसार, निगम 31 मई 1989 के बाद से कोई नवीन दावा स्वीकार नहीं कर रहा है। सभी सहभागी संस्थाओं को अप्रैल 1991 में सूचित किया गया कि योजना अंतिम रूप से समाप्त कर दी जायेगी और यदि इसके अंतर्गत निपटाये गये दावे/सम्पन्न अथवा खारिज किये गये दावों के संबंध में यदि कोई अभिवेदन प्रस्तुत करना हो तो उन्हें 31 दिसंबर 1991 अथवा उससे पहले निगम की संबंधित शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वर्ष 1991-92 के दौरान, निगम को 3.16 करोड़ रुपये के 202 दावे प्राप्त हुए क्योंकि इनके लिए अभ्यावेदन/पुनः शिकायत दर्ज की गई थी और इसी के दौरान निगम ने 4.05 करोड़ रुपये (संलग्नक - XIV/भाग ''आ'') के दावों का निपटान किया। इस प्रकार, 31 मार्च 1992 तक उसके पास कोई दावा शेष नहीं रहा। इस तरह, जहाँ तक दावों के निपटान का प्रश्न है, निगम ने समापन की तारीख तक उत्पन्न अथवा योजना के अधीन संचित्रत दायित्वों के निर्वाह के लिए सरकार द्वारा सौंप गये उत्तरदायित्वों का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया है।

10.2 निगम द्वारा मार्च 1992 तक अदा किए गए दावों और प्राप्त प्रतिपूर्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(राशि करोड रुपयों में)

अविध	भारत सरकार की ओर से वास्तव में अदा की गई राशि	भारत सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति
अप्रैल 1981 से मार्च 1991 तक	109.11	108.93
अप्रैल 1991 से मार्च 1992 तक	2.01	0.70
जोड़	111.12	109.63

(1.49 करोड़ रुपये की शेष राशि भारत सरकार से 8 अप्रैल 1992 को प्राप्त की गयी)। वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए 5 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों पर निगम ने विचाराधीन दावों के निपटान के लिए 2.01 करोड़ रुपये अदा किए।

10.3 निगम को 31 मार्च 1986 तक दावा भुगतान लेखों में वसूली राशियाँ रखे जाने की अनुमित दी गई । 1 अप्रैल 1986 से 31 मार्च 1991 की अविध के लिए दावा भुगतान लेखों में प्राप्त वसूली राशियों को सरकार की अनुमित न मिलने से आय खाते में विनियोजित नहीं किया गया । तथापि, सरकार द्वारा दी गई अनुमित के अनुसार निगम ने सरकार को 21 जनवरी 1992 को 7.22 करोड़ रुपये विप्रेषित किया, शेष राशि उसने स्थापना संबंधी कार्यों के लिए किए गये खर्चों के लिए अपने पास रखी । 31 मार्च 1992 को निगम

ने अपने पास सरकार को देय गारंटी शुल्क के रूप में 0.05 करोड़ रुपये रखे जो ऋण संस्थाओं से गारंटी शुल्क लौटाने के लिए कुछ पुराने दावों के निपटान के संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की वजह से लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान 2.46 करोड़ रुपये दावा भुगतान लेखों में वसूली की राशि होने के कारण प्रशासन संबंधी खर्चों के लिए निगम के हिस्से और इसी तरह दावा भुगतान लेखों के अन्तर्गत भावी वसूलियों को जिस तरह हिसाब में लिया जाएगा, उसके संबंध में सरकार के निदेश के इन्तज़ार में लंबित रखा गया।

(ख) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

11.1 31 मार्च 1992 को उपर्युक्त योजना में 357 ऋण संस्थाएँ (31 मार्च 1991 को 371) सहभागी थीं, जिसमें 56 वाणिज्य बैंक, 151 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 राज्य विकास एजेंसी और 149 सहकारी बैंक शामिल थे (संलग्नक - XII) । वर्ष के दौरान, योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 4 सहकारी बैंक शामिल हुए । 26 ऋण संस्थाओं का नाम उनके गारंटी शुल्क में निरंतर चूक के कारण सूची से हटा दिया गया (संलग्नक - XIII) । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले लघु उद्योग क्षेत्र की गारंटीशुदा अग्रिम की राशि मार्च 1991 के अन्त में 17,362.36 करोड़ रुपये हो गई।

11.2 निगम को वर्ष 1991-92 के दौरान पिछले वर्ष के दौरान 243.17 करोड़ रुपये के लिए प्राप्त 83,809 दावों की तुलना में 217.26 करोड़ रुपये के लिए 78,447 दावे प्राप्त हुए और वर्ष 1990-91 के दौरान 249.25 करोड़ रुपये के लिए 76,148 दावों की तुलना में 255.67 करोड़ रुपये के लिए 80,510 दावों का निपटान किया गया (राशावार ब्यौरा संलग्नक - XV में दिया गया है) । 1 अप्रैल 1981 से अब तक प्राप्त और निपटाये गये दावों का वर्षवार ब्यौरा संलग्नक - XIV भाग ''अ'' में दिया गया है । 31 मार्च 1992 को, 38.08 करोड़ रुपये के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित केवल 25 दावे शामिल हैं । लघु उद्योग दावों के निपटाने के लिए उच्चतर शक्तियों के प्रत्यायोजन और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत दावे के मामले में निरीक्षण के लिए अन्तिम सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने से, दावों के निपटान में तीवता आई है ।

11.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम के प्रत्यासन अधिकारों की वजह से वसूली की कुल राशि 14.55 करोड़ रुपये हो गई। योजना के अधीन 1981 से अब तक वसूलियों की राशि 31 मार्च 1992 तक 41.99 करोड़ रुपये हो गई जो 630.74 करोड़ रुपये की कुल राशि का 6.66 प्रतिशत होता है।

11.4 योजना के अधीन, 31 मार्च 1992 तक प्राप्त दावों की कुल 1,276.74 करोड़ रुपये की राशि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्योग को दिये गए 17,362.36 करोड़ रुपये के कुल गारंटीशुदा अग्रिमों का 7.35 प्रतिशत होता है।

11.5 लघु उद्योग क्षेत्र के संबंध में उच्च मूल्य के दावों के निपटान की देखरेख एक दावा सिमित करती रही जिसमें 6 सदस्य हैं - सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 4 मुख्य कार्यपालक और एक प्रसिद्ध चार्टर एकाउंटेंट । निगम के बोर्ड में भा. रि. बैंक का नामित निदेशक इसका अध्यक्ष होता है । वर्ष 1991-92 के दौरान दावा सिमित की बैठक तीन बार हुई और 15.50 करोड़ रुपये के 180 दावों का निपटान किया गया ।

अन्य गतिविधियौँ

योजनाओं की समाप्ति

12.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने ऋण गारंटी की निम्नलिखित तीन स्कीमों को 31 मार्च 1992 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही समाप्त करने का निर्णय लिया।

- (क) लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी स्कीम, 1981
- (ख) सेवा सहकारी समिति गारंटी स्कीम, 1971 और
- (ग) लघु ऋण (सहकारी ऋण समिति) गारंटी स्कीम, 1982

इन योजनाओं के अधीन ''शून्य'' या ''नगण्य'' गारंटीशुदा अग्रिमों, गारंटी शुल्क की अदायगी में लगातार भूल-चूक और सहभागी संस्थाओं द्वारा योजनाओं से बाहर होने के अनुरोधों के कारण उक्त योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

12.2 बाकी तीन ऋण गारंटी योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता की समीक्षा की गयी और इन योजनाओं को 31 मार्च 1993 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।

गारंटी शुल्क की अदायगी और गारंटी सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से कतिपय श्रेणियों के अग्रिमों को निकाल देना

13. निगम 1 अप्रैल 1989 से किसी भी अग्रिम को अलग किए बिना प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के सभी अग्रिमों पर गारंटी शुल्क लगा रहा है । तथापि, वर्ष 1990-91 में निगम ने सरकार/निर्यात ऋण और गारंटी निगम जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों की चार श्रेणियों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में से अलग कर देने का और इसके परिणामस्वरूप निगम को केवल उस वर्ष के लिए ही भुगतान की गयी गारंटी शुल्क को लौटाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह छूट वर्ष 1991-92 के लिए भी दी गयी । इसके अतिरिक्त, ऋण संस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से कृषकों को दिए गए ऋण वाणिज्य बैंकों को अंतरित किए गए और कृषि उत्पादनों और मछलियों के निर्यात के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा दिए गए ऋणों को इस वर्ष से गारंटी शुल्क की अदायगी और गारंटी सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों से निकाल दिया गया । चुंकि निगम ने वर्ष 1992-93 और इसके बाद से नियमित आधारपर गारंटी सुरक्षा और गारंटी शुल्क के भुगतान के प्रयोजन से अग्रिमों की पाँच श्रेणियों को अलग कर देने की अनुमित देने का निर्णय लिया है। ये अग्रिम निम्नलिखित हैं:

(क) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के गारंटीशुदा अग्रिम;

- (ख) निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा गारंटीशुदा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम;
- (ग) शहरी शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोज़गार/शहरी गरीबों के लिए स्वरोज़गार कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त और बकाया सहायता राशि;
- (घ) वाणिज्य बैंकों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण और
- (ङ) ऐसे अग्रिम जिनके संदर्भ में निगम के पास दावे प्रस्तुत किये गये हैं।

गारंटी शुल्क की वापसी

14. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों से पांच श्रेणियों को निकाल देने के परिणामस्वरूप गारंटी शुल्क की जो राशि लौटायी जा सकती है यह अनुमानतः 137 करोड़ रूपये हैं। परिणामस्वरूप, वर्ष 1991-92 के लिए सकल गारंटी शुल्क प्राप्तियाँ और गारंटीशुदा अग्रिमों की स्थिति इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

1	योजना	वापसी से	ो पूर्व	वापसी वे	न बाद
		गारंटीकृत अग्रिम	गारंटी शुल्क	गारंटीकृत अग्रिम	गारंटी शुल्क
(अ)	गैर औद्योगिक क्षेत्र संबंधी योजनाएँ				5 3245 472
	लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	29,166.66	437.50	23,300.00	349.50
	अन्य योजनाएँ	14.16	0.21	14.16	0.21
(आ)	औद्योगिक क्षेत्र संबंधी योजना				
	लघु ऋण (लघु उद्योग गारंटी योजना, 1981)	17,362.36	260.44	14,096.00	211.44
	जोड़	46,543.18	698.15	37,410.16	561.15

गारंटी शुल्क/बीमा किस्त की अदायगी में चूक पर दंडस्वरूप ब्याज

15.1 वर्तमान अनुदेशों के अंतर्गत, भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक गारंटी शुल्क तदर्थ या अंतिम आधार पर भुगतान करना होता है। किसी भी वर्ष में 31 जुलाई तक गारंटी शुल्क की अदायगी न करने पर देय राशि पर बैंक दर से ब्याज लगाया जाता है और 31 जुलाई तक अदायगी न करने पर बैंक दर से 2% अधिक ब्याज लगाया जाता है। इस संबंध में, निगम ने

स्थिति की समीक्षा की और यह निर्णय लिया गया कि गारंटी शुल्क की अदायगी में चूक को प्रभावी तौर पर निवारण के लिए वर्षभर 1992-93 के आरंभ से गारंटी शुल्क की अदायगी यदि निर्धारित अवधि अर्थात् संबंधित वर्ष के 30 अप्रैल के बाद की जाती है तो बैंक दर पर 8% की दर से दंडस्वरूप ब्याज (जो वर्तमान में बैंक दर से 2% अधिक है) लगाया जाएगा । दंडस्वरूप ब्याज की बढ़ी हुई दर सभी चालू योजनाओं पर लागू होगी । ये अनुदेश 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी होंगे । 15.2 बीमाकृत बैंकों द्वारा भी निक्षेप बीमा किस्त में चूक के मामले की समीक्षा की गई। यह निर्णय किया गया कि वर्तमान ब्याज दर को बैंक दर से 8 प्रतिशत बढ़ाया जाय। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमन 1961 में आवश्यक संशोधन करने के बाद निर्णय को प्रभावी किया जाएगा।

कृषि और प्रामीण ऋण सहायता योजना, 1990 ऋण गारंटी योजना-दावा-वसूली आदि

कृषि और ग्रामीण ऋण सहायता योजना 1990 के अंतर्गत भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सभी पात्र उधारकर्ताओं को जिनकी ऋण राशि 2 अक्तूबर 1989 को अतिदेय हो गयी थी, 10,000/- रुपये तक ऋण सहायता मंजूर की है। निगम ने सितंबर 1989 तक कुल 383.43 करोड़ रुपये के ऐसे दावे निपटाने के बाद बैंकों को सूचित किया कि वह इस सहायता को वसूली योजना के अंतर्गत माने और ऐसी वसूलियाँ किसी भी अन्य वसुलियों की तरह ही निगम के साथ भागीदारी करें । तथापि, कुछ बैंकों ने सरकार से पूर्ण प्रतिपूर्ति की प्राप्ति के अभाव से ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की । परिणामस्वरूप भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा अदा किया/अदा की जानेवाली प्रतिभृति राशि की भागीदारी पर जोर न दे । सरकार के पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय को कुछ बैंकों से प्राप्त 7.30 करोड़ रुपये की वसुलियों की राशि को वापस लौटाना पड़ा । 265 करोड़ रुपये के चुकौती के दावे अभी लंबित पड़े हैं। निगम को प्रत्यासन अधिकारों के माध्यम से अनुमानतः 341.64 करोड़ रुपये देय हैं, जिसे कि अब समाप्त किया जा चुका है। इन राशियों का समायोजन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बैंकों को देय राशियों के बदले किया गया है।

लेखा

तुलन पत्र और राजस्व लेखा

17.1 मार्च 1992 की समाप्ति पर राजस्व लेखा और 31 मार्च 1992 को तुलन पत्र में पृथक् रूप से निगम की तीन निधियों की स्थिति अर्थात् निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संलग्न किया गया है। 17.2 वर्ष 1987 से, बीमांकिक आधार पर निगम ने निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि की देयताओं के मूल्यांकन की प्रणाली अपनाई है। तदनुसार, इन तीनों निधियों में पिछलें वर्ष के 0.96 करोड़ रुपये हानि की तुलना में आयकर, लंबित दावे आदि जैसे प्रावधानों को सिम्मिलत कर सभी प्रावधानों के पश्चात् 12.13 करोड़

रुपये के अतिरिक्त निवल राशि ज्ञात हुई । निक्षेप बीमा निधि और सामान्य निधि में क्रमशः 26.73 और 0.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि है जबिक ऋण गारंटी निधि में 15.37 करोड़ रुपये की हानि हुई । ऋण गारंटी निधि की 15.37 करोड़ रुपये की हानि को निक्षेप बीमा निधि की समान राशि के अन्तरण द्वारा पूर्ण कर दिया गया है ।

17.3 वर्ष 1987 से अधिशोष/घाटे के कारण 31 मार्च 1991 की समाप्ति पर ऋण गारंटी निधि द्वारा निक्षेप बीमा निधि को 258.59 करोड़ रुपये देय था। ऋण गारंटी निधि के 15.37 करोड़ रुपये की वर्तमान वर्ष की हानि को निक्षेप बीमा निधि से अंतरण किया गया जिससे निक्षेप बीमा निधि की राशि बढ़कर 273.96 करोड़ रुपये हो गयी।

बजटीय नियंत्रण

17.4 1992-93 से निगम के राजस्व और व्यय पर बजटीय नियंत्रण उसकी गतिविधियों के सभी हिस्से पर लगाया गया है। मार्च 1992 के अंत तक, बजटीय व्यवस्था की राशियाँ और उनकी समीक्षा केवल सामान्य निधि तक सीमित थीं जो निगम के कुल राजस्व एवं व्यय के 10 प्रतिशत से कम होती हैं।

17.5 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 से प्रावधानों के अंतर्गत जिन राशियों की वर्तमान में आवश्यकता नहीं होती उन्हें भारत सरकार के 182 दिवसीय खजाना बिलों-सिहत केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 25 में संशोधन के लिए आवश्यक कारवाई की पहल की जा चुकी है जिससे निगम को निवेश द्वारा आय को अधिकतम करने के लिए अपनी अतिरिक्त निधियाँ अन्य प्रकार की अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करने में सुविधा हो। निवेश का विवरण संलग्नक XVII में दिया गया है। तीनों निधियों में निवेश के मूल्यहास का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

सामान्य

लेखा परीक्षक

18.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 29(1) के अन्तर्गत निदेशक मण्डल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमित से मेसर्स एन. वी. शेट्टी एण्ड कं. सनदी लेखाकार बम्बई को 31 मार्च 1992 को समाप्त होनेवाले तीसरे वर्ष के लिए भी निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

हिन्दी की प्रगति

18.2 निगम ने अपने दैनंदिन कार्यों में हिन्दी की प्रगति के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। निगम अपने परिपत्र और वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में जारी करता है। हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से की जाती है। स्टाफ सदस्यों को भी हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आयोजित हिन्दी टंकण परीक्षा में 5 हिन्दी टंकक उत्तीर्ण हो चुके हैं। दो अन्य अंग्रेजी टंककों को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। निगम के मुख्यालय और इसकी चार शाखाओं में हिन्दी पुस्तकालय खोले गये हैं। हिन्दी समाचार पत्र और पत्रिकाएं खरीद कर स्टाफ सदस्यों के बीच परिचालित की जाती हैं। निगम, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों (हिन्दी टंकणसहित) में अपने स्टाफ-सदस्यों को प्रतिनियुक्त करता है।

प्रशिक्षण

18.3 लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्थान (एन. आई. एस. आई. ई. टी.), हैदराबाद द्वारा आयोजित लघु उद्योगों के वित्तपोषण पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग ले रहे विकासशील देशों के वाणिज्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का 25 सदस्यी दल निगम के कार्यों एवं कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए आया। निगम ने भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्य बैंकों के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों और निगम की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी योजनाओं पर सत्र लेने के लिए अपने अधिकारी प्रतिनियुक्त किए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादकता और कार्यक्षमता संबंधित कार्य के सभी पहलुओं के मूल्यांकन और समझ के बगैर बढ़ना असंभव है, निगम के सभी स्तर के स्टाफ को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने प्रशिक्षण केन्द्रों पर दी गई प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने भेजा जाता है। वर्ष के दौरान 29 अधिकारी, 14 लिपिक कर्मचारी और 9 अधीनस्य कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण

18.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग ने निगम और इसकी चार शाखाओं में 9 सितम्बर 1991 से 1 नवम्बर 1991 के दौरान ''प्रणाली और स्टाफिंग'' पर अपना पहला निरीक्षण किया । निगम ने उनकी रिपोर्ट में उल्लेखित अनियमितताएँ/दिए गए सुझावों में से अधिकांश को ठीक/लागु कर दिया है।

प्रबंधतंत्र

19.1 भारत सरकार ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(ङ) के अन्तर्गत निगम के बोर्ड में 19 अक्तूबर 1991 तक दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक और इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक (दोनों पदेन) को निदेशक नियुक्त किया है। तथापि, इन पदों के वर्तमान पदधारी, सर्वश्री श्री महादेवन और आर. एल. वाधवा क्रमशः उक्त अधिनियम की धारा 6(2)(ii) के परंतुक के अनुसार बोर्ड के निदेशकों के रूप में कार्य करते रहेंगे।

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री. आर. जानकीरामन की अध्यक्षता में बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गर्ड ।

श्री. पी. कृष्णमूर्ति की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 24 दिसंबर 1991 से डॉ. के. के. मुखर्जी ने निगम के महा प्रबंधक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

बोर्ड ने निगम के महा प्रबंधक और इसके कर्मचारियों की इसकी परिचालनगत कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की ।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम बम्बर्ड 400 039.

कते और बोर्ड के निदेशक मण्डल की ओर से

(रा. जानकीरामन)

दिनांक: 15 जून 1992

अध्यक्ष

अनुबंध - I वर्ष 1962 से निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत समाविष्ट बैंकों (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा सहकारी) की संख्या दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में पंजीकृत बैंकों की	वर्ष के दौरान में पंजीकृत बैंकों की	उन विपं संख्या जहां	जीकृत बैंकों की निगम में देयता	जोड़	वर्ष के 3	त में पंजीकृत कों की संख्या
	संख्या	संख्या	आयी	नहीं आयी	(4 + 5)	90 II	(2 + 3 - 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	32	7.
1962	287		2	9	11		276
1963 से 1980	276	1541	21	214	235		1582
1981	1582	69	1	3	4		1647
1982	1647	44	1	7	8		1683
1983	1683	55		2	2		1736
1984	1736	71	1	1	2		1805
1985	1805	41	. 5	4	9		1837
1986	1837	27	2	3	5		1859
1987	1859	42	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3		1898
1988/89	1898	14	2	7	9	5 8 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1903
1989/90	1903	19	1		. 1		1921
1990/91	1921	8	5	2	7		1922
1991/92	1922	14	2	3	5		1931

1990-91 और 1991-92 के अंत में बीमाकृत बैंकों की स्थिति का अलग-अलग विवरण

and the state of the	बीमाकृत बैंकों की संख्या												
वर्ष	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़									
1990-91	79	196	1647	1922									
1991-92	80	196	1655	1931									

अनुबंध - II

31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत और विपंजीकृत बैंकों के नाम दर्शाने वाला विवरण

(क) पंजीकृत बैंकों के नाम

वाणिज्य बैंक

सनवा बैंक, नयी दिल्ली (विदेशी बैंक)

सहकारी बैंक

महाराष्ट्र

- 1. प्रियदर्शिनी महिला को-ऑप. बैंक मर्यादित, बम्बई
- प्रियदर्शिनी महिला सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर राजस्थान
- 1. बालोतरा अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, बालोतरा
- भरतपुर अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, भरतपुर उड़ीसा बालासोर को-ऑप. अरबन बैंक मर्यादित, बालासोर

उत्तर प्रदेश

- 1. अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, बदायूँ
- 2. अरबन को-ऑप. दैंक मर्यादित, सहारपर
- 3. अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, सीतापुर
- 4. मुजफ्फरनगर अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, मुजफ्फरनगर
- अल्मोड़ा अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, अल्मोड़ा
- 6. प्रोग्रेसिव अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, अलीगढ, लखनऊ
- इटावा अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, इटावा तामिलनाडू
 दिंडिगुल क्वाइड-ए-मिलेथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप.

बैंक मर्यादित, दिंडिगुल

(ख) विपंजीकृत बैंकों के नाम

सहकारी बैंक

महाराष्ट्र

- 1. जनता सहकारी बैंक मर्यादित, बुलढाना
- वर्तक नगर माजिवडे नागरि सह. बैंक मर्यादित, ठाणे कर्नाटक

मनोली श्री पंचलिंगेश्वर अरबन को-ऑप. बैंक मर्यादित, मनोली

केरल

कुंदारा को-ऑप. अरबन बैंक मर्यादित, कुंदारा गुजरात

सिटी को-ऑप. बैंक मर्यादित, अहमदाबाद

अनुबंध - III बीमाकृत बैंकों की स्थिति का सार (31 मार्च 1992 की स्थिति)

I.	वाणिज्य बैंक	80
11	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196
III.	सहकारी बैंक (अलग-अलग विवरण नीचे लिखे अनुसार)	1655
111.	46440 44 (400)	1931

	अपैक्स	सैंट्रल	प्राइमरी	जोड़
राज्य	1	22	61	- 84
आंध्र प्रदेश	1	<u></u>	5	6
गोवा		21	289	311
गुजरात	1		8	22
हरियाणा	1	13		
हिमाचल प्रदेश	1	2	4	7
जम्मू और कश्मीर	I	3	3	7
कर्नाटक	1	. 22	204	227
केरल	1	14	56	71
मध्य प्रदेश	1	45	41	87
महाराष्ट्र	1	31	379	411
उड़ीसा	1	17	14	32
राजस्थान	1	27	22	50
तमिलनाडू	1	19	133	153
त्रिपुरा	1		I	2
उत्तर प्रदेश	1	56	45	102
पश्चिम बंगाल	1	17	48	66
संघ शासित क्षेत्र				
 दिल्ली	1		14	15
दीव और दमण				
पॉॅंडिचेरी	1		1	2
कुल सहभागी बैंक	18	309	1328	1655

अनुबंध - IV

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण (वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार और जून 1981 से जून 1991 तक के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

वर्ष	पूर्णतः संरक्षित खातों की	खातों की कुल संखा	(3) के प्रति (2) का	बीमाकृत जमाराशियाँ @	कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ	(6) के प्रति (5) का
	संख्या @ (लाखों में)	(लाखों में)	प्रतिशत	(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1693.74	23.1
1981	1364.62	1377.07	99.1	25859.20	35004.43	73.9
1982	1580.98	1598.24	98.9	31773.92	42360.41	75.0
1983	1784.97	1815.82	98.3	37746.39	50796.54	74.3
1984	2000.19	2025.94	98.7	46339.53	61880.23	74.8
1985	2145.16	2238.37	95.8	56211.15	76517.22	73.5
1986	2320.05	2359.60	98.0	62878.13	86213.96	72.9
1987	2518.01	2568.51	98.0	75511.19	103044.16	73.3
1988/89	2704.87	2780.88	97.3	90191.69	126864.19	71.1
1989/90	3059.11	3141.68	97.4	101681.96	140745.95	72.2
1990/91	2982.52	3089.12	96.5	109315.52	156891.90	69.7
1991/92	3169.18	3287.00	96.4	127924.91	186307.39	68.7

[@] अर्थात् खातों की संख्या जिनमें 1967 के अंत तक 1,500 रुपये और 1981 के बाद 30,000 रुपये से अनिधक बकाया राशियाँ थीं।

अनुबंध - V वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को (वर्गवार) प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	बैंकों का वर्ग	बैंकों की कुल संख्या	सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में)	कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
1989-90	वाणिज्य बैंक		66	89232.95	123542.06	72.2
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	119	1539.46	1702.59	90.4
	सहकारी बैंक	1643	1184	10909.55	15501.30	70.4
	जोड़ ·	1921	1369	101681.96	140745.95	72.2
1990-91	वाणिज्य बैंक	79	. 55	94810.07	134939.24	70.26
	क्षेत्रीय प्रामीण बैंक	196	133	2033.10	2323.56	87,49
	सहकारी बैंक	1647	1122	12472.35	19629.10	63.54
	जोड़	1922	1310	109315.52	·156891.90	69.68
1991-92	वाणिज्य बैंक	80	59	113252.05	165220.12	68.55
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	120	2358.59	2631.40	89.63
	सहकारी बैंक	1655	1124	12314.27	18455.87	66.72
	जोड़	1931	1303	127924.91	186307.39	68.66

अनुबंध - VI अदा किये गये और प्रावधान किये गये निक्षेप बीमा दावे तथा प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ - 31 मार्च 1992 की स्थिति

(राशि लाख रुपये मे)

	बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये उसे कोष्टकों में दिखाया गया हैं)	कुल बीमाकृत जमाराशियाँ जो अदा की गयीं या जिनके लिए प्रावधान किया गया	निगम द्वारा प्राप्त चुकौतियाँ	शेष राशि (3-4)
1.	2.	3	4	5
I. वाणि	ज्य वैंक			
i)	उन बैंकों से संबंद्ध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है			
\$ 1.	बैंक ऑफ चाइना, कलकत्ता (1963)	9.25	9.25	/ · · · · ·
* 2.	श्री. जादेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)	0.12	0.12	-
* 3.	बैंक ऑफ बिहार लि., पटना (1970)	46.32	46.32	
	जोड़ : ''क''	55.69	55.69	
ii)	उन बैंकों से संबंद्ध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति की गयी है और शेष देय राशि बट्टे खाते डाल दी गयी है।			
* 4.	यूनिटी बैंक लि., मद्रास (1963)	2.53	1.37	@@
* 5.	उन्नाव कमर्शियल बैंक लि., उन्नाव (1964)	1.08	0.31	@@
* 6.	चावला बैंक लि., देहरादून (1969)	0.18	0.14	@@
* 7.	मेट्रोपोलिटन बैंक लि., कलकत्ता (1964)	8.80	4.41	@@
* 8.	सदर्न बैंक लि., कलकत्ता (1964)	7.34	3.73	@@
	जोड़ : ''ख''	19.93	9.96	@@
iii)	उन बैंकों से संबंद्ध ब्यौरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है			
* 9.	बैंक ऑफ अलगपुरी लि., अलगपुरी (1963)	0.28	0.18	0.10
* 10.	कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)	7.10	4.15	2.95
* 11.	लेटिन खिस्तियन बैंक लि., एर्नाकुलम (1964)	2.08	1.14	0.94
+ 12.	नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
+ 13.	हबीब बैंक लि., बंबई (1966)	17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
* 14.	नेशनल बैंक ऑफ लाहोर लि., दिल्ली (1970)	9.69	was the first	9.69

अनुबंघ - VI (जारी)

1. 2.		4.	5.
* 15. बैंक ऑफ कोचीन, कोचीन (1986)	1162.78	379.00	783.78
 16. मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज (1987) 	146.59	27.65	118.94
 17. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि. (1987) 	3340.62	606.45	2734.17
* 18. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1988) 2191.67	142.77	2048.90
 * 19. यूनाइटेड इंडिस्ट्रियल बैंक लि. (1990) 	3501.58		3501.58
 20. ट्रेडर्स बैंक लि. (1990) 	306.34	97.89	208.45
 21. बैंक ऑफ तंजावुर लि. (1990) 	1078.36	8.33	1070.03
* 22. बैंक ऑफ तमिलनाडू लि. (1990)	764.50		764.50
 23. परूर सेंट्रल बैंक लि. (1990) 	260.92	37.66	223.26
 * 24. पूरवांचल बैंक लि. (1991) 	725.77		725.77
जोड़ : ''ग''	13516.53	1322.88	12193.65
जोड़ : ''क'' + ''ख'' + ''ग''	13592.15	1388.53	12193.65
II. सहकारी वैं क			
 उन बैंकों से संबंद्ध ब्यौरे जिनके बारे में ि कर दी गयी है। 	नंगम को पूरी प्रतिपूर्ति		
\$\$ 25. मालवण को-ऑप. अर्बन बैंक लि., मालव	ग (1977) 1.86	1.84	
% 26. बंबई पीपल्स को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1978) 10.72	10.72	111
जोड़ : ''घ''	12.58	12.56	
 ii) उन बैंकों से संबंद्ध ब्यौरे जिनके बारे में ि नहीं की गयी है। 	नगम को पूरी प्रतिपूर्ति		
@ 27. बंबई कमर्शियल को-ऑप. वैंक लि., बंब	£ (1976) 5.73		5.73
@ 28. घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लि., बंबई	(1977) 2.76	we for the	2.76
@ 29. आरे मिल्क कॉलोनी को-ऑप. बैंक लि.,	बंबई (1978) 0.60	_	0.60
* 30. रत्नागिरी अर्बन को-ऑप. बैंक लि., रत्ना	गरी (1978) 46.43	11.94	34.49
* 31. विश्वकर्मा को-ऑप. बैंक लि., बंबई (1979	9) 11.57	5.60	5.97
 32. प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., बंबई (3.06	9.86
* 33. कलाविहार को-ऑप. बैंक लि., बंबई (19		3.31	9.86
@ 34. रामदुर्ग अर्बन को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि.,			2.30
* 35. वैश्य को-ऑप. बैंक लि., बंगलूर (1982)		12.95	78.36
@ 36. दथीच सहकारी बैंक लि., बंबई (1984)	18.51	13.37	5.14
@ 37. कोल्लुर पार्वती को-ऑप. बैंक लि., कोल्लु		13.37	13.96
@ 38. आदर्श को-ऑप. बैंक लि., मैसूर (1985)		0.65	2.09

अनुबंध - VI (जारी)

1	LVA L	2	3	4	5
*	39.	कुर्दुवाड़ी मर्चेन्टस अर्बन को-ऑप. बैंक लि., (1986)	4.85	3.45	1.40
@	40.	गदग अर्बन को-ऑप. बैंक लि., गदग (1986)	22.85	6.50	16.35
@	41.	मणिहाल अर्बन को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., मणिहाल (1987)	9.61	2.28	7.33
@	42.	हिंद अर्बन को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., लखनऊ (1988)	10.95		10.95
@	43.	येलामंचिली को-ऑप. क्रेडिट बैंक लि., (1990)	4.36	<u> </u>	4.36
@	44.	वसवी को-ऑप. अर्बन बैंक लि., गुरजाला (1991)	3.89		3.89
@	45.	कुन्दारा को-ऑप. अर्बन बैंक लि. (1991)	17.37		17.37
@	46.	मनोली श्री. पंचलिंगेश्वर अर्बन को-ऑप. बैंक लि. (1991)	17.44		17.44
@	47.	सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि. (1991)	0.72		0.72
		जोड़ : ''ङ''	308.14	63.11	245.03
		जोड़ : ''घ'' + ''ङ''	320.72	75.67	245.03
		जोड़ : ''क'' + ''ख'' + ''ग'' + ''घ'' + ''ह''	13912.87	1464.20	12438.68

- \$ बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रह किया गया ।
- * समामेलन योजना,
- @ परिसमापन में गये बैंक ।
- @@ कुल 9.97 लाख रुपयों की शेष राशि बट्टे खाते डाली गयी। इसमें 0.10 लाख रुपये की राशि भी शामिल है, जिसके लिए केवल व्यवस्था की गयी है किन्तु यह अदा नहीं की गयी है।
 - + व्यवस्था योजना अंतर्गत लिये गये बैंक ।
- ++ लापता जमाकर्ता के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.02 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।
- +++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 2.07 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।
 - \$\$ वर्ष 1984 में बैंक को पुनः शुरू किया गया और सारस्वत को-ऑप. बैंक लि. में इसका स्वैच्छिक समामेलन कर दिया गया ।
 - % बैंक को स्वेच्छापूर्वक सारस्वत को-ऑप. बैंक लि. के साथ 1987 में समामेलित कर दिया गया ।
- टिप्पणियाँ : (क) ऊपर दिये गये दावों के आँकड़े समायोजन करने के बाद के हैं।
 - (ख) कोष्टकों में दिये गये आँकड़े पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में देयताओं को सूचित करते हैं।

2(

अनुबंध - VII छोटे ऋणकर्ताओं के लिए निगम की ऋण गारंटी योजनाओं में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1992 की वर्गवार स्थिति

	गारंटी योजना का नाम	टी योजना का नाम 31 मार्च 1991 को भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएँ					अप्रैल 1991 - मार्च 1992 के दौरान शामिल (+) / अलग (–) होनेवाली ऋण संस्थाएं						सहमागी संस्थाओं की कुल संख्या 31 मार्च 1992 की स्थिति				
			वाणिज्य वैं क	क्षेत्रीय प्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	राज्य वित्त निगम	कुल	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय प्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	राज्य वित्त निगम	कुल	वाणिज्य बैं क	क्षेत्रीय प्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	राज्य वित्त निगम	कुल
	- 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		. ,															
1.	लघु ऋण गारंटी योजना, 1971		64	194	_`_	-	258	(-) 8	(-) 1	_		(-)9	56	193	· —)	_	24
2.	लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 £		_	_	-	2 .	2	_	_	. '	(-) 2	(-)2		-	-	-	÷.
3.	सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971 £		48	70	32	-	150	; <u>-</u>	_	_	_	-	48	70	32		15
4.	लघु ऋण (सहकारी ऋण समितिय गारंटी योजना, 1982 £	ħ	_	-	-	-	-	-	· - .	-	_	_	-	-		-	
5.	लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984		-	-	39	-	39	· . –	-	(-) 4	-	(-) 4	-	-	35		

[£] उक्त योजनाएँ 1-4-1992 से रद्द की गयी हैं।

अनुबंध - VIII

वर्ष 1991-1992 के दौरान सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची से बाहर होनेवाली/बाहर होने के लिए अनुमित प्राप्त ऋण संस्थाओं के नाम

क्र. सं. संस्था का नाम

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

- 1. भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड
- 2. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड
- 3. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एंड सेविंग्स एसोसिएशन
- 4. बैंक ऑफ टोक्यो लिमिटेड
- 5. बैंक नेशनल डी पेरिस
- 6. सिटी बैंक एन. ए.
- 7. ए. एन. जेड. ग्राइन्डलेज बैंक पी. आइ. सी.
- 8. ओमान इन्टरनेशनल बैंक एस. ए. ओ. जी.
- 9. झाबुआधार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971

- 1. मेघालय इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- 2. वैस्ट बंगाल फाइनेन्सियल कापीरेशन

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

- 1. वैरावल मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
- 2. इचलकरंजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
- 3. कोंडूवयूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
- 4. अरनी को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड

अनुबंध - IX निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विवरण

राशि करोड़ रुपये में

			जून के अंत की स्थिति								मार्च के अंत	की स्थिति		कालम 13 में	
	योजना/उधारकर्ता की श्रेणी	1972	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	ा,П,Ш,IV के जोड़ का प्रतिशत	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
छोटे	उधारकर्ता											1. 1. 1.		112 717	
(क)	गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ														
I.	लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	205.71	3546.24	4819.77	5736.44	7045.38	8842.29	10345.10	10998.22	14145.67	25562.66	27676.73	29166.66	99.95	
i)	कृषक तथा काश्तकार	134.67	2267.52	3841.89	3594.84	4181.98	5057.75	6020.34	6428.29	8504.48	10542.04	18565.55	19788.04	67.82	
ii)	परिवहन चालक	28.29	477.56	731.31	937.68	1239.58	1510.21	1606.00	1664.73	1665.58					
iii)	फुटकर व्यापारी	28.34	398.86	511.83	574.80	709.84	972.45	1191.85	1257.99	1795.38			1.		
iv)	व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति	9.14	165.66	199.12	240.76	326.94	484.88	656.56	700.15	964.99	14519.56\$	8727.03\$	8973.00\$	30.74	
v) .	कारोबारी उद्यम	5.27	150.08	209.70	239.62	332.51	473.42	609.51	694.64	923.18					
vi)	विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी		86.56	126.22	148.74	264.53	343.58	260.84	252.42	292.06	501.06	384.15	405.62	1.39	
α.	लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971	2.56	10.89	18.58	35.64	52.68	69.24	85.19	92.28	108.68	2.70	4.17	-		
i)	परिवहन चालक	2.35	10.33	18.35	35.40	52.28	68.93	84.88	91.97	108.36	2.70	4.14	_		
i)	कारोबारी उद्यम	0.21	0.56	0.23	0.24	0.40	0.31	0.31	0.31	0.32		0.03	- 1 () -		
П.	सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971	0.12	1.32	1.53	1.75	0.50	0.72	0.72	0.72	1.84	0.20	0.44	0.39	_	
	लघु ऋण सहकारी बैंक गारंटी योजना, 1984	-	_	_	-	5.69*	10.76	14.96	25.00	35.19	20.70	10.98	13.775	0.0	
)	परिवहन चालक	_		_	· -	1.84	3.63	5.49	8.54	13.31					
)	फुटकर व्यापारी	_	_	_	· _	2.64	4.51	5.53	7.67	. 8.51					
	व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति		_		_	1.05	1.55	1.87	4.08	6.74	20.70\$	10.985	-	-	
•	कारोबारी उद्यम	_	_	_	_	0.16	1.07	2.07	4.71	6.63					
	II तथा IV का जोड़	208.39	3558.45	4839.88	5773.83	7104.25	8923.01	10445.97	11116.22	14291.38	25586.26	27692.32+	29180.83	2 100.0	

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
_	उद्योग ऋणकर्ता		See 1			2								
(ম্ব)	औद्यौगिक क्षेत्र से संबंधित योजना					· .								
I.	लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना,	–	3716.43@	3822.13	4153.73	4890.86	5843.69	7497.46	7738.03	10464.66	14094.00	16826.21+	17362.36	
	1981 कुटीर उद्योगों सहित सभी लघु उद्योग यूनिटें								, / ·					
	कुल जोड़ (क) + (ख)	208.39	7274.88	8662.01	9927.56	11995.11	14766.70	17943.43	18854.25	24756.04	39680.26	44518.53+	46543.18+	

- @ 31 मार्च 1981 की स्थिति
- * 31 दिसंबर 1984 की स्थिति
- s गारंटी कृत अग्रिमों का क्षेत्रवार अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है ।
- £ अनेक सहभागी ऋण संस्थाओं से विवरण प्राप्त न होने के कारण इन कॉलमों में दिये गये आँकडे (i) वर्ष के दौरान शुल्क के प्रेषणों की वास्तविक प्राप्तियों (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की निवेश सूची के आँकलनों पर आधारित हैं।
- + वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए ऋण संस्थाओं को कुछ श्रेणी के अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल न करने की अनुमति दिये जाने के कारण मार्च 1991 और मार्च 1992 के गारंटीकृत अग्रिमों के संशोधित अनन्तिम आँकडे रु. 35,851.33 करोड और 37,410.16 करोड़ हैं।

अनुबंध - X छोटे ऋणकर्ताओं के संबंध में निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

						कॉलम 4 औ	र के अनुस	ार निपटाये ग	ये दावों में से	٠,	वर्ष के ब	मंत तक
अवधि	प्राप्त दावे		निपटाये गये दावे		अदा किये गये दावे		वापस लिये गये दावे		अस्वीकृत दावे		विचाराधीन दावे	
	संख्या	यशि	संख्या	ग्रशि	संख्या	ग्रशि	संख्या	ग्रशि	संख्या	ग्रशि	संख्या	यशि
1	2	3	4	5	6	7	. 8	9	10	11	12	13
1977 के अंत तक	21638	6.70	12410	3.30	11606	2.94	423	0.13	381	0.23		
1978 के दौरान	29925	8.76	14623	3.34	13825	3.03	407	0.07	391	0.24		
1979 के दौरान	36535	11.30	25739	6.95	23930	5.69	1054	0.41	755	0.85		
1980 के दौरान	83557	14.90	47481	720	45303	6.50	214	0.08	1964	0.62		
1981 के दौरान	100669	16.25	74030	11.14	72216	9.08	582	0.28	1232	1.77		
1982 के दौरान	150926	24.71	105513	14.50	102141	12.49	1369	0.59	2003	1.43		
1983 के दौरान	147474	27.84	127714	19.64	123202	17.94	1643	0.52	2869	1.18		
1984 के दौरान	254692	61.71	236625	32.09	228419	30.99	741	0.22	7465	0.88		2.5
1985 के दौरान	453722	114.91	466611	114.45	336663	71.80	119770	41.97	10178	0.68		
1986 के दौरान	630365	140.94	644090	176.39	484852	86.86	147419	87.18	11819	2.35	No. of the	
1987 के दौरान	1071221	255.27	767080	148.41	742061	141.92	25	. 0.07	24994	6.42		
1988-89 के दौरान (15 माह)	1528391	364.08	1290945	280.61	1260266	272.29	515	0.11	30164	8.21		
1989-90 के दौरान	1503349	355.75	1598791	346.58	1572389	338.58	1209	0.30	25193	7.70	1.4	
1990-91 के दौरान	2087562	505.05	1900904	427.17	1862697	415.35	4202	1.42	34005	10.40	Tree	
उप-जोड़ "क"	8100026	1908.17	7312556	1591.77	6879570	1415.46	279573	133.35	153413	42.96	7,87,470	316.40
1991-92 के दौरान	e Tarria	31.14.1			8* - C 1881 - 1	1. 100						Xe. 1
I. ल.क.गा.वो., 1971 '	1652074@	409.96@	1590989	360.95	1539546	345.03	4411	1.52	47032	13.50	1.4.0	
II. ल.क.(वि.नि.)गा.यो., 1971	¥ . ÷	-	18	0.08	7	0.02	10	0.06	.1	*		
III. ल.क.(स.बै.)गा.यो., 1984	2	0.01	21	0.01	21	0.01	_	-	Ţ. -			
उप-जोड़ ''ख'' I + II + III	1652076	409.97	1591028	360.14	1539574	345.06	4421	1.58	47033	13.50		
कुल जोइ (क + ख)	9752102	2318.14	8903584	1951.91	8419144	1760.52	283994	134.93	200446	56.46	848518	366.23

जनवरी 1992 से मार्च 1992 तक के अनन्तिम आकड़ों सहित नगण्य

विचाराधीन दावों का अलग-अलग विवरण

[발표] : [인표] 경기 : 12 년 17 년 18	. संख्या राशि
	(करोड़ रुपये)
1) संसाधित किये जाने वाले	310500 74.83
2) संसाधित परन्तु स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन	538018 291.40
	848518 366.23

25

अनुबंध - XI छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विश्लेषण

(यशि करोड़ रुपये में)

क्र.	उघारकर्ताओं की श्रेणी	31 मार्च 1991 तक	प्राप्त कुल दावे	1991-92 के दे	रान प्राप्त दावे	कॉलम 6 की कुल	जोड़ 31 मार	कॉलम 9 की कुल		
सं.		संख्या	यशि	संख्या	राशि	राशि का प्रतिशत	संख्या (3 + 5)	राशि (4 + 6)	राशि का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	. 10	
I.	कृषक और काश्तकार	40,74,322	939.16	7,04,833	146.69	35.78	47,79,155	1085.85	46.84	
п.	परिवहन चालक	3,24,658	233.31	62,980	42.96	10.48	3,87,638	276.27	11.92	
Ш.	फुटकर व्यापारी	16,10,671	414.55	5,05,091	140.91	34.37	21,15,762	555.46	23.96	
IV.	व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति	7,54,729	150.83	1,46,170	37.28	9.09	9,00,899	188.11	8.12	
V.	कारोबारी उद्यम	4,87,662	102.28	1,32,487	32.76	7.99	6,20,149	135.04	5.83	
VI.	विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट ब्रेणी	8,37,281	66.42	92,641	8.08	1.97	9,29,922	74.50	3.21	
VII.	उपभोग और मकन या आवास की खरीद या निर्माण हेतु ऋण सुविधाएँ	10,703	1.62	7,874	1.29	0.32	18,577	2.91	0.12	
75	जोब	81,00,026	1908.17	16,52,076*	409.97*	100.00	97,52,102	2318.14	100.00	

[•] जनवरी 1992 - मार्च 1992 के अनन्तिम आकड़े शामिल हैं।

अनुबंध - XII निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1992 की वर्गवार स्थिति

	क्रण संस्थाका वर्ग	लघु उद्योग के लिए सरकार की	निगम	कित्र कि कि कि कि विष्	ोग) गारंटी योजना, 1981	
		ऋण गारंटी योजना (अब रह) 31 मार्च 1981 को	31 मार्च 1992 को सहभागी ऋण संस्थाएं	होनेवाली (+) योज	रान योजना में शामिल बना से बाहर होनेवाली वाली (-) ऋण संस्थाएं	31 मार्च 1992 को सहभागी संस्थाएं
	1.	2.	3.		4.	5.
1,	भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक	8	8			8
2.	गृष्टीयकृत बैंक	20	20		- A	20
3.	अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक	. 44	30		(-) 2	28
4.	गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2				
5	क्षेत्रीय प्रामीण बैंक	34	144		(+) 8 (-) I	151
6.	राज्य वित्त निगम	18	1		(-) 1	
7.	अन्य राज्य विकास एजेन्सियौँ	5	3		(-) 2	5 T. P. P. P. 1
8.	सहकारी बैंक	197	165		(+) [~] 5 (-) 21	149*
h.V.E.	जोड़	328	371		(+) 13 (-) 27	357

* राज्य सहकारी बैंक — 4

मध्यवर्ती सहकारी बैंक — 79

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक — 66

जोड़ 149

अनुबंध - XIII

लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

उन ऋण संख्याओं के नाम जिन्होंने चालू वर्ष/पिछले वर्षों का गारंटी शुल्क नहीं भेजा है और वर्ष 1991-92 में उक्त योजना से बाहर हो गयी हैं।

- राज्य वित्त निगम
 वैस्ट बंगाल फाइनेन्सियल कार्पोरेशन
- II. अन्य विकास एजेन्सियाँ
 - 1. मेघालय इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
 - 2. त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- III. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छिंदवाड़ा सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- IV. सहकारी बैंक
 - 1. इन्दौर क्लाथ मार्केट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 - 2. जलगाँव डी.सी.सी. बैंक लिभिटेड
 - 3. सहयोग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 - 4. सांगली जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
 - 5. यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निड्याद
 - 6. वैरावल पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 - 7. बासोदा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
 - 8. दी आमलनेर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
 - 9. पारसीक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
 - 10. जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड
 - 11. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छत्रपुर
 - 12. दी प्रताप को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 - 13. इम्फाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 - 14. मेट्टूपलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
 - 15. दी वसावी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
 - 16. दी अरनी को-ऑपरेटिव टाऊन अर्बन बैंक लिमिटेड
 - 17. वैरावल मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
 - 18. जनता कामर्सियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला
 - 19. नार्थ कनारा गौड सारस्वत ब्राह्मण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गिरगाँव
 - 20. प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीरामपुर
- V. अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक
 - 1. भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड
 - 2. एल्जिमिन बैंक नीदरलैंड एन. वी.

अनुवंघ - XIII (जारी)

वर्ष 1991-92 के दौरान ऋण संस्थाओं की सूची में शामिल होनेवाली संस्थाओं के नाम

I. क्षेत्रीय प्रामीण वैंक

- 1. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 2. इलाहबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 3. गोलकोंडा ग्रामीण बैंक
- 4. कपूरथला फिरोजपुरक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 5. मगध ग्रामीण बैंक
- 6. मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 7. प्रथमा बैंक
- 8. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

II. सहकारी बैंक

- 1. सूरत डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
- 2. कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
- 3. नवसारी पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
- बीजापुर श्री. सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक

अनुबंध - XIV लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शाने वाला विवरण

(पशि करोड़ रुपये में)

अविष	प्राप्त	दावे	निपटाये :	गये दावे			निपटाये गये	दावों में से				2 के अंत मे
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ا جستند	अदा 1	केये	वापस लि	ये गये	निरस्त :	दावे	विवारा	धीन दावे
	संख्या	राशि	संख्या	यशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	र्धा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1
घाग ''अ'' निगम की बोजना लघु ऋण (लघु	* 1 1000	100	- Mar- 1	E2:					day of			
उद्योग) गारंटी बोजना, 1981			1,450.0							7. 1. 1. 1		
पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981	1308	1.74		_		_	-		·	_	1308	1.
पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982	4013	9.40	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04	2216	9.
पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983	9325	32.58	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50	4213	28.
पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984	18300	53.98	9522	13.73	7855	9.91	1610	2.92	57	0.90	12991	68.
पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985	22048	71.99	22791	25.08	18264	12.06	4116	11.61	411	1.41	12248	115.
पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986	33723	104.92	30299	67.07	19695	24.10	10261	40.30	343	2.67	15672	153.
पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987	44711	131.68	40206	88.16	38099	69.09	1580	8.26	527	10.81	20177	197.
पहली जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989	93716	216.90	81351	156.56	67002	92.78	13542	48.54	807	15.24	32542	257.
पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990	74894	192.58	101579	368.08	82046	169.96	16971	126.85	2562	71.27	5857	82.
पहली अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991	83809	243.71	76148	249.25	65694	131.81	8968	71.53	1486	45.91	13518	76.
पहली अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992	. 78447	217.26	80510	255.67	66728	117.23	12825	106.83	957	31.61	11455	38.
जोड	464294	1276.74	452839	1238.66	372109	630.74	73476	427.56	7254	180.36		
धाग ''आ'' लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रह)												
पहली अप्रैल 1981 को अनिर्णीत दावे (भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये)	30826	98.18	-	-		_	-	_	_	-		
पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981	13911	20.56	5447	10.69	4225	6.54	462	1.94	760	2.21	39290	108.6
पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982	10447	20.53	20445	24.43	16936	14.62	2309	5.57	1200	4.24	29292	104.
पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983	7878	20.08	19469	26.78	16394	16.28	1734	7.23	1341	3.27	17701	97.
पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984	7921	16.50	18262	33.53	10214	21.32	5496	8.33	2552	3.88	7360	80.
पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985	5259	14.07	8597	31.96	5325	12.92	3085	17.24	187	1.80	4022	62.5
पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986	4914	14.90	6903	42.10	3965	14.32	2480	22.07	458	5.71	2033	35.3
पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987	4870	17.39	5601	33.81	4849	26.32	584	3.84	168	3.65	1302	18.9
पहली जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989	10820	24.20	8186	20.70	6788	11.39	841	4.83	557	4.48	3936	22.4
पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990	1014	6.04	4342	20.29	2956	6.96	663	5.76	723	7.57	608	8.
पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1991	1042	3.34	1620	10.61	1169	4.33	293	3.33	158	2.95	30	0.8
पहली अप्रैल 1990 से 31 भार्च 1992	202	3.16	232	4.05	168	2.61	. 8	0.12	56	1.32	14 <u>-</u> 1	_
	68278	160.77	99104	258.95	72989	137.61	17955	80.26	8160	41.08		
उपजोड़ जोड़	99104	258.95	99104	258.95	72989	137.61	17955	80.26	8160	41.08		

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान दावों की प्राप्ति और निपटान स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

	दावा राशि	31 मार्च 1		वर्ष के				वर्ष के दौरा-	र निपटान			वर्ष के		31 मार्च 19	
		विचारार्ध	ान दाव	কুল সা	।।प्तया '	उद	क् त	वापस लि	ये गये	निरस	1	कुल वि	नपदान	विचाराधीन	ा दाव
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	ग्रशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	1	2		3	1. 14.7		4	5		6			7	8	- Y - 1
170		eggi 2000	S 1 10			. 4.		1,000		grade je	5" " "		1 5 West		. 40 .
1.	र. 25,000/- तक	11265	9.34	68425	46.57	61120	42.77	8156	6.56	324	10.32	696.00	49.65	10090	6.26
2.	रु. 25,000/- से अधिक और रु. 1 लाख तक	1043	5.83	5997	26.27	3763	16.01	2323	11.56	163	0.83	6249	28.40	791	3.70
3.	रु. 1 लाख से अधिक और रु. 5 लाख तक	697	15.76	3154	69.14	1531	31.51	1764	40.65	204	5.04	3499	77.20	352	7.70
4.	रु. पौंच लाख से अधिक	513	45.56	871	75.28	314	26.94	582	48.06	266	25.42	1162	100.42	222	20.42
	जोड	13518	76.49	78447	217.26	66728	117.23	12825	106.83	957	31.61	80510	255.67	11455	38.08

3

अनुबंध - XVI वर्ष 1981 से 1991-92 के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क का योजनावार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

	योजना	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988-89 (15 माह)	1989-90	1990-91	1991-92
1.	लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56	101.51	389.32	331.90	351.44
2.	लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39	. 0.33	0.12	0.06	-
3.	सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971		•		*			*		0.01	0.01	0.01
4.	लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984				0.01	0.03	0.09	0.14	0.26	0.31	0.16	0.20
5.	लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08	89.79	204.07	192.59	214.23
m 3	जोइ	40.21	57.67	71.17	87.91	105.66	127.25	145.17	191.89	593.83	524.72	565.88

*	1981	₹. 39,000/-		1985	₹ .5,000/-
	1982	₹. 73,000/-	TOTAL	1986	₹.1,000/-
	1983	₹. 14,000/-		1987	₹.7,000/-
	1984	₹. 25,000/-		1988-89	₹. 58,000/-

अनुबंध - XVII 31 मार्च 1992 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि का निवेश

(एशि करोड़ रुपये मे

						1 1	जमा बीमा निधि	4	1-5		秀可	गारंटी निधि	ery sey		साम	गन्य निषि	
क्र. स	.	विवरण	ı		भा. रि. बैंक खरीद दर %	अंकित मूल्य	बही मूल्य	मा. रि. बैं. दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	भा. रि. वैं. दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	मा. रि. बैं. दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत
1	a = 1 + 1	. 2		4	3	. 4	. 5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15
(ক)	जिन प्र	तिमूतियों मे	मूल्यहास	हुआ है			Element Comment			-5 - 78 - 8	A. *				N . 1		· ·
1.	61/2%	秀呵	2003		69.40	-		V - 1 W	V 1 -	2.66	2.66	1.85	69.55		-		
2.	63/4 %	ऋण	2006	N -	63.90	14.29	14.28	9.13	63.94	2.42	2.43	1.55	63.79	2.15	2.15	1.37	63.72
3.	63/4 %	秀可	2007		61.25	4 4	· · · · · ·	, i.,	-	1.12	1.12	0.69	61.61	-		11-	37 0
4.	7%	秀可	2009		61.85	34.63	34.66	21.42	61.80	6.00	6.01	3.71	61.73	0.05	0.05	0.03	60.00
5.	71/2%	秀可	2010	100	64.90	41.29	39.50	26.80	67.85	11.28	11.13	7.32	65.77	5.88	· 5.84	3.81	65.24
6.	8 %	ऋण	2011	7	68.15	69.12	60.44	47.10	77.93	59.91	59.35	40.83	68.80	6.80	6.24	4.64	74.36
7.	8 ³ /4 %	ऋण	2010		73.50	0.78	0.78	0.58	74.36	3.00	3.00	2.20	73.33			-	<u></u>
8.	9%	ऋण	2013	4	77.50	39.48	38.48	30.60	79.52	61.65	60.76	47.78	78.64	15.00	15.02	11.62	77.36
9.	91/2%	表可	2008		79.50	6.02	5.92	4.79	80.91	17.17	17.04	13.65	80.11	0.65	0.65	0.52	80.00
10.	10 %	ऋण	2014		85.00	45.77	45.62	38.90	85.27	- 33.05	33.06	28.09	84.97	12.00	12.02	10.20	84.86
11.	101/4 %	表呵	2012		87.20	13.41	13.42	11.69	87.11	26.17	26.20	22.82	87.10	10.26	10.27	8.95	87.15
12.	101/2 %	 表叩	2014		89.05	21.52	21.51	19.17	89.12	34.45	34.45	30.68	89.06	7.39	7.38	6.58	89.16
13.	101/2 %	ऋण	1996 (II))	99.80	9.11	9.16	9.09	99.24	25.00	25.00	24.95	99.80	- 11	-	_	A. H.
14.	111/2%	ऋण	2009		93.80	17.60	17.87	16.51	92.39	102.38	102.42	96.03	93.76		-		
15.	111/2%	ऋण	2006	. 5	95.95	85.28	86.47	81.83	94.63	20.57	20.57	19.74	95.96	2.00	2.00	1.92	96.00
16.	111/2%	ক্ত	2007	0	94.35	7	<u>-</u> .	e	1.1.		7		-	0.03	0.03	0.03	100.00

अनुबंघ - XVII (जारी)

			The second secon						-1							
1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
17.	111/2%	ऋण	2008	93.90	3.85	3.85	3.62	94.03	-, -2 11		1 m 🗕 1		2.00	2.00	1.87	93.50
18.	111/2%	秀可	2009	93.80	92.00	92.00	86.30	93.80	'-			W 1 -	J	·	-	4 ₃ : 1 <u>-</u>
19.	111/2%	海町	2015	96.65	87.12	87.14	84.20	96.63	- ·	V -			11.10	11.12	10.73	96.49
20.	111/2%	ऋण	2011 (I)	92.95	- 150 <u>-</u> 1.	No.	-	-	70.00	68.60	65.06	94.84	-1		·	A
21.	111/2%	ऋण	2011	92.25	81.32	80.36	75.59	94.06	8.68	8.42	8.07	95.84			· · · - ·	-
22.	12 %	表可	2011 (I)	अघोषित	15.00	25.00	25.00	100.00			.			· \.		-
23.	12 %	秀可	2011 (II)	- वही -	50.00	50.00	50.00	100.00	150.00	150.00	150.00	100.00	1		·	
24.	12 %	赤 呵	2011 (III)	- वही -	-9/4		_	_	100.00	100.00	100.00	100.00				-
25.	12 %	秀呵	2011 (III)	- वही -	_				10.00	10.05	10.05	100.00	-		_	-
4	ओइ "	6''			737.59	726.46	642.32	85.93	745.51	742.27	675.07	83.23	75.31	74.77	62.27	82.14
(ম্ব)	জিন মুক্তি	न्यूतियों के	मूल्य में वृद्धि हुई	1 0300	September 1					· Larwh			, i Regi	1.70	1 12	n. 77
1.	53/4 %	秀呵	2002	67.80	3.00	1.86	2.03	109.14			:) <u>-</u> -	_	is ja 🚊
	ओइ ''	ਰ''		Tradition of the	3.00	1.86	2.03	109.14		· _	-,					arte d
(ग)	भारत र	रकार के	182 दिवसीय ट्रे	जरी बिलों में वि	नवेश			10.70		Part of	de de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la compos					
	परिपक्व	ता तारीख		क्रय दर			1-546									
1.	3 अप्रैल	1992	8 7 83 A	95.27	_			· 10 · 10 · 10	774 N.		7. Do		0.23	0.22	0.22	n de est
2.	- वही -	, e () is	B-14-16-6	98.0687	0.19	0.19	0.19	2 1 4	-1-1		4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4.4	9 4 ₀₄ - 21	4.0	
3.	- वही -			98.3558	0.25	0.25	0.25				-			-	_	_
4.	1 मई 1	1992		95.1346	- N -	· -	vie i	-		·			0.46	0.44	0.44	_
5.	- वही -		200	95.1648	-	_		_	1, 1 1 e. 1	-, -	\$		0.09	0.09	0.09	
6.	- वही -			95.2253		9. 4 <u>-4</u> 7	_			naj ka is			0.50	0.48	0.48	f -
7.	- वही -			95.3764	_					i	- 1	_	0.50	0.48	0.48	V
8.	15 मई		i cació.	97.2074			_	- .	1.36	1.32	1.32		(, (-)	AV 10	de a - 1 co	-

अनुबंध - XVII (जारी)

	जोड़ ''क'' + ''ख'' + ''ग''	distra	753.71	740.89	656.92		885.87	876.28	809.07	w <u>a</u> viji	77.21	76.59	64.09	-
71 :	जोइ ''ग''		13.12	12.57	12.57	98 1 	140.36	134.01	134.00		1.90	1.82	1.82	_
2.	4 सितंबर 1992	95.9000	1.05	1.00	1.00	-	1.95	1.87	1.87	· - ·				
1.	- वही -	95.45					74.00	70.63	70.63	V			_	
20.	21 अगस्त 1992	95.5250	1.94	1.85	1.85	×, —	44.06	42.09 .	42.09	_	_		7 = 12 5	-
19.	7 अगस्त 1992	95.3250	5.00	4.77	4.77	7 . · · · · · · · · · · ·				· +	_	`-	_	
18	- वही -	95.3544			-	* <u>-</u>	0.25	0.24	0.24		4_ 1			-
17.	- वही -	95.2761	-	_	· · · · ·	84 J. T. J	0.20	0.19	0.19	<u> </u>	_		r	_
16.	- वही - १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ - १	95.25	15 -	16'-			0.80	0.76	0.76	— t	_	_	_	·
15.	10 बुलाई 1992	95.23	0.70	0.67	0.67	-	15.05	14.33	14.33			_	·	-
14.	- वही -	96.1635	2.40	2.31	2.31	- a	, ·	_	·	: <u> </u>	4	_		
13.	- वही -	96.1374	1.30	1.25	1.25	_	0.30	0.29	0.29	- "	M=	-	- 1	-
12.	- वही -	95.9286	_	_		_	0.45	0.43	0.43		_	-	/ - X 	1
11.	26 जून 1992	95.25		7 ** -		_	1.20	1.14	1.14	<u> </u>				ř
10	- वही -	95.25	-:	-	–		0.53	0.51	0.51	y - 90	0.12	0.11	0.11	., .
9.	15 मई 1992	97.2596	0.29	0.28	0.28	_	0.21	0.21	0.20	-		_	_	9
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12	13.	14.	15

(राशि करोड़ रुपये में)

	निवेशों के मूल्य में मूल्यहास 31 मार्च 1992 की स्थिति	वर्तमान प्रावधान 31 मार्च 1991 की स्थिति	किया गया अतिरिक्त प्रावधान
जमा बीमा निधि	84.17	75.55	8.62
ऋण गारंटी निधि	67.20	61.00	6.20
सामान्य निधि	12.50	12.00	0.50

दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों की 6 मार्च और 30 मार्च 1992 की सूची में दर्शीय गये खरीद और विक्रय मूल्य के अनुसार है।

तुलनपत्र, आय - व्यय लेखे और लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के (विनियम 18 -31 मार्च 1992 की कारोबार समाप्ति I जमा बीमा निधी

पिछले	वर्ष	W 8 6 7					
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	Mary	देयताए	जमा बी	मा निधि	ऋण गारं	टी निधि
लाख रुपये	लाख रुपये	. 19 1		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रूपरे
		1.	निष				
6541.00	49514.00		(वर्ष के अंत में शेष)		12246.00		75108.0
		2.	अधिशेष				
27141.33			(संलग्न आय-व्यय लेखा के अनुसार शेष)		28278.23		
7554.61	6100.24	3.	निवेश रिज़र्व : वर्ष के आरंभ में शेष	7554.61		6100.24	
			जोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध				
<u> </u>			करायी गयी राशि	862.38		619.97	***
7554.61	6100.24				8416.99		6720.2
		4.	ऐसे दावे जो प्राप्त हो गये हैं और				
			स्वीकार कर लिये गये हैं परन्तु जिनका				
	38.25		भुगतान नहीं हुआ है				71.6
		5.	प्राप्त हो चुके दावों और स्वीकार				
			न किये गये दावों के मामले में				00011.01
1818.76	35557.88	4 V 1	अनुमानित देयता		5096.62		37711.25
98.09		6.	अदावाकृत बीमा राशियाँ		82.64		1 to 17 =
		7.	अन्य देयताएं				
2233.98	9679.86		I) फुटकर लेनदार	1415.40		-12633.56	
25859.49			II) ऋण गारंटी निधि	27396.04			
7411.00			III) आयकर के लिए प्रावधान	10619.00			
35504.47	9679.86				39430.44		12633.5
78658.26	100890.23		जोड़ :		93550.92		132244.6

टिप्पणियाँ:- 1. तुलनपत्र की तारीख को जमाकर्ताओं को अदा किये गये दावों के संबंध में प्रतिस्थापन अधिकारों के रूप में निगम को 12,438.72 लाख रुपये (पिछले वर्ष 12,140.67 लाख रुपये) प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में वसूल होने वाली राशि निगम की पहले की प्रथा के अनुसार उसी वर्ष हिसाब में ली जायेगी जिस वर्ष वह प्राप्त होगी।

2. जमा बीमा निधि मैं प्राप्त परन्तु स्वीकार न किये गये दावों के संबंध में अनुमानित देयता में बैंक ऑफ कराड़ लिमिटेड के परिसमापन के कारण निगम पर आयी रु. 4543 लाख की सीमा तक देयता शामिल है। देयता का आधार उक्त बैंक की 30 जून 1991 को उपलब्ध जमा राशियों हैं। उक्त बैंक के परिसमापन के संबंध में सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जून 1992 के पत्र के अनुसार प्राप्त हुई। दिनांक 19 जून 1992 से मैट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के परिसमापन में जाने के कारण निगम पर आने वाली संमावित देयता लगभग रु. 200 लाख का प्रावधान अगले वर्ष के लेखों में किया जाएगा। उक्त दोनों घटनायें तुलन पत्र की तारीख के बाद की हैं।

उसी वारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार वास्ते एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

(रा. जानकीरामन) अध्यक्ष (सुश्री. आई. टी. वाज़) निदेशक

(एन. बी. शेट्टी) पार्टनर बंबई,

दिनांक : 24 जून 1992

(डॉ. के. के. मुखर्जी) महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित) फार्म ''क'') के समय का तुलनपत्र और ऋण गारंटी निधि

पिछले	वर्ष		and the same of the same of		Sec. 25.		
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		आस्तियौँ	जमा बीम	ा निषि	ऋण गारंट	ी निषि
लाख रुपये	लाख रुपये			लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
4.93	553.05	1,	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा		27.32		405.97
		2.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभृतियों में निवेश	3. 3. 15. 11.			
67775.24	66543.63		(लागत पर)		74088.86		87627.88
		अंकित मूल्य बाजार मूल्य	जमा बीमा निधि ऋण गारंटी निधि लाख रुपये लाख रुपये 75371.11 88587.43 65689.56 80907.67				
2389.42	2140.96	3.	निवेशों पर प्रोद्भृत व्याज		2672.69		2575.12
86.51	355.62	4.	अन्य अस्तियां I) बैंको/ऋण संस्थाओं में किस्त, गांरटी शुल्क और अधिक दावा अदाकृत के				
			रूप में बकाया II) अतिदेय किस्त और गारंटी शुल्क	117.31		730.79	
1.47	85.61		पर बकाया ब्याज III) गैर संवितरित दावों के भुगतान के रूप में बैंक के परिसमापक के पास	6.13		78.97	
0.06	- A		यशि	0.06			
			(1V) लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार				
S	47.24		की ऋण गारंटी योजना (पुरानी)	 .		137.93	
_	25859.49		V) जमाबीमानिधि	16600.55	* A THE ST AT	27396.03	
8214.81	5128.50		VI) स्रोत पर आयकर की कटौती	16638.55		13291.97	10 1 10
185.82	176.13		VII) फुटकर देनकर				· A Sych
8488.67	31652.59			1000	16762.05		41635.6
78658.26	100890.23		बोड़		93550.92		132244.6

^{3.} निगम द्वारा बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड के बंद होने के मामले में श्वित के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निगम का मानना है कि बैंक की जमा राशियों आस्तियों से पर्याप्त संरक्षित हैं।

4. जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ पिछली अविध के आँकड़े पुनःवर्गीकृत किये गये हैं।

(टी. एस. लस्वर) निदेशक (बी. डी. शाह) निदेशक (वी. महादेवन) निदेशक (आर. एल. वषवा) निदेशक

(कुमारी यू. एस. बनर्जी) मुख्य लेखाकार

पिछ	व्रते वर्ष			10 10		
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		जमा बी	मा निर्धि	ऋण ग	रंटी निषि
लाख रुपये	लाख रुपये	- व्यव	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
		दावे				11.0
3,119.95	53,429.44	क) वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	764.10	,	45.091.52	
_	38.25	ख) स्वीकारे गये किंतु अदा न किये गये दावे	, Maria in		71.63	
		बोडिये :				
		वर्ष की समाप्ति पर ऐसे दावों के मामलें में				
		अनुमानित देयता जो प्राप्त तो हो गये हैं परन्तु			A Train	
1,818.76	35,557.88	स्वीकृत नहीं किये गये हैं	5,096.62		37,711.25	San to
4,938.71	89,025.57	Takang paleng akang kah	5,860.72		82,874.40	
	12.4	घटाइए :				
		उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जो पिछले				
		वर्ष के अंत तक प्राप्त हो चुके थे किंतु जो				
1,027.97	28,633.84	अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं	1,818.76		35.557.88	
3,910.74	60,391.73		4,041.96		47,316.52	
		जोडिये :				
_		पुनरांकित की गयी अतिरिक्त व्यवस्था (दुतरफा)	_		_	100 mg
3,910.74	60,391.73	शुद्ध दावे		4,041.96	- A	47,316.52
,		निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		862.38		619.97
_	96.17	निवेश की बिक्री पर घाटा		804.26		286.95
6,541.00	49,514.00	वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)		12,246.00		75,108.00
4,633.11	·	नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष		5,881.44		
15,084.85	1,10,001.90			23,836.04		1,23,331.44
· _	3,352.57	नीवे लाया गया शुद्ध घाटा				1,536.54
3,352.57		ऋण गारंटी निधि में अंतरण (दुतरफा)		1,536.54		_
140.00	``~`.	आयकर के लिए प्रावधान (1990-91)		a, an in i i iv i		-
		वित्त वर्ष 1989-90 के लिए कम आयकर प्रावधान			14 3 1 1 1	
1,111.00	50 S	आयकर के लिए प्रावधान 1991-92		3,208.00		_
27,141.33		तुलनपत्र में लाया गया शेष		28,278.23		1 10 1 E
31,744.90	3,352.57	बोइ		33,022.77		1,536.54

टिप्पणियाँ:- 1. जो दावे प्राप्त हो चुके हैं परंतु स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनके सबंध में ऋण गारंटी निधि से संबंधित अनुमानित देयता का हिसाब लगाते समय ऐसे दावों में से सामान्यतः अस्वीकार किये जानेवाले/वापस किये जानेवाले दावों के संबंध में लघु ऋण (छोटे उधारकर्ता) गारंटी योजना, 1971 के मामले में ऐसे दावों की राशि में से 2.75 प्रतिशत जितनी राशि तथा लघु उद्योगों के लिए लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के मामले में 43.92 प्रतिशत जितनी राशि (पिछली वर्ष क्रमशः 2.26 प्रतिशत और 39.04 प्रतिशत राशि) घटा दी गयी है।

2. जिन मामलों में ऋण संस्थाओं से गारंटी अग्रिमों के विवरण प्राप्त नहीं हुए उनसे गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ भुगतानों को आय-व्यय हिसाब में लिया गया है।

3. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के संबंध में जहां गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ अथवा गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ राशियों जहाँ अपर्याप्त समझी ^{गयी} है वहाँ अपेक्षित राशि के लिए व्यवस्था नहीं की गयी है ।

इस तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार वास्ते एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

(रा. जानकीरामन) अध्यक्ष (सुश्री. आई. टी. वाज़) निदेशक

(एन. बी. शेट्टी) पार्टनर बंबई,

दिनांक : 24 जून 1992

(डॉ. के. के. मुखर्जी) महाप्रबंधक

प्रत्यय गारंटी निगम वर्ष का आय-व्यय लेखा और ऋण गारंटी निधि

पिछले	वर					
मा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	a	ाय		. जमा बीमा निषि	ऋण गारंटी निषि
लाख रुपये	लाख रुपये				लाख रुपये	ताख रुपये.
शून्य	40,549.00	वर्ष के आरंभ में निधि शेष			6,541.00	49,514.00
8,056.60		जमा बीमा किस्तों से (अविदेय किस्तों	पर ब्याज सहित)	ym Aleises.	9,348.44	
	52,471.91	गारंटी शुल्क से (अतिदेय गारंटी शुल्	क पर ब्याज सहित)		<u> -</u>	56,587.68
120.95	5,530.96	जमा बीमां संबंधी दावों के निपटान/प्रव संबंधित वसूलियाँ			466.05	5,285.73
· / -	. 19. 20 - 1	जमा बीमा दावों से संबंधित पुनरांकित	की गयी अतिरिक्त व्य	पवस्था (दुतरफा)	gvere e e c	-
6,662.11	7,963.70	निवेश से प्राप्त आय (सकत)	जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	7,480.55	10,407.49
		वर्ष 1990-91 के लिए स्रोत पर कर की कटौती पिछले वर्ष के लिए कर की कटौती	(लाख रुपये) 1248.82 1568.26	(लाख रुपये) 1366.93 1074.19		V-1.
104.06	_	निवेशों पर लाभ/हानि/बिक्री/रिडम्प्शन				-
141.13	133.76	निर्घारण वर्ष 1989-90 के लिए स्रोत की वापसी के लिए ब्याज	पर काटे गये आयक	₹		_
	3,352.57	नीचे लाया गया शुद्ध घाटा				1,536.5
15,084.85	1,10,001.90				23,836.04	1,23,331.4
4,633.11	4	नीचे लाया गया कुल अधिशेष			5,881.44	
27,111.79		पिछले वर्ष का शेष आगे लाया गया			27,141.33	-
	3,352.57	जमा बीमा निधि से				1,536.5
31,744.90	3,352.57	— बोड	3-4,73		33,022.77	1,536.5

पहले की प्रथा के अनुसार, निवेश की मूल्यहास की व्यवस्था करते समय कितपय प्रतिभूतियों के बहीं मूल्य की तुलना में उनके बाजार मूल्य में हुई वृद्धि को हिताब में नहीं लिया गया है। पर्याप्त निवेश रिज़र्व को घ्यान में रखते हुए इस वर्ष अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है। परन्तु रु. 33,500.00 लाख का भारत सरकार का 12% ऋण 2011 जिसका दिनांक 31 मार्च 1992 को भाव उद्धत नहीं किया गया और जिसके मामले में मूल्यहास पर विचार नहीं किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 6 जून 1992 को इसे रु. 96.50 की दर से उद्धुत किया गया है। अतः रु. 1,173.00 लाख के मूल्यहास का लेखों में प्रावधान नहीं किया गया।
5. निगम की पहले की प्रथा के अनुसार, ऋण गारंटी निधि दावों के निपटान पर प्रतिस्थापन अधिकारों की बजह से की गयी वसूली जिसे प्राक्किलत नहीं किया जांता, इसे प्राप्त

वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा।

6. 31 मार्च 1992 को समाप्त विचीय वर्ष के कारोबार की समाप्ति तक निधि शेष पर ऋण गारंटी निधि और जमा बीमा निधि की ओर की गयी अनुमोदित बीमांकिक के अनुसार निगम ने बीमांकिक देयता के लिए आवश्यक प्रावधान किया है। निगम ने कुछ वर्गों के अप्रिमों के मामले में गारंटी शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। इस मामले में उपर्युक्त आधार पर निगम की देयता अनुमानित रु. 8,495.00

लाख (रु. 13,000.00 लाख पिछलेवर्ष) है। चालू वर्ष के लिए आयक्त प्रावधान हेतु निधिवार आबंटन संबंधित निधि लेखों में पिछले वर्ष के घाटे/अधिक को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(टी. एस. लस्वर) निदेशक

(बी. डी. शाह) निदेशक

(वी. महादेवन) निदेशक

(आर. एल. वंधवा) निदेशक

(कुमारी यू. एस. बनजी) मुख्य लेखाकार

निक्षेप बीमा और (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (विनिमय 18 -31 मार्च 1992 की समाप्ति II सामान्य

पिछले वर्ष (लाख रुपये)	4	देयताप्	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपंये
The Transfer			Y The same of the same		
	1.	पूजी			
		निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम,			A STATE OF
5,000.00		1961 की घारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी			5,000.00
	2.	प्रारक्षित निषियौँ			
	10	क) सामान्य प्रारक्षित निश्च			
1,820.22		वर्ष के आरंप में शेष	1,694.03		100
4		जोड़िए : आय व्यय् लेखा से अंतरित अधिशोष	76.62		
126.19	100	षटाइए : आयन्त्रय लेखा से अंतरित षाटा	.,		
1,694.03		वर्ष के अंत में शेष		1,770.65	
		ख) निवेश रिज़र्व			
1,199.70		वर्ष के आरंभ में शेष	1,199.70		1. 1.
2 3		बोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि	50.54		
1,199.70		वर्ष के अंत में शेष		1,250.24	
22.51	•	ग) पूंजी रिज़र्व	44 5 MW.	22.51	
2,916.24				To the second	3,043.4
	3.	चालू देयताएँ और प्रावधान			
303.49		बकाया व्यय	316.94		
366.22		विविध लेनदार	0.54		
90.00		आयकर के लिए प्रावधान	223.00		
759.71					540.4
8,675.95		जोड़			8,583.8

टिप्पणी :- 1. पहले की प्रथा के अनुसार कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उसके बाज़ार मूल्य में वृद्धि को हिसाब में न लेते हुए निवेश के मूल्यहास को वैसे ही रखा गया

उसी वारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

(य. जानकीयमन)

(सुश्री. आई. टी. वाज़) निदेशक

(एन. बी. शेट्टी)

पार्टनर बंबई,

दिनांक : 25 जून 1992

(डॉ. के. के. मुखर्जी) महाप्रवंधक

प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित) फार्म ''क'') के समय का तुलन-पत्र निधि

पिछले वर्ष (लाख रुपये)		आस्तियाँ	लाख रुपये	लाख रुपवे
	-,450			
A graduate	1.	TAGE		
0.08	J. A.	i) हाय में	0.12	
6.51		ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	4.99	
6.59			The second second second	5.11
		그리다 모르는 이번 수 가는 아름이 걸어 있었다.		
7,822.48	2.	भारत सरकार की प्रतिभृतियों में निवेश (लागत पर)		7,658.68
the state of the		अंकित मूल्य 7,720.49		of Same
		बाज़ार मूल्य 6,408.43		
266.78	3.	निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		273.16
		경우다 하는 이 아들이 하는 생생들이 되었다. 나		
	4.	अन्य आस्तियाँ	a the second	
26.80		क) मूल्यहास घटाकर फर्नीवर, जुड़नार और उपकरण	23.20	
1.48		ख) लेखन सामग्री का स्टाक	1.49	
0.40		ग) पूर्वदत्त व्यय	2.70	
	. 20	 घ) व्ययों के लिए अप्रिम, भारतीय रिज़र्व बैंक से 		
51.78		वसूली योग्य स्टाफ को दिये गये भन्ने और अन्य जमा गशियाँ	41.50	
499.64		ह) स्रोत पर आयकर की कटौती	578.04	
580.10			Year a Harristan a T	646.9
				8,583.8

2. जहाँ अपेक्षित हुआ वहाँ पिछले वर्ष के आँकडों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

(दी. एस. लस्वर) (बी. डी. शाह) (वी. महादेवन) (आर. एल. वषवा) निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक

> (कुमारी यू. एस. बनजी) मुख्य लेखाकार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

फार्म "ख" 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा II सामान्य निधि

-	आय	पिछले वर्ष (लाख रुपये)	लाख रुपये	ठ्यय	पिछले वर्ष लाख रुपये)
लाख रुपये		(che viv)	लाख रुपप		
778.62	निवेशों से प्राप्त (सकल)	761.11	663.07	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	693.84
	(स्रोत पर आयकर की कटौती रु. 182.37 लाख)		17.72	कर्मचारी पेंसन और उपदान निधि में अंशदान	27.02
	(पिछले वर्ष : रु. 175.23 लाख)	*	0.01	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	_
304.12	लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी	0.90	0.15	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते	0.06
	योजना (पुरानी) के अधीन अदा किये गये दावों के		79.49	किराया कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	85.29
	लेखों में से प्राप्त वसूलियाँ		11.90	स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते	9.48
-	निर्घारण वर्ष 1989-90 के लिए स्रोत पर काटे गये आयकर के लिए ब्याज	24.47	5.19	मुद्रण और लेखन सामग्री	6.40
0.63	विविध प्राप्तियाँ	0.82	4.38	डाक, तार और टेलीफोन	4.12
-	वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च को	76.19	0.35	लेखा परीक्षकों का शुल्क	0.35
	कम करने पर शेष नीचे लाया गया		0.59	विधि प्रभार	1.47
			35.94	विविध व्यय	30.22
+			4.42	मूल्यहास	5.24
		*	50.54	निवेश पर मूल्यह्मस के लिए प्रावधान	_
			133.00	वित्त वर्ष 1991-92 के आयकर के लिए प्रावधान	-
			76.62	वर्ष के लिए आय कि तुलना में अधिक खर्च नींचे लाया गया	-
1,083.37	जोड़	863.49	1,083.37	जोड़	863.49
	सामान्य रिज़र्व में अंतरित आय से अधिक व्यय शेष	126.19		शेष बी/डी	76.19
76.62	शेष बी/डी	_	_	आयकर वर्ष 1989-90 के लिए कम प्रावधान	50.00
			76.62	आय ^{ें} की तुलना में अधिक खर्च सामान्य प्रारक्षित ्रं निष्ठ में अन्तरित किया गया	
76.62	जोड़	126.19	76.62	जोइ	126.19

टिप्पणियाँ:- 1. भारत सरकार ने निगम को लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन 31 मार्च 1986 तक दावा अदाकृत खातों से प्राप्त/प्राप्य वसूलियाँ धारित करने की अनुमित दी है और ऐसी वसूलियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत सामान्य निधि के आय व्यय लेखे के हिसाब में रखा गया है। इस वर्ष में ऐसी कोई वसूली नहीं हुई है। तथापि पारत सरकार ने 1 अप्रैल 1986 से 31 मार्च 1991 के दौरान दावा अदाकृत खातों में की गयी वसूलियों रु. 304.12 लाख (पिछले वर्ष शून्य) को लघु उद्योगों के लिए उनकी योजना (पुरानी) के संबंध में अवशिष्ट कार्यों के प्रबंध के लिए संस्थागत खर्च के रूप में अपने पास रखने की अनुमित दी है।

2. वेतन, भने, भविष्य तथा उपदान निधि में अंशदान जैसे कर्मचारियों की लागत को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार किया गया, चूँिक निगम के स्टाफ सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निगम की सेवा में कार्यरत हैं।

3. निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए आयकर माँग के संबंध में निगम की आकस्मिक देयता रु. 4,86,09,388.00 है, जो अपील के अधीन है । तथापि विभाग द्वारा इसका समायोजन निर्घारण वर्ष 1988-89 की आयकर वापसी के अंतर्गत किया गया है।

इस ताराख का हमारा सलग्न रिपोर्ट के अनुसार वास्ते एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार (एन. बी. शेट्टी)	(रा. जानकीरामन) अध्यक्ष	(सुश्री. आई. टी. वाज़) निदेशक	(टी. एस. लस्वर) निदेशक
(५न. ब ा. राष्ट्रा) पार्टनर	(बी. डी. शाह) निदेशक	(वी. महादेवन) निदेशक	(आर. एल. वधवा) निदेशक
बंबई, दिनांक : 24 जून 1992	(हॉ. के. के. मुख सहायतंत्रक	ाजीं) (कुमारी यू.	एस. बॅनजी)

महाप्रबंधक

मुख्य लेखाकार

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार 14/2 वेस्टर्न इंडिया हाऊस, सर पी. एम. रोड, बम्बई 400 001.

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1992 तक के (I) जमा बीमा निधि तथा ऋण गारंटी निधि और (II) सामान्य निधि के उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्रों तथा उक्त निधियों के संलग्न आय, व्यय लेखों की भी लेखा परीक्षा की है। इस संबंध में हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

- (I) लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध कराये गये;
- (II) उपर्युक्त तुलन पत्र और आय व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार और घोषित किये गये हैं।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखों पर दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सूचना प्रस्तुत करते हैं और निम्नलिखित के संबंध में वास्तविक और सही स्थिति को दर्शाया गया है :

- (क) तुलन पत्रों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि और (II) उपर्युक्त निधियों की सामान्य निधि की 31 मार्च 1992 की स्थिति ।
- (ख) आय व्यय लेखों के संबंध में (I) जमा बीमा निधि और सामान्य निधि के मामले में अतिरिक्त और (II) निगम की ऋण गारंटी निधि के घाटे की, उपर्युक्त तारीखों की स्थिति ।

वास्ते एन. बी. शेट्टी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

₹.

(एन.बी.शेट्टी) पार्टनर

बम्बई, दिनांक 24 जून, 1992

कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा

प्रस्तावना

1.1 बैकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य बैंक के फेल हो जाने पर विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी बचतों की राशि की हानि के जोखिम से रक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार की रक्षा से जनता के मन में विश्वास पैदा करके बैंकिंग की आदतों को बढ़ाने और बैंकों द्वारा साधनों के जुटाये जाने में सहायता करना, जिनके फलस्वरूप जिन उद्देश्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है उनके लिए इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। छठे दशक और सातवें दशक के पूर्ववर्तीं भाग में कुछ बैंकों के दिवालिया हो जाने के कारण और उसके फलस्वरूप राशियाँ जमा करने वाले लोगों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति फिर से विश्वास अर्जित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई थी।

तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो ऋण गारंटी योजनायें शुरु की गई थीं वे अब तक उपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के परवर्तीं भाग में की गई कार्रवाई की श्रृंखला के रूप में शुरु की गई थी। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यों और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनभव करते हैं । एक ओर जहां बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता थी वहां दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं । ये कठिनाइयाँ मुख्यतः ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचिकचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में विशेषकर आधारभूत स्तर पर, उनकी झिझक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय ऋण गारंटी निगम मर्यादित की कल्पना एक एजेंसी के रूप में की

गई थी जो उस प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त दोहरे और मिलते-जुलते कार्यों का एकीकरण करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों का विलयन किया गया तथा निगम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

निक्षेप बीमा सोजना :

संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरु की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों सिहत) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमाराशियों के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों के सहकारी बैंकों की जमाराशियों के लिए भी इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी सिमितियां अधिनियमों से संशोधन करने के लिए उन्हें समर्थ बनानेवाले विधान पारित कर लिए हैं। इसके अंतर्गत आनेवाले भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार निक्षेप बीमा कलाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है तथा उसके अंतर्गत उन राज्यों के केवल 87 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी आवश्यक विधान पारित करना है।

बीया सुरक्षा की सीया

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता 30,000/- रुपयों की अधिकतम मौद्रिक सीमा के अधीन संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसकी जमाराशियों की अदायगी प्राप्त करने का हक़दार है।

बीमा प्रीयियम

बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रित सौ

रुपये के लिए 4 पैसे वार्षिक की दर से अदा की जानेवाली बीमा प्रीमियम के बदले में की जाती हैं। यह प्रीमियम छमाही अंतराविधयों में वसूल की जाती हैं। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रीमियम को वहन करें तािक जमाकर्ताओं को बीमा का संरक्षण निःशुल्क प्राप्त हो सके।

बीमा के दावों की अदायगी

- 5.1 जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से 30,000/- रुपयों तक की जमाराशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमाराशियों का पूरा पैसा जमा करा सके, तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी पूरी जमाराशि तथा समामेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि के बीच (अथवा 30,000/- रुपयों में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।
- 5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरिती बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/समामेलन किये जानेवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करें।

ऋण गारंटी योजनाएं गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड लघु उधारकर्ताओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं को चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा ने ऋण गारंटी के उसके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया । भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनाएं तैयार की गई थीं उन्हें निगम द्वारा जारी रखा गया है जिनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को इसके लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाये तािक वे (किसानों सहित) गैर औद्योगिक कार्यकलापों में लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सकें।

- 6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई ऋण गारंटी योजना (भारतीय रिज़र्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार द्वारा 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत किया जाए। तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में। अप्रैल 1981 से एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह सरकार के एजेंट के रूप में रद्द की गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्राद्भूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी करे। निगम लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायता प्रदान करता आ रहा है।
- 6.3 विशेषज्ञ सिमित, 1987 को सिफारिशों के अनुसार ऋण गारंटी योजनाओं की सीमा को 1 अप्रैल 1989 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को गारंटी रक्षा के लिए लागू किया गया। परन्तु कुछ ऋण संस्थाओं के अनुरोध पर निगम ने केन्द्र/राज्य सरकारों, निर्यात ऋण गारंटी निगम आदि द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों की कुछ श्रेणियों को गारंटी शुल्क की अदायगी की दृष्टि से सम्पूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों से वर्ष 1990-91 से अलग रखने की अनुमित दी है। परिणामस्वरूप इन अग्रिमों के मामले में निगम की गारंटी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।
- 7.1 मार्च 1992 के अंत तक निगम की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएँ इस प्रकार थीं :
 - (i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
 - (ii) लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971
 - (iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
 - (iv) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981
 - (v) लघु ऋण (सहकारी ऋण सिमितियाँ) गारंटी योजना,1982
 - (vi) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

- 7.2 शून्य/नगण्य सहभागिता और सहभागी संस्थाओं द्वारा गारंटी शुल्क के भुगतान में निरन्तर चूक किये जाने के कारण योजना संख्या (ii), (iii) और (v) को 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दिया गया है।
- क) लघु ऋण गारंटी योजना 1971, अप्रैल 1971 से लागू की गयी। इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र को रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार स्वीकृत अग्रिम शामिल हैं। इनमें कृषकों और खेतिहारों लघु सड़क और जलपरिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों लघु व्यावसायिक उपक्रमों व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण सुविधाएँ तथा शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण आते हैं।
- ख) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 पहली अप्रैल 1981 से शुरु की गई और उसके अंतर्गत अचल आस्तियों अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग यूनिटों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।
- ग) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 के अंतर्गत वे ऋण सुविधाएँ शामिल हैं जो पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा के अंतर्गत स्वीकृत की गयी हैं। इनमें कृषि की सहायक गतिविधियाँ, सड़क और जल परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यावसायिक उपक्रम, व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति और शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण शामिल हैं। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (जीजी) की परिभाषा के अनुसार सभी पात्र लाइसेंस प्राप्त (शहरी) सहकारी बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रात्रता प्राप्त के रूप में अनुशंसित पात्र गैर लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक योजना की सहभागिता के लिए पात्र हैं।

विभिन्न योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को अनुबंध में सारणीबद्ध किया गया है। गारंटी शुल्क

8. ऋण संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोडकर) के अधीन बकाया जमाराशियों पर निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी करने पर ही गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। गारंटी शुल्क की वार्षिक दर 1 अप्रैल 1989 से 1.50 प्रतिशत प्रति वर्ष है। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में उनके शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक सामान्य दर से आधा (अर्थात् 0.75 प्रतिशत वार्षिक) गारंटी शुल्क अदा करने के लिए अनुमित दी गई है। गारंटी को बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी नियमित रूप से की जानी चाहिए।

गारंटी सुरक्षा - प्रमुख विशेषताएं

- क) स्वचालित थोक सुरक्षा
- 9.1 निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी की रक्षा केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में शामिल हैं तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से गारंटी शुल्क अदा करती हैं। वे योजनायें स्व-चालित थोक सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती है और उनके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वतः ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः सहभागी ऋण संस्थाएं गारंटी रक्षा की परिधि से किसी भी पात्र ऋण सुविधा को अलग करने के लिए मुक्त नहीं है।
- ख) लाभ प्राथमिकता प्राप्त उथारकर्ताओं तक ही सीमित
- 9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न हो जाएँ, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं फुटकर व्यापारियों के मामले में कुल बिक्री की

उच्चतम सीमा कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघु उद्योग के यूनिटों के मामले में संयंत्र और मशीनों का मूल्य । इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की भी संपूर्ण सीमाओं को निर्धारित किया है ।

गारंटी को लागू करना

10. गारंटी के अधीन दावा प्रस्तुत करने से पहले ऋण संस्थाओं को पांच शर्तें पूरी करनी होती हैं, वे इस प्रकार हैं, i) पात्र अग्रिमों की प्राप्ति के बाद कम से कम 3 वर्ष की अवधि पूरी हो गयी हो, ii) संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की बकाया जमाराशियों पर देय गारंटी शुल्क की अदायगी जब कभी देय हुई तब कर दी गयी है, iii) ऋणकर्ता को पूरी बकाया राशियाँ चुकाने के लिए माँग नोटिस जिस तारीख को तामील किया गया हो उसके एक माह के भीतर गारंटी के अंतर्गत आनेवाले अग्रिम की अदायगी न की गई हो, iv) ऋण संस्थाओं द्वारा यह मान लिया गया हो कि अग्रिम वसूली के लिए अशोध्य अथवा संदिग्ध है और v) ऋण संस्था की बहियों में उसके लिए उसी प्रकार का प्रावधान किया गया हो अथवा उसको उसी प्रकार से हिसाब में लिया गया हो । निगम को ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षा करनी होगी कि वे गारंटी लागू करने से पहले उधारकर्ताओं, जमानतों के विरुद्ध और जहां कहीं जमानतों से वसूली की जा सकती हो वहां उसके लिए करागर कार्रवाई करें ।

निगम योजनाओं में पात्र कार्यकलापों के विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कतिपय निरपेक्ष सीमाओं के अधीन, यथास्थिति 'चुक की राशि' का 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत अदा करता है अधिक छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। दावों की अदायगी के बाद दावा करनेवाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बकाया ग्रशियों की वसूली के लिए लगातार कारगर कार्रवाई करें और प्रतिस्थापन अधिकारों के फलस्वरूप वसुली के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई हो उसका खर्च वसूली हुई राशि में शेष घटाकर वसूली राशि में निगम का अंश उसे प्रेषित कर दें । ऋण संस्थाओं को निम्नलिखित मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। प्रतिभृति/जामिन को मुक्त करना, कानूनी कार्रवाई से छूट देना, बकाया राशियों के लिए समझौता करना और उन्हें कम करना तथा अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत आनेवाले मामलों के संबंध में बकाया राशियों को बट्टे खाते में डालना । अन्य सभी मामलों में उनके लिए यह आवश्यक है कि वे निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें । किसी उधारकर्ता से संबंधित गारंटी के लागू किये जाने और उससे संबंधित दावे की अदायगी हो जाने पर उस उधारकर्ता को प्रदान किये जानेवाले दूसरे किसी ऋण के लिए निगम की गारंटी सुरक्षा उस समय तक उपलब्ध नहीं होती जब तक पहले निपटाये गये दावे के लिए निगम को देय राशि की अदायगी न कर दी गई हो।

अनुबंध ऋण गारंटी योजनाएं - प्रमुख विशेषताएं

	योजना	Ť	सहभागी पात्र संस्थाएं	उधार	कर्ताओं की श्रेणी	गारंटी शुल्क	गारंटी सुरक्षा
(1)			(2)	(3)		(4)	(5)
(क)	छोटे उ	यारकर्ता					
		घु ऋण ारंटी योजना,	वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों सहित)	i)	परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथ 1,50,000/- रुपये में से जो कम हो
	1	971				प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क	
		×				की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक)	*
				ii)	फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथ 25,000/- रुपये में से जो कम हो
				iii)	व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्तियों तथा कारोबारी उद्दमों	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथ 50,000/- रुपये में से जो कम हो
				iv)	कृषक तथा खेतिहर प्रत्यक्ष वित्त		4
					1) फसल उगाही	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अ 10,000/- रुपये में से जो कम हो
					2) विकास कार्यों के लिए	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अर 20,000/- रुपये में से जो कम हो
					 विशेष परिस्थितियों के अधीन फसल ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए 	वहीं .	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अर 30,000/- रुपये (अर्थात 10,00 रुपये x 3) में से जो कम हो
					4) संबंद्ध कार्यकलापों के लिए		
					i) मछली पालन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अध 37,500/- रुपये में सें जो कम हो
				,	ii) रेशम उत्पादन	. वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अध 18,750/- रुपये में से जो कम हो
				3	iii) पशु पालन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अ 15,000/- रुपये में से जो कम हो
		*			iv) मुगीं पालन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अर 22,,500/- रुपये में से जो कम ही
					v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अ 15,000/- रुपये में से जो कम हो
						(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए र	and the second s

(1)	(2)	(3)		(4)	
				(4)	(5)
			कृषि उद्योग के लिए अप्रत्यक्ष वित्त (शीतगार के निर्माण तथा चलाने और सीमा शुल्क सेवा इकाइयों को छोड़कर जो लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में अंतर्भृत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार)	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्निमों पर 1.5 प्रतिशत के एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जायें (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक)	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये जो प्रति उघारकर्ता घटक/ संस्था जो कम हो ।
		33)	श्रीक्षणिक पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा वित्त प्रस्तुत की गयी विशोष योजना के अंतर्गत शौक्षिक प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा व्यक्तिगतों को दी गई ऋण सुविधाएं।	क्ह्री	चूक की ग्रीश का 60 प्रतिशत
		×	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठनों विशेष प्रयोजनों के लिए निवेश योग्य वस्तुओं की खरीद/आपूर्ति और/या लाभान्वितियों को उत्पादों के विषणन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रवर्तित संगठनों को मंजूर किये गये अग्रिम।	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में से जो कम ह्ने उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था
			आवास-प्रत्यक्ष वित्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को आवास निर्माण के लिए 5,000/- रुपये तक दिये गये ऋण ।	वर्द्ध	चूक की यशि का 60 प्रतिशत
		ix)	आवास-अप्रत्यक्ष वित्त		*
		i	i) विशेषकर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों और न्यूनतम आय समूहों के हितों के लिए और जहाँ ऋण घटक प्रति इकाई 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है वहाँ आवास निर्माण के प्रयोजनार्थ किसी भी सरकारी एजेन्सी को दी गयी वित्तीय सहायता।	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता षटक/संस्था
		i	i) विशेष रूप से उिल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन गंदी-बस्ती निर्मूलन और गंदी-बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए किसी भी सरकारी एजेन्सी को दी गई वितीय सहायता	वही	वही
				वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत

(1)		(2)	(3)	~~~	(4)	(5)
ii)	लघु ऋण	प्राथमिक (शहरी)	i) परिवहन चालक		प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकत	~
+ ,	(सहकारी बैंक)	सहकारी बैंक			प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5	
	गारंटी योजना,				प्रतिशत की एक समान दर से परिकल-	ſ,
	1984				कर प्रतिवर्ष जमा किये जाये ।	
					*	
			ii) फुटकर व्यापारी		वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथव
						25,000/- रुपये में से जो कम हो
	Legis 1	x 1 4	iii) व्यवसायी और स्व	न-नियोजित व्यक्ति	- वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा
			तथा कारोबारी उद्द			50,000/- रुपये में से जो कम हो
					,	_
			iv) शैक्षणिक ऋण		वही	चूक की यशि का 60 प्रतिशत
			58V - CSANOSAVVARA - 455751		4	•
			v) 500 रुपये तक व्य	क्तिगत उपभोग ऋण	वहीं	वही
			7 200 (11 (11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-0	461
			vi) निम्नलिखित के लि	ग आताम च्या रूपमे		
			25,000/- से अधि			•
			क) व्यक्तिगत		2	• • •
			क) व्यक्तिगत ख) सरकारी एजेन्स	a	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत
			व) सरकार एवन	11	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा
						60,000/- रुपये में से जो कम हो उस
					1 * .	तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था
			vii) कृषि से संबंद्ध कार्य	A.WIII		
				- Active		
			i) मछली पालन		वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा
					v. 1	37,500/- रुपये में से जो कम हो
		i -	ं ii) रेशम उत्पादन		वहीं .	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा
	3 7 4 2 4					18,750/- रुपये में से जो कम हो
1.00						1
			iii) पशु पालन		वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा
						15,000/- रुपये में से जो कम हो
						25,000/ 411 1/ (1 4) 4/1 (4
			iv) मुर्गी पालन		वही	
						चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा
					v v	22,,500/- रुपये में से जो कम हो
			v) डेरी उद्योग			×
			7 04 0414		वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा
				*		15,000/- रुपये में से जो कम हो
			vi) बैलगाड़ियों,	*****		
			लदाईवाले जानवरे	ऊँटगाड़ियों,	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा
	1		खरीद खरीद	। आद का		10,000/- रुपये में से जो कम हो
			હા (પ			
				P		
				(1	रक से अधिक कार्यकलाप के लिए सम	स्य उन्हातम सीमा रूपने ६०,०००८)


(एक स आधक कार्यकलाप के लिए समग्र उच्चतम सीमा रुपये 60,000/

(1)		(2)	(3)		(4)	(5)
ন্ত্ৰ)	लघु उद्योग III) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों सहित), सहकारी बैंकों, राज्य वित्त निगम और राज्य विकास एजेंसियाँ		लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सिंहत) जिन्हें समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता घटक 2 लाख रुपये से अनिधक ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत के एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये।	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो
			ii)	विना किसी सीमा के ऋण सुविधाओं सिंहत पिछड़े क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाइयाँ	वही	वही
			iii)	2.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं वाली पिछड़े क्षेत्रों के अलावा अन्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकइयों सहित)	वही	कुल चूक की राशि का 50 प्रतिशत या 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो
			लघु	उद्योग क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त		
			i)	कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की निवेश वस्तुओं की आपूर्ति और उत्पादन के विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता में लगी एजेंसियाँ ।	वही	(क) समग्र रूप में प्रति उघारकर्ता 2 लाख रुपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में जो कम हो।
						(ख) समप्र रूप में प्रति उघारकर्ता 2 लाख रुपये से अधिक की कण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में जो कम हो ।
			ii)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमज़ोर वर्गों को निधि प्रदान करनेवाले सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन (वशर्ते कि उन्हें सरकार या किसी अन्य की गारंटी रक्षा प्राप्त न हो 1)	वही	वही
			iii)	शीतगार के निर्माण और उनको चलाने के लिए ऋण	वही	(ऊपर बताये अनुसार) चूक की राशि का 60 प्रतिशत/50 प्रतिशत या 2 लाख रुपये (कार्यगत पूंजी और मीयार्व ऋणों प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये जो भी कम हो ।
2:			iv)	टैक्टरों, बुलडोजरों, कुओं खोदने के उपकरणों, धेशर्स, कंबाईन आदि के समूह का रखरखाव करनेवाले और संविदा आधार पर किसानों का कार्य करनेवाले व्यक्तिगत संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंध की गयी ग्राहक सेवा इकाइयों	वही	वही
			v)	को अग्रिम । औद्योगिक संस्था औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए ऋण	वहीं	वही

बीमाकृत खातों की संख्या


(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को) (लाख में)

NUMBER OF INSURED ACCOUNTS (AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)



बीमाकृत जमाराशियों की रकम (प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को) (करोड़ रुपये)

AMOUNT OF INSURED DEPOSITS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)



वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों में बीमा रक्षा


(जून 1991 के अंतिम शुक्रवार को)

EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS IN INSURED BANKS (LAST FRIDAY OF JUNE 1991)

खातों की कुल संख्या 3,287 OO लाख TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS 3,287 OO LAKHS

अंशतः रक्षित खाते (3-6%), PARTIALLY PROTECTED ACCOUNTS (3-6%)

पूर्णतः रक्षित खाते (96 · 4 %) FULLY INSURED ACCOUNTS (96 · 4 %) निर्घारणीय जमाराशियों की कुल रकम I,86,307 39 करोड़ रुपये TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS Rs. 1,86,307 39 CRORES




छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि

(जून के अंत तक) (करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(END OF JUNE) (CRORES OF RUPEES)



मार्च के अंत तक END OF MARCH

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्र-वार विश्लेषण (मार्च 1991 के अंत की स्थिती)

1987

1988

1989

1990

1991

1985


SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(AS AT THE END OF MARCH 1991) तालिका CHART X


1983

208-39 1972

1981




संख्यावार और राशिवार छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान




लघु उद्योगों से संबंधित निगम की गारंटी योजना के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि (करोड़ रूपये)


GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME RELATING TO SMALL-SCALE INDUSTRIES (CRORES OF RUPES)



लघु उद्योगों के लिए निगम की गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान



लघु उद्योगों के लिए सरकार की गारंटी योजना (अब रद्द) के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GOVERNMENT'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES (SINCE CANCELLED)



DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by an Act of Parliament)

Head Office: 6th Floor, New India Centre, 17, Cooperage Road, Bombay 400 039.

30th Annual Report of the Board of Directors,

Balance Sheets and Accounts

for the year ended

31 March 1992

CONTENTS

1.	Letters of Transmittal	Page No. iii & iv
2.	Board of Directors	V
3.	Organisation Chart	vi .
4.	Offices of the Corporation	vii
5.	Principal Officers of the Corporation	viii
6.	Corporate Profile	İx
7.	Highlights - Progress at a glance	x
8.	Directors' Report	1
9.	Annexures to the Directors' Report	12
10,	Balance Sheets & Accounts	34
11.	An Outline of Functions & Activities	43

LETTER OF TRANSMITTAL (To the Reserve Bank of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

MMARCH WILLIAM TOWNS

are in the second of the second

we work that I had I have been developed

Meant of the tiple and the trail search region.

No sto-mark or vincentary.

Committee Research

POSTACIONES EN POSTA

New India Centre, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, Bombay 400 039.

29 June, 1992 8 Asadha 1914 (Saka)

DICGC/94/06.02/015/92-93

The Secretary, Reserve Bank of India, Secretary's Department, Central Office, Central Office Building, BOMBAY 400 023.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1991-92.

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

- the audited Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1992 together with signed copy of the Auditors' Report and
- (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1992.

Yours faithfully,

sd/-(K. K. Mukerjee) General Manager

LETTER OF TRANSMITTAL (To the Government of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

New India Centre, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, Bombay 400 039.

29 June 1992 8 Asadha 1914 (Saka)

DICGC/95/06.02/016/92-93

The Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Banking Division), Jeevan Deep Building, 6, Parliament Street, NFW DELHI 110 001.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1991-92

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

- the Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1992 together with the Auditors' Report and
 - (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1992.
- 2. Copies of the above Balance Sheets and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.
- 3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz. the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act ibid.

Yours faithfully,

sd/-(K. K. Mukerjee) General Manager

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

R. JANAKIRAMAN

Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

Ms. I.T. VAZ

Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay

Nominated by Central Government under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

T. S. LASCHAR

Joint Director, Department of Economic Affairs (Banking Division), Ministry of Finance, Governemnt of India, New Delhi.

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

B. D. SHAH

Chairman cum Managing Director, New India Assurance Co. Ltd., Bombay

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. S. NADKARNI


Chairman and Managing Director, Industrial Development Bank of India, Bombay. (Till 12 November 1991)

V. MAHADEVAN

Managing Director, State Bank of India, Bombay.

R. L. WADHWA

Chairman and Managing Director, Allahabad Bank, Calcutta.



OFFICES OF THE CORPORATION

HEAD OFFICE	New India Centre, 4th, 5th, 6th, 7th & 8th Floors, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, Bombay 400 039.		Telegram 'CREDITGARD'
	General Manager Board Section	202 7323 202 0299	
	i) Dy. General Manager	202 2408	0.4 A B 16.0
	SSI Credit Guarantee Department Accounts Department Administration Department	202 0299	Salah I Amerikan
	ii) Dy. General Manager	204 4876	SALTERALISE TO
	Deposit Insurance Department Non-Industrial Credit Guarantee Department Computer Division	part in the second	occus 4 Orack occus 4 Print 1 radio 3 Maria 2 sance 3 Maria 3
BRANCHES			
(1) NAGPUR	Reserve Bank of India Building, Near High Court, Nagpur 440 001.	521406 532321 532357	'CREDITGARD'
(2) CALCUTTA	8, Council House Street, 1st Floor, Post Box No. 17, Calcutta 700 001.	281154 286029	'DISINGUAR'
(3) MADRAS	Kuralagam Building 3rd Floor, Esplanade, Post Box No. 5021, Madras 600 108.	560524 560239	'CREDITGARD'
(4) NEW DELHI	Reserve Bank of India Building 6, Sansad Marg, Post Box No. 123,	371 6487 371 0538 t	'DEPOSITINS' o 42

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

GENERAL MANAGER

Dr. K. K. Mukerjee (till 29 July 1992) Shri S. K. Kapur (with effect from 29 July 1992)

DY. GENERAL MANAGERS

CHIEF ACCOUNTANT

Shri B. A. Rao Shri A. L. Bhatia

Kum. U. S. Banerjee

OTHER OFFICERS

MANAGERS

SECRETARY

Shri O. P. Arora

Shri K. P. Tekchandani (Till 30 June 1992)

Shri G.M. Deshpande

Shri J. P. Sharma

Shri R. G. Tawde

BRANCH MANAGERS

NAGPUR

CALCUTTA

Shri N. K. Saha

Shri. S. N. Ganguly

MADRAS

NEW DELHI

Shri J. A. Gregory

Shri S. S. Sethi

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

AUDITORS

M/s. N. B. Shetty & Co. Chartered Accountants Bombay - 400 001.

CORPORATE PROFILE

Objects & Purpose

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January, 1962. With effect from 15 July 1978, it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited a public limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January, 1971 with a view to integrating the twin and cognate functions of giving insurance protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of the society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April 1981, it extended its guarantee support to credits granted to small scale industries also, after cancellation of Government of India's Scheme in that behalf.

The Corporation's twin objectives are to provide for the benefit of depositors in banks, insurance against the loss of all or part of their deposits in all branches of a bank to a maximum of Rs. 30,000/- and to provide guarantee support to credits extended by participating institutions viz. commercial banks (including Regional Rural Banks), co-operative banks, state financial corporations and other term lending institutions. Till 31 March 1989, the guarantee support covered (a) certain categories of small borrowers (such as farmers, transport operators, retail traders, small business enterprises, self - employed persons etc.) and (b) small scale industries. Effective from 1 April, 1989 guarantee cover is extended to entire priority sector (as per Reserve Bank's definition)

advances. However, since 1990-91, certain categories of advances which are guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. have been excluded therefrom.

The Corporation maintains two separate funds for Deposit Insurance and for Credit Guarantee which are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, one more fund called General Fund, is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment and administrative expenses are met from the investment income out of this fund.

The authorised capital of the Corporation is Rs. 50 crores which is entirely issued and subscribed by Reserve Bank of India.

The Corporation was granted exemption from payment of income tax till 31 December 1986. Efforts are continuing to obtain permanent exemption.

The management of the Corporation vests in a Board of Directors of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India is the Chairman. The Board is assisted by a Claims Committee and an Investment Committee headed by the Nominee Director of Reserve Bank of India. The General Manager is the Chief Executive of the Corporation.

The Head Office of the Corporation is at Bombay. It has four branches at Nagpur, Calcutta, Madras and New Delhi. The Corporation has no subsidiaries or affiliates.

HIGHLIGHTS - PROGRESS AT A GLANCE

(Amount in crores of rupees)

	year-	end	1962	1972	1978	1982	1984	1987	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1.	Cap	oital	1	1.5	10	15	50	50	50	50	50	50
2.	Dep	oosit Insurance			i A y	1,4						1.4
	(i)	Deposit Insurance Fund	1	25	76	154	219	@	@	@	@	@
	(ii)	Insured Banks	276	476	1,021	1,683	1,805	1,898	1,903	1,921	1,922	1,931
	(iii)	Assessable Deposits	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	1,03,044	1,26,864	1,40,746	1,56,892	1,86,307
	(iv)	Insured Deposits	448	4,656	15,369	31,774	46,340	75,511	90,192	1,01,682	1,09,316	1,27,925
	(v)	Accounts (in lakhs)	77	341	931	1,598	2,026	2,569	2,781	3,142	3,089	3,287
	(vi)	Fully Protected Accounts (in lakhs)	60	328	916	1,581	2,000	2,518	2,705	3,059	2,983	3,169
	(vii)	Claims paid	. ·	1	2	3	3	44	69	100	131	139
3.	Cred	dit Guarantee	ve in the		-	7 -7						
		on obsidince		10 4 7				Contract of the second	11			
	(i)	Credit Guarantee Fund			27	89	118	@	@	@	@	@
	(i) (ii)	The second second second			27	89	118	@	@	@	@	@
		Credit Guarantee Fund		208	27 1,715	89 4,840	118 7,104	@ 11,116	@ 14,291	@ 25,586		
		Credit Guarantee Fund Guaranteed Advances		208				w.J.	. News		27,692	29,181
		Credit Guarantee Fund Guaranteed Advances (a) Small Borrowers		208		4,840	7,104	11,116	14,291	25,586		
	(ii)	Credit Guarantee Fund Guaranteed Advances (a) Small Borrowers (b) Small-Scale Industries		208		4,840	7,104	11,116	14,291	25,586 14,094	27,692 16,826	29,181 17,362
	(ii)	Credit Guarantee Fund Guaranteed Advances (a) Small Borrowers (b) Small-Scale Industries Claims Received (for the year)		208	1,715 	4,840 3,822	7,104 4,891	11,116 7,738	14,291 10,465	25,586 14,094 356	27,692 16,826 505	29,181 17,362 410
	(ii)	Credit Guarantee Fund Guaranteed Advances (a) Small Borrowers (b) Small-Scale Industries Claims Received (for the year) (a) Small Borrowers		208	1,715 	4,840 3,822 25	7,104 4,891	11,116 7,738 255	14,291 10,465 364	25,586 14,094	27,692 16,826	29,181 17,362 410 220
	(ii) (iii)	Credit Guarantee Fund Guaranteed Advances (a) Small Borrowers (b) Small-Scale Industries Claims Received (for the year) (a) Small Borrowers (b) Small-Scale Industries		208	1,715 	4,840 3,822 25	7,104 4,891	11,116 7,738 255	14,291 10,465 364	25,586 14,094 356	27,692 16,826 505	29,181 17,362 410

@ In view of the amendments to the forms of Balance Sheet and Revenue Account on account of actuarial valuation of the Corporation's liabilities, the Credit Guarantee Fund disclosed net surplus (+) / deficits (-) as under :-

Year	Amount
	(Rs. in crores)
1987	(-) 264.72
1988-89	(-) 148.99
1989-90	(+) 188.64
1990-91	(-) 33.52
1991-92	(-) 15.37

The surplus/deficits in the Credit Guarantee Fund as above were adjusted against surplus in the Deposit Insurance Fund in the respective years. As on 31 March 1992, a net sum of Rs. 273.96 crores is due from Credit Guarantee Fund to Deposit Insurance Fund.

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1992

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the 30th Annual Report of the Corporation for the year ended 31 March 1992.

Economic Scenario

The monetary policy for the year 1991-92 was governed primarily by the need to control inflation and the concern about the foreign exchange reserves position. The various measures taken to stabilise the balance of payments involved severe import compression and credit restrictions. These measures helped to improve the foreign exchange reserves position at the end of March 1992. This has, however, resulted in an accelerated growth of the monetary aggregates. The growth of aggregate deposits of scheduled commercial banks during the year at Rs. 37,916.00 crores was higher than the previous year's increase of Rs. 25,582.00 crores. The amounts of assessable and insured deposits had thus, recorded corresponding growth. The acceleration of the monetary aggregates had an impact on the rate of inflation in terms of the wholesale price index which on a point-to-point basis during the financial year 1991-92, was 12.8 per cent as compared with 12.1 per cent during 1990-91. The growth of gross domestic product (GDP) in real terms in 1991-92 is estimated at 2.5 per cent.

With the liberalisation and deregulation of economy which may gather further momentum in the future, the incidence of industrial sickness is likely to accentuate as a result of the closure and exit of units which cannot face stiff competition in an open economy. Reserve Bank of India has since formed an in-house group to review its role in preventing industrial sickness (particularly the preventive measures to be taken at the stage of incipient sickness) so as to protect the interest of banks and financial institutions.

Agricultural & Rural Debt Relief Scheme - 1990

In terms of Government of India's Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990 debt relief to the extent of Rs. 10,000/- was extended to eligible borrowers of public sector banks and Regional Rural Banks. The majority of borrowers benefited under

the Scheme were covered under the Corporation's Credit Guarantee Schemes also. Repayments in the above accounts were expected to come from Government of India through Reserve Bank of India/ National Bank for Agricultural and Rural Development; it is learnt that credit institutions are yet to receive full amount from Government of India. In view of the above situation and also keeping in view the Government's decision not to include the claim amount already paid by DICGC in the relief amount claimed/ to be claimed from Government by credit institutions, recoveries received by the Corporation by way of subrogation right have been refunded back to the concerned credit institutions. Thus recovery amounts by way of subrogation rights would not be available to Corporation. The direct impact of the above scheme was that claim receipt by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation during the year 1991-92 decreased by 20.86 per cent and 18.83 per cent number-wise and amount-wise, respectively. The estimated loss of recoveries for the Corporation would be around Rs. 342.00 crores. This has also had a deleterious effect on the recovery climate for rural credit and may lead to increased defaults and inflated claims on the Corporation in the near future.

Operations of the Corporation - An Overview

- 3.1 During the year 1991-92 the Corporation countinued to operate the Deposit Insurance Scheme giving insurance protection to small depositors in banks and Credit Guarantee Schemes relating to non-industrial sector (4 schemes) and small scale industrial sector (1 scheme) providing guarantee support to credit facilities extended to priority sector borrowers by banks and other financial institutions.
- 3.2 Under the Deposit Insurance Scheme, the insurance coverage per depoistor per bank and insurance premium continued to be Rs. 30,000/- and 4 paise per Rs. 100 per annum, respectively. The number of insured banks as on 31 March 1992 stood at 1931. As at the end of June 1991, the Scheme covered 3,169 lakhs fully protected accounts constituting 96.4 per cent of the total deposit accounts at 3,287 lakhs. The insured deposits at Rs. 1,27,925.00 crores represented 68.7 per cent of the total assessable deposits at Rs. 1,86,307.00 crores in banks. The insurance premium received during the year amounted

to Rs. 93.48 crores. The Corporation settled claims for an aggregate amount of Rs. 7.64 crores in respect of deposits of 1 commercial bank (Rs. 7.26 crores) and 4 cooperative banks (Rs. 0.38 crore).

The Corporation has made total provision of Rs. 50.97 crores towards claims liabilities. The Bank of Karad Ltd., a private sector commercial bank was taken into liquidation by Reserve Bank of India with effect from 27 May 1992. With a view to alleviating the hardship to the depositors, particularly the small depositors, who were facing difficulties because of sudden liquidation of the bank, the Corporation, as per directions of the Bombay High Court, has agreed to pay Rs. 45.00 crores as 'on account payment' out of the above provision pending completion of required formalities. Of this amount, Rs. 25.00 crores have already been released for payment to bank's depositiors.

Advances to priority sector

3.3 Effective 1 April 1989, the Corporation has adopted the Reserve Bank of India definition of priority sector advances for the purpose of extending guarantee cover and levying guarantee fee. However, in response to the representations made by some of the participating credit institutions, certain categories of advances have been excluded from the year 1990-91 onwards for the purpose of payment of guarantee fee and guarantee cover. The priority sector advances of all the scheduled commercial banks aggregating Rs. 43,525.00 crores formed 39.3 per cent of their net bank credit at Rs. 1.10,815.00 crores as on the last Friday of June 1991. The priority sector advances of 28 public sector banks aggregated Rs. 42,093.00 crores as on the last Friday of June 1991 and formed 40.9 per cent (as against the target of 40 per cent) of their total advances at Rs. 1,02,959.00 crores. Within the priority sector, advances by the public sector banks for agricultural purposes (both direct and indirect) aggregated Rs. 16,864.00 crores and formed 40.1 per cent of their priority sector advances or 16.4 per cent of their total advances. Advances to small scale industries aggregating Rs. 16,590.00 crores constituted 39.4 per cent of the total priority sector advances. Advances to other categories of borrowers under priority sector which include small road and water transport operators, professional and self-employed persons, rural artisans, small businessmen and retail traders stood at Rs. 8,639.00 crores forming 20.5 per cent of the total priority sector advances as on

the last Friday of June 1991. Public sector banks' advances to 'weaker sections'* aggregated Rs. 9,914.00 crores (provisional) constituting 9.6 per cent of their net bank credit at Rs. 1,03,271.00 crores as against the target of 10 per cent prescribed for this category. The priority sector advances of private sector commercial banks amounted to Rs. 1,504.00 crores as on the last Friday of September 1990 (latest date for which figures are available) forming 34.9 per cent of their net bank credit. Their direct advances for agriculture and to SSI sectors constituted 8.6 per cent and 14.9 per cent of the total advances, respectively. The foreign banks operating in India had been advised by Reserve Bank of India that their priority sector advances should reach a level of 10 per cent of their total advances by March 1989 and the target would stand progressively increased to 12 per cent and 15 per cent by 31 March 1990 and 31 March 1992, respectively. The priority sector advances of foreign banks on the last Friday of September 1990 formed 9.7 per cent of their net bank credit. This proportion had declined to 9.5 per cent as at the end of March 1991.

Sick SSI Units

The SSI sector was availing total bank credit of Rs. 15,944.00 crores as at the end of September 1990. The outstanding bank credit in respect of units numbering 2,25,324 (not including 1,41,162 sick SSI units which are not traceable/non-existent, involving bank credit of Rs. 287.26 crores) identified by banks as sick, amounted to Rs. 2,610.87 crores. The amount locked up in these sick SSI units formed 16.4 per cent of the outstanding aggregate advances to the SSI sector. As at the end of September 1990, only 16,977 units with outstanding of Rs. 656.87 crores were reported to be potentially viable. 13,235 units with Rs. 522.00 crores were reported to have been put under nursing programme by the financing banks. The number of non-viable units was 2,06,213 with outstanding bank credit of Rs. 1,867.00 crores. There are 2,134 units with bank credit of Rs. 87.00 crores in whose case viability is not yet decided. A substantial part of these advances to non-viable units have either transformed into claims on the Corporation or would be likely to turn into claims in the near future.

^{*}Note: Weaker Sections in priority sector include small and marginal farmers, landless labourers, tenant farmers, share croppers, artisans and village and cottage industries where individual credit requirements do not exceed Rs. 25,000/- etc.

The total guaranteed advances covered under the Corporation's five credit guarantee schemes based on the guarantee fee received during the year, increased to Rs. 46,543.18 crores* as at the end of March 1991 from Rs. 44,518.53 crores* as at the end of March 1990 recording a rise of 4.5 per cent. Guaranteed advances to small borrowers in nonindustrial sector (i.e. agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small businessmen, professional and self-employed persons and other weaker sections of the society) which were hardly Rs. 208.39 crores at the end of June 1972 increased to Rs. 27,692.32 crores as at the end of March 1990 and stood at Rs. 29,180.82 crores as at the end of March 1991 showing an increase of 5.4 per cent over the previous year. Similarly, quaranteed advances to small scale industrial sector increased from Rs. 16,826.21 crores as at the end of March 1990 to Rs. 17,362.36 crores as at the end

of March 1991. A rise of 3.2 per cent was registered over the position of the previous year.

3.5 The claims received by the Corporation during the year under report decreased by 20.3 per cent in number and 16.2 per cent in amount. The claims received aggregated 17,30,725 for Rs. 630.39 crores as against 21,72,413 claims for Rs. 752.10 crores during the year ended March 1991. The Corporation settled 16,71,770 credit guarantee claims for Rs. 619.86 crores as against 19,78,672 claims for Rs. 687.03 crores during the previous year. The claims disposal rate went down by nearly 15.5 per cent in number compared to 1990-91. The monthly claims disposal rate during the year has been 1,39,314. The scheme-wise details of claims received and settled during the year under report and the previous year are furnished below:

^{*} Prior to exclusion.

and the company of the company	e some and the second	Service of a	Se transferred and	(Amou	nt in crores	of rupees)
	During 1	1990-91	During 1	991-92	Percenta increase Decrease	(+)
I. Claims received A) Corporation's	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
Schemes for i) Small borro ii) SSIs	wers 20,87,562 83,809	505.05 243.71	16,52,076 78,447	409.97 217.26	() 20.86 () 6.40	() 18.83 () 10.85
B) Government's Scheme (since cancelled)	21,71,371	748.76	17,30,523 202	627.23 3.16	() 20.30 () 80.61	() 16.23 () 5.39
Tot	al: 21,72,413	752.10	17,30,725	630.39	() 20.33	() 16.18
II. Claims settled A) Corporation's Schemes for i) Small borro	owers 19,00,904 76,148	427.17 249.25	15,91,028 80,510	360.14 255.67	() 16.30 (+) 5.73	() 15.69 (+) 2.58
ii) SSIs	19,77,052	676.42	16,71,538	615.81	() 15.45	() 8.96
B) Government's Scheme (sinc cancelled)		10.61	232	4.05	() 85.68	() 61.83
То	tal: 19,78,672	687.03	16,71,770	619.86	() 15.51	() 9.78

The sharp decline in the receipt of claims under the Corporation's Schemes for small borrowers was probably the impact of ARDR Scheme, 1990.

3.6 The amounts of claim receipts and guarantee fee receipts since 1982 are as follows:

(Amount in crores of rupees)

Year	Guarantee fee receipts	Guarantee claims receipts	Gap
1982	57.67	34.11	+ 23.56
1983	71.17	60.42	+ 10.75
1984	87.91	115.69	- 27.78
1985	105.66	186.90	- 81.24
1986	127.25	245.86	- 118.61
1987	145.17	386.95	- 241.78
1988-89 (15 months)	191.89	580.97	- 389.08
1989-90	593.83	548.33	+ 45.50
1990-91	524.72	748.76	- 224.04
1991-92	565.88	627.23	- 61.35

(The schemewise details of guarantee fee received are given in **Annexure XVI.**) It may be observed from the above that since 1984 only once i.e., in 1989-90, have the guarantee fee receipts exceeded the guarantee claims receipts. Thereafter, during the last two years, there have been deficits. The question of viability of the guarantee schemes is constantly kept under review by the Corporation for effecting appropriate modifications.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

- 4.1 During the year, the total number of banks insured with the Corporation under its Deposit Insurance Scheme increased from 1922 as on 31 March 1991 to 1931 as on 31 March 1992 comprising 80 commercial banks, 196 Regional Rural Banks and 1655 co-operative banks. A yearwise statement of insured banks since 1981 is given in Annexure I. While one commercial bank and 13 co-operative banks were registered, 5 co-operative banks were deregistered (due to amalgamation etc.) as insured banks under the Scheme during the year (Annexure II.)
- 4.2 The Deposit Insurance Scheme presently covers all commercial banks (including Regional Rural Banks) and co-operative banks in sixteen States and three Union Territories (Annexure III.) The co-operative banks numbering 87, in the remaining nine States and four Union Territories are yet to be brought within the purview of the Scheme. The matter of extending the provisions of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 to the State

of Sikkim is under consideration. Similarly, the issue of extension of Deposit Insurance Scheme to the co-operative banks in the States of Assam and Manipur is still under consideration.

4.3 The number of accounts and amounts of deposits insured with the Corporation as also the extent of protection afforded to depositors at the end of June 1990 and June 1991 were as follows:

	(Am	ounts in crore	s of rupees)
		June 1990	June 1991
	Total number of accounts (in lakhs)	3,089	3,287
2.	Fully protected		Alternative
8 .	accounts (in lakhs)	2,983	3,169
3.	Percentage of 2 to 1	96.5	96.4
	Assessable deposits	1,56,892	1,86,307
	Insured deposits	1,09,316	1,27,925
	Percentage of 5 to 4	69.7	68.7

(Details are given in Annexures IV and V)

- 4.4 The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 49.4 per cent and 50.6 per cent, respectively, of the total assessable deposits at the end of June 1991.
- 4.5 The category-wise break-up of the premium (including interest on overdue premia) collected from insured banks during the year 1991-92 as compared with the previous year is furnished below:

(Amount in crores of rupees)

	Category of banks	Premium	received
		1990-91	1991-92
(i)	Commercial Banks	71.37	82.41
(ii)	Regional Rural Banks	1.58	1.81
(iii)	Co-operative Banks	7.62	9.26
	The second second second	80.57	93.48

4.6 During the year 1991-92, the Corporation settled claims for an aggregate amount of Rs. 7.64 crores as indicated below:

	(Rs. in lakhs)
Name of the bank	Amount
Commercial Banks The Purbanchal Bank Ltd.	725.77
(amalgamated with Central Bank o	f India) contd.

11-25

Co-operative Banks

The Kundara Co-operative Urban Bank Ltd. (in liquidation)	17.37
2. The Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-operative Bank Ltd.	
(in liquidation)	17.44
The Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd. (in liquidation)	0.72
4. The Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay	2.80
(amalgamated with Saraswat Co-operative Bank Ltd.)	
Total	764.10

Further, a provision of Rs. 50.97 crores has been made in the accounts towards the following claims liabilities:

- (a) Rs. 45.43 crores towards the claim of the Bank of Karad Ltd., under liquidation.
- (b) supplementary claim of Rs. 0.01 crore in respect of Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala.
- (c) claim of Rs. 5.52 crores submitted by the Liquidator of Navdeep Co-operative Bank Ltd. in respect of which Court's verdict is awaited.
- (d) claim of Rs. 0.01 crore submitted by the Liquidator of Bhadravathi Co-operative Bank Ltd., has been kept pending for want of clarification.
- 4.7 (a) As on 31 March 1992, the aggregate amount (cumulative) of claims paid in respect of 24 commercial banks (including Rs. 7.26 crores paid during the year) was Rs. 135.92 crores. The repayments upto March 1992 aggregated Rs. 13.89

crores (including Rs. 4.55 crores received during the year). A sum of Rs. 0.10 crore was written off in respect of 5 commercial banks till March 1992.

(b) The total amount of claims paid as on 31 March 1992 in respect of 23 co-operative banks (including Rs. 0.38 crore paid during the year) was Rs. 3.21 crores. The repayments upto March 1992 aggregated Rs. 0.76 crore (including Rs. 0.11 crore received during the year).

Details of claims paid and provided for and repayments received etc. till 31 March, 1992 are given in Annexure VI.

CREDIT GUARNTEE FUNCTION

A. Credit Guarantee Schemes for Small Borrowers

5. During the year, the Corporation continued to operate the following five credit guarantee schemes for small borrowers:-

i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971

ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971

iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971

iv) Small Loans (Co-operative Credit Societies)
Guarantee Scheme, 1982

v) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

The Scheme at (iv) above introduced from 1 January 1983 did not evoke any response. The overall performance of Corporation's remaining four credit guarantee schemes is given below:

(Amount in crores of rupees)

Category of borrowers	Guaranteed	Ar	mount of cla	ims received	
1. 그 그렇게 하나 하는 데이탈 하는 데 하는 이렇게 하는 이 그리고 있는데 하는 그리고 있는데 가입니다. 그 그리고 있는데	advances as on 31 March 1991	Upto March 1991	During 1991-92	Upto March 1992 (3 + 4)	Percentage of 5 to 2
of an element year 1 per a service and a service and	2	3	4	5	6
Farmers and Agriculturists	19,788.04	939.16	146.69	1085.85	5.49
Other priority sector advances	8,986.77	900.97	253.91	1154.88	12.85
Residual category of borrowers under DRI Scheme	405.62	68.04	9.37	77.41	19.08
Service Co-operative Societies	0.39				
Total	29,180.82	1908.17	409.97	2318.14	7.94

3.50

Small Loans Guarantee Scheme, 1971

- 6.1 The Scheme has been in operation since 1 April 1971 and it provides guarantee cover for advances granted for Agriculture and allied activities, transport, retail trade, small business etc. by commercial banks including Regional Rural Banks.
- 6.2 During the year, one commercial bank had requested the Corporation to allow it to opt out of the Scheme. Eight other banks including one Regional Rural Bank had been defaulting continuously in payment of guaratee fee despite repeated reminders. Hence, the names of these banks were deleted from the list of participating credit institutions (Annexure VIII). Consequently, as on 31 March, 1992, the number of participating credit institutions under the Scheme decreased to 249 (comprising 56 commercial banks and 193 Regional Rural Banks) from 258 as on 31 March 1991 (Annexure VII).
- 6.3 The total advances guaranteed under the Scheme at Rs. 29,166.66 crores as on 31 March, 1991 showed an increase of 5.38 per cent over the previous year. The Scheme continued to account for the bulk of the guaranteed advances to small borrowers forming 99.95 per cent of the total priority sector advances to Non-SSI segment at Rs. 29,180.82 crores. The year-wise and sector-wise break-up of the guaranteed advances is given in the Annexure IX. The sector-wise break-up of the guaranteed advances vis-a-vis amount of claims received under the Scheme is given below:

Category of borrowers	Percent		
	Guaranteed advances	Claims	
i) Farmers & Agriculturis	ts 67.85	46.85	
ii) Other priority sector	30.76	49.92	
iii) DRI advances	1.39	3.23	
Carrier Court (Average)	100.00	100.00	

6.4 During the year under report, the Corporation received 16,52,074 claims for Rs. 409.96 crores as against 20,87,406 claims for Rs. 504.61 crores received during the previous year, registering a decrease of 20.86 per cent and 18.76 per cent number-wise and amount-wise, respectively. As earlier mentioned, the decline in claims could be attributed to the loan waiver under the ARDR Scheme, 1990. The amount of claims received at Rs. 409.96 crores during the year formed 1.4 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 29,166.66 crores under the Scheme.

The sector-wise break up of claims received under all the schemes for small borrowers is given in Annexure XI.

- The Corporation settled 15,90,989 claims for Rs. 360.05 crores as against 19,00,788 claims for Rs. 426.81 crores during the previous year (The average monthly rate of disposal this year was 1,32,582 claims as against 1,58,339 claims during the corresponding period last year). Besides, 5,38,018 claims for Rs. 291.40 crores have been scrutinised and are awaiting settlement for want of clarifications. The number of claims to be processed under the Scheme as on 31 March 1992 was 3,10,500 for Rs. 74.83 crores (Annexure X).
- 6.6 Recoveries received during the year under report by virtue of subrogation rights aggregated Rs. 38.28 crores compared to Rs. 42.16 crores received during the previous year. The total amount of recoveries received since inception of the Scheme aggregated Rs. 189.77 crores forming 10.8 per cent of claims paid at Rs. 1760.52 crores (cumulative).
- 6.7 The number of banks submitting claims for amounts not exceeding Rs. 25,000/- under this Scheme on magnetic tapes for processing on computer has gone up to 30 (including 22 public sector banks) from 20 in the previous year. The number of claims submitted on magnetic tapes has, however, decreased to 10 lakhs during the current year as compared with about 12 lakhs last year. The number of claims lodged on magnetic tapes formed 51.8 per cent of the total number of claims received during the year.

Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971

- 7.1 At the beginning of the year only two State Financial Corporations were participating in the Scheme. The names of these Corporations were also delisted on account of default in payment of guarantee fee and their desire to opt out of the Scheme (Annexures VII and VIII).
- 7.2 During the year, while the Corporation had not received any fresh claims, 18 claims for a sum of Rs. 0.08 crore were settled as against 68 claims for Rs. 0.35 crore settled in the previous year. In addition to this, 253 claims for Rs. 1.39 crores were processed but kept pending for want of clarifications.

Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971

The number of participating credit institutions

in the Scheme remained unchanged at 150 (48 commercial banks, 70 Regional Rural Banks and 32 co-operative banks) as at the end of March 1992. The guaranteed advances under the Scheme as at the end of March 1991 stood at Rs. 0.39 crore as against Rs. 0.44 crore as at the end of March 1990. However, no claim has so far been received under the Scheme.

Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984

- 9.1 The Scheme introduced in 1984 covers priority sector advances granted by primary urban co-operative banks for non-agricultural purposes.
- 9.2 The number of participants in this Scheme decreased from 39 as on 31 March 1991 to 35 as on 31 March 1992 on account of some credit institutions either opting out of the Scheme or their names being deleted for chronic and continuous default in payment of guarantee fee (Annexure VIII). The guaranteed advances as at end March 1991 aggregated Rs. 13.77 crores as against Rs. 10.98 crores as at end March 1990.
- 9.3 The Corporation received 2 claims for Rs. 0.01 crore during the year under report as against 86 claims for Rs. 0.04 crore during the year ended March 1991. On settlement of 21 claims an amount of Rs. 0.01 crore was paid during 1991-92. Further, 83 claims for Rs. 0.09 crore were already processed but kept pending for certain clarifications.
- B. Credit Guarantee Schemes for Small Scale Industries
- a) Government's Credit Guarantee Scheme (Since terminated)
- of Government of India for discharge of residual functions under this Scheme cancelled with effect from 1 April 1981. As per Government's instructions, no fresh claims were being accepted by the Corporation after 31 May 1989. All the participating institutions were advised by the Corporation in April 1991 that the Scheme would be finally closed and the representations, if any, in respect of the claims settled/disposed of or rejected thereunder should be made to the respective branch of the Corporation on or before 31 December 1991. During the year 1991-92, the Corporation received 202 claims for Rs. 3.16 crores due to representations/re-lodgement and disposed of 232 claims for Rs. 4.05 crores (Annexure

XIV - Part 'B') leaving no claim pending under the Scheme as on 31 March 1992. Thus, the responsibility entrusted by the Government of dischárging the obligations arising out of or accruing under the Scheme upto the date of termination has finally been discharged by the Corporation, insofar as settlement of claims is concerned.

10.2 The Corporation paid claims and received reimbursement till March 1992 as under :

(Amount in crores of Rs.)

Period	Amount actually paid on behalf of GOI	Reimbursement received from GOI
April 1981 to March 1991	109.11	108.93
April 1991 to March 1992	2.01	0.70
	111.12	109.63

(The balance amount of Rs. 1.49 crores has been received from Government of India on 8 April 1992). As against the budgetary provision of Rs. 5.00 crores made by Government of India, the Corporation has paid a sum of Rs. 2.01 crores towards settlement of the pending claims during the financial year 1991-92.

The Corporation was allowed to retain the recoveries in claim paid accounts upto 31 March 1986. The recoveries received in claim paid accounts amounting to Rs. 10.39 crores for the period 1 April 1986 to 31 March 1991 were not appropriated to income account pending Government's permission. However, as permitted by Government, the Corporation has remitted Rs. 7.22 crores to the Government on 21 January 1992 retaining the balance towards the establishment expenditure incurred. As on 31 March 1992, the Corporation has retained Rs. 0.05 crore being the guarantee fee due to the Government pending receipt of clarification from the Government regarding settlement of certain old claims for refund of guarantee fee from the credit institutions. Further, a sum of Rs. 2.46 crores being the recoveries in claim paid accounts during the year ended 31 March 1992, is also retained pending Government's instructions regarding the Corporation's share of administrative expenses in attending to the work as well as the manner in which future recoveries in claim paid accounts are to be accounted for.

(b) Corporation's Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981

- 11.1 As on 31 March 1992, there were 357 credit institutions (371 as on 31 March 1991) participating in the above Scheme comprising 56 commercial banks, 151 Regional Rural Banks, 1 State Development Agency and 149 co-operative banks (Annexure XII). During the year, 8 Regional Rural Banks and 4 co-operative banks joined the Scheme. The names of 26 credit institutions were deleted on account of their persistent default in payment of guarantee fee (Annexure XIII). The guaranteed advances to SSI sector coming under the priority sector as defined by Reserve Bank of India amounted to Rs. 17,362.36 crores as at the end of March 1991.
- 11.2 The Corporation received 78,447 claims for Rs. 217.26 crores during the year 1991-92 as against 83.809 claims for Rs. 243.71 crores received during the previous year and disposed of 80,510 claims for Rs. 255.67 crores as against 76,148 claims for Rs. 249.25 crores during the year 1990-91 (amount-wise break-up in Annexure - XV). The details of claims received and disposed of year-wise, from 1 April 1981 onwards is given in Annexure - XIV - Part 'A'. As on 31 March 1992, 11,455 claims for Rs. 38.08 crores were pending. This included only 25 claims for Rs. 1.95 crores pending for more than a year. With the delegation of higher powers for settlement of SSI claims and consequential enhancement in the limit for inspection of individual claim cases from Rs. 5 lakhs to Rs. 8 lakhs, the disposal of claims has been speeded up.
- 11.3 The recoveries received during the year under report by virtue of the Corporation's right of subrogation aggregated Rs. 14.55 crores. The recoveries under the Scheme since 1981 amounting to Rs. 41.99 crores as on 31 March 1992 represented 6.66 per cent of the total amount of claims paid at Rs. 630.74 crores.
- 11.4 The aggregate amount of claims received till 31 March 1992 under the Scheme at Rs. 1,276.74 crores formed 7.35 per cent of the total guaranteed advances to SSI under the priority sector at Rs. 17,362.36 crores.
- 11.5 The settlement of high value claims in respect of small scale industrial sector continued to be attended to by a Claims Committee comprising 6 members which included 4 Chief Executives of public sector banks and an eminent Chartered Accountant. The

RBI's Nominee Director on the Board of the Corporation is the Chairperson. During the year 1991-92, the Claims Committee met thrice and settled 180 claims for Rs. 15.50 crores.

Other Developments

Termination of Schemes

- 12.1 During the year under report, the Corporation decided to terminate its following three credit guarantee schemes with effect from the close of business on 31 March, 1992.
 - a) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971
 - b) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 and
 - c) Small Loans (Co-operative Credit Societies)
 Guarantee Scheme, 1982.

The decision to terminate the above schemes was taken on account of 'nil' or 'negligible' guaranteed advances under these schemes, persistent defaults in payment of guarantee fee and requests for opting out of the schemes by the participating institutions.

12.2 The financial viability of the remaining three credit guarantee schemes has been reviewed and it has been decided to continue these schemes upto 31 March 1993.

Exclusion of certain categories of advances from priority sector for payment of guarantee tee and extension of guarantee cover

The Corporation had been charging guarantee fee on the entire priority sector advances without the exclusion of any advances since 1 April, 1989. However, in 1990-91, the Corporation decided to allow exclusion of four categories of advances guaranteed by Government/other agencies like Export Credit and Guarantee Corporation (ECGC), from total priority sector advances and consequently to allow refund of guarantee fee paid to the Corporation for that year only. This relaxation had been extended to the year 1991-92 also. In addition, on a review of the position in response to the representations received from credit institutions, loans to farmers through PACs/FSSs/LAMPs ceded to commercial banks and for export of agricultural products, fishing etc. guaranteed by Export Credit and Guarantee Corporation have been allowed to be excluded from the total priority sector advances for the purpose of payment of guarantee fee and extension of guarantee

cover from this year. The Corporation has since decided to allow exclusion of the five categories of advances for the purpose of guarantee cover and payment of guarantee fee for the year 1992-93 and onwards on a regular basis. These advances are:

- a) advances in priority sector guaranteed by Central/State Governments;
- advances in priority sector guaranteed by ECGC;
- subsidy received and outstanding in respect of SEEUY/SEPUP;
- d) loans to farmers through PACs/FSSs/LAMPs

ceded to commercial banks and:

e) advances in respect of which claims have been lodged with the Corporation;

Refund of Guarantee Fee

14. Consequent on exclusion of five categories of advances from the priority sector, the amount of guarantee fee which may have to be refunded is estimated at Rs. 137.00 crores. As a result, the gross guarantee fee receipt and guaranteed advances for 1991-92 have been arrived at as under:

(Amount in crores of Rs.)

				•				
ijΰ.	Scheme	Befo	ore refund	After refund				
		Guaranteed advances	Guarantee	Guaranteed advances	Guarantee			
(A)	Schemes relating to Non-Industrial Sector							
	i) Small Loans Guarantee							
	Scheme, 1971	29,166.66	437.50	23,300.00	349.50			
	ii) Other Schemes	14.16	0.21	14.16	0.21			
(B)	Scheme relating to Industrial Sector							
1.11	Small Loans (SSI)							
	Guarantee Scheme, 1981	17,362.36	260.44	14,096.00	211.44			
	TOTAL	46,543.18	698.15	37,410.16	561.15			

Penal interest on default in payment of guarantee fee/ insurance premium

Under the existing instructions, the guarantee fee is payable by the participating credit institutions on adhoc or final basis by 30 April every year. In the event of non-payment of guarantee fee upto 31 July of the year, interest on the amount due is being charged at Bank rate and 2% above Bank rate if the payment is made after 31 July of the year. The position in this regard was reviewed by the Corporation and it has been decided that in order to make the penal rate (which is at present 2% above Bank rate) an effective deterrent against default in payment of guarantee fee, penal interest at the rate 8% above Bank rate shall be levied from the beginning of guarantee fee year 1992-93 if the payment of guarantee fee is made after the prescribed date of payment of fee i.e. after 30 April of the relative year. The enhanced rate of penal interest will be applicable to all the Schemes in operation. These instructions are effective from 1 April 1992.

15.2 The matter regarding default in payment of deposit insurance premia by the insured banks was also reviewed. It has been decided to enhance the present rate of penal interest to 8% above the Bank rate. The decision will be made effective as soon as necessary amendments to the DICGC General Regulations, 1961 are carried out.

Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990-Credit Guarantee Schemes - Claim, Recovery etc.

16. In terms of Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990, Government of India allowed debt relief upto Rs. 10,000/- to each eligible borrower of public sector banks and Regional Rural Banks which fell overdue on or before 2 October 1989. The Corporation having settled such claims aggregating Rs. 383.43 crores till September 1989 advised the banks to treat relief under the Scheme as recovery

and such recoveries should be shared with the Corporation in the same manner as any other recoveries. However, some of the banks had expressed their inability to do so in the absence of receipt of full compensation from the Government. Subsequently, Government of India have taken the stand that DICGC need not insist upon sharing the amount of compensation paid/payable by them. Having regard to the Government's stand, the Corporation had to refund the recoveries amounting to Rs. 7.30 crores received from some of the banks. Claims for refund to the tune of Rs. 2.65 crores are pending. A sum of Rs. 341.64 crores was estimated to be due to the Corporation by way of subrogation rights, which now stands extinguished. These amounts have been set off against the amounts due to banks from Government under the Scheme.

Accounts

Balance Sheets and Revenue Accounts

- 17.1 Revenue Accounts for the year ended March 1992 and Balance Sheets as at 31 March 1992 showing separately the position of Corporation's three funds, viz. Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund together with the Auditor's Report thereon are attached.
- 17.2 Since 1987, the Corporation has adopted the system of valuation of liabilities of the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund on an actuarial basis. Accordingly, the three Funds revealed a net surplus of Rs. 12.13 crores after making all the provisions including the provision for income tax, pending claims etc. as against the deficit of Rs. 0.96 crore in the previous year. While the Deposit Insurance Fund and the General Fund show a surplus of Rs. 26.73 crores and Rs. 0.77 crore respectively, there is a deficit of Rs. 15.37 crores in Credit Guarantee Fund. The deficit of Rs. 15.37 crores in Credit Guarantee Fund has been set off by transfer of an equivalent amount from Deposit Insurance Fund.
- 17.3 A sum of Rs. 258.59 crores was due to the Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund as at the year ended 31 March 1991 on account of the surpluses/deficits from the year 1987 onwards. The current year's deficit of Rs. 15.37 crores in the Credit Guarantee Fund has been transferred from Deposit Insurance Fund, increasing the amount due to Deposit Insurance Fund to Rs. 273.96 crores.

Budgetary Control

- 17.4 With effect from the year 1992-93 the budgetary control over the Corporation's revenues and expenditure has been extended to all segments of its activities. Till the end of March 1992, budgetary projections and reviews were confined only to the General Fund which accounted for less than 10% of the total revenues and expenditure of the Corporation.
- 17.5 In accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 the amounts which are not required for the time being are invested in Central Government securities including Government of India 182 days Treasury Bills. Necessary action has already been initiated for amending Section 25 of the DICGC Act, 1961 to enable the Corporation to invest its surplus funds in other types of approved securities etc. so as to maximise its yield on investments. Particulars of the investments are furnished in Annexure XVII. The depreciation in the investment of the three funds has been fully provided for.

GENERAL

AUDITORS

18.1 In terms of Section 29 (1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors appointed, with the prior approval of the Reserve Bank of India, M/s. N. B. Shetty and Co., Chartered Accountants, Bombay as auditors of the Corporation for the third consecutive year ended 31 March 1992.

Promotion of Hindi

The Corporation is taking various steps for promotion of Hindi in its day-to-day working. It issues circulars and brings out the Annual Report bilingually in Hindi and English. Meetings of the Official Languages Implementation Committee to review the progressive use of Hindi are held regularly on quarterly basis. The staff members are also encouraged to make more and more use of Hindi. Five English Typists have already passed Hindi Typing Examination conducted by the Government of India. Two more English Typists have been deputed for Hindi Typing Training. Senior Officers of the Corporation are taking personal interest for propagation of the use of Hindi. Hindi libraries are being run in Head Office of the Corporation and at its four branches. Hindi newspapers and magazines are purchased and circulated amongst the staff members. The Corporation deputes its members of staff for various Hindi training programmes (including Hindi typewriting) conducted by the Reserve Bank of India.

Training

18.3 A group of 25 participants from commercial banks and financial institutions in the developing countries attending the 'International Programme on Small Industry Financing' conducted by the National Institute of Small Industry Extension Training (NISIET). Hyderabad visited the Corporation to study its functions and working. The Corporation also deputed its officers to various training institutions of commercial banks and Reserve Bank of India to take up sessions on the Deposit Insurance and Credit Guarantee Schemes of the Corporation.

Cognisant of the fact that productivity and efficiency cannot be increased without a thorough appreciation and understanding of all aspects of work involved. the staff of the Corporation at all levels were exposed to the training facilities offered by the Reserve Bank at its training centres. During the year 24 officers, 14 clerical staff and 9 subordinate staff were deputed for various training programmes.

Inspection by Reserve Bank of India

18.4 The Inspection Department of Reserve Bank of India carried out the first inspection on 'Systems and Staffing' of Corporation's Head Office and four branches during the period from 9 September 1991 to 1 November 1991. The irregularities pointed out/ suggestions made in their report have mostly been rectified/implemented by the Corporation.

Management

19.1 Government of India had nominated Managing Director, State Bank of India and Chairman and Managing Director, Allahabad Bank (both ex-officio) as Directors under Section 6(1)(e) of the DICGC Act. 1961 on the Board of Directors of the Corporation for a period of two years upto 19 October 1991. However, the present incumbents of these posts, S/ Shri V. Mahadevan and R. L. Wadhwa respectively. continue to be on the Board as Directors as per the proviso under Section 6(2)(ii) of the Act ibid.

During the year, four meetings of the Board of Directors were held under the Chairmanship of Shri R. Janakiraman, Deputy Governor, Reserve Bank of India.

- Dr. K. K. Mukerjee has taken charge as the General Manager of the Corporation with effect from 24 December 1991 consequent on retirement of Shri P. Krishnamurthy.
- The Board records its appreciation of the efforts put in by the General Manager and Staff of the Corporation in maintaining its operational efficiency.

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION, BOMBAY: 400 039.

For and on behalf of the Board of Directors

(R. Janakiraman) Chairman

DATED: 15 JUNE, 1992.

ANNEXURE - I

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME SINCE 1962

	No. of regis- tered banks at	No. of banks registered	No. of b	ed ility	Total no.of registered banks at the			
Year	the commence- ment of the year	during the year/period	was attracted	was not attracted	Total (4 + 5)	end of the year/period (2 + 3 - 6)		
1	2	3	4	5	6	7		
1962	287	-	2	9	11	276		
1963 t		1,541	21	214	235	1,582		
1980	276	69	1	3	4	1,647		
1981	1,582	44	1	7	8	1,683		
1982	1,647	55		2	2	1,736		
1983	1,683	71	1	1	2	1,805		
1984	1,736	41	5	4	9	1,837		
1985	1,805 1,837	27	2	3	5	1,859		
1986	1,859	42	3		3	1,898		
1987	1,898	14	2	7	9	1,903		
1988-89 1989-90	1,903	19	1			1,921		
		8	5	2	7	1,922		
1990-91 1991-92	1,921 1,922	14	2	3	5	1,931		

Break-up of insured banks at the end of 1990-91 and 1991-92

A SWIFT SE	No. of insured banks											
Year	Commercial Banks	Regional Rural Banks	Co-operative Banks	Total								
1990-91	79	196	1647	1922								
1991-92	80	196	1655	1931								

ANNEXURE - II

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED AS INSURED BANKS DURING THE YEAR ENDED 31 MARCH 1992

(A) - Names of banks registered

Commercial Banks

Sanwa Bank, New Delhi (Foreign Bank)

Co-operative Banks

Maharashtra

- Priyadarshini Mahila Co-op. Bank Ltd., Bombay
- 2. Priyadarshini Mahila Sahakari Bank Ltd., Latur

Uttar Pradesh

- 1. Urban Co-op. Bank Ltd., Badaun
- 2. Urban Co-op. Bank Ltd., Saharanpur
- 3. Urban Co-op. Bank Ltd., Sitapur
- Muzaffar Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Muzaffar Nagar
- 5. Almora Urban Co-op. Bank Ltd., Almora
- Progressive Urban Co-op. Bank Ltd., Aligarh, Lucknow
- 7. Etawah Urban Co-op. Bank Ltd., Etawah

Rajasthan

- 1. Balotra Urban Co-op. Bank Ltd., Balotra
- 2. Bharatpur Urban Co-op. Bank Ltd., Bharatpur

Orissa

Balasore Co-op. Urban Bank Ltd., Balasore

Tamil Nadu

Dindigul Qyied-A-Milleth Dist. Central Co-op. Bank Ltd., Dindigul

(B) Names of banks deregistered

Co-operative Banks

Maharashtra

1

- 4. Janata Sahakari Bank Ltd., Buldhana
- 2. Vartak Nagar Majiwade Nagari Sahakari Bank Ltd., Thane

Kerala

Kundara Co-op. Urban Bank Ltd., Kundara

Karnataka

Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Manoli

Gujarat

City Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad

ANNEXURE -- III

SUMMARY OF INSURED BANKS (As on 31 March 1992)

	a sial Panks	80
1.	Commercial Balks	196
11.	Regional Rural Banks	1655
111.	Co-operative Banks	1655
	(Break-up as under)	1931
	그래요 공료 모임하다 아름다는 바람 전에 걸린 생각이 되었다.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	Apex	Central	Primary	Total
States		22	61	84
Andhra Pradesh	1.		5	6
Goa		21	289	311
Gujarat		13	8	22
Haryana		2	4	7
Himachal Pradesh		3	3	7
Jammu & Kashmir		22	204	227
Karnataka Kerala	1.	14	56	71
Madhya Pradesh	1	45	41	87
Maharashtra	1	31	379	411
Orissa	<u> </u>	17	14	32
Rajasthan	1	27	22	50
Tamil Nadu	1	. 19	133	153
Tripura	1	-	1 .	2
Uttar Pradesh	1	. 56	45	102
West Bengal	1	17	48	66
Union Territories				
Delhi	1		14	15
Diu and Daman				-
Pondicherry	1		1	2
Total	18	309	1328	1655

ANNEXURE - IV

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS

(As on the last Friday of December 1961 and the last working day of June 1981 to June 1991)

Year	No. of fully protected accounts@ (in lakhs)	Total no. of accounts (in lakhs)	Percentage of (2) to (3)	Insured deposits@ (Rs. in crores)	Total assess- able deposits (Rs. in crores)	Percentage of (5) to (6)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1693.74	23.1
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.19	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.16	73.3
1988-89	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989-90	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2
1990-91	2,982.52	3,089.12	96.5	1,09,315.52	1,56,891.90	69.7
1991-92	3,169.18	3,287.00	96.4	1,27,924.91	1,86,307.39	68.7

[@] i.e. number of accounts with balance not exceeding Rs. 1,500 till the end of 1967 and Rs. 30,000 from 1981 onwards.

ANNEXURE - V

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS 1989/90, 1990/91 AND 1991/92

Yea	ar Category of banks	Total no. of banks	No. of reporting banks	Insured deposits (Rs. in crores)	Total assessable deposits (Rs. in crores)	Percentage of 5 to 6
1	2	3	4	5	6	7
1989/9	0 Commercial Banks	82	66	89,232.95	1,23,542.06	72.2
	Regional Rural Banks	196	119	1,539.46	1,702.59	90.4
	Co-operative Banks	1,643	1,184	10,909.55	15,501.30	70.4
and Ass.	Total:	1,921	1,369	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2
1990/91	Commercial Banks	79	55	94,810.07	1,34,939.24	70.26
	Regional Rural Banks	196	133	2,033.10	2,323.56	87.49
	Co-operative Banks	1,647	1,122	12,472.35	19,629.10	63.54
	Total:	1,922	1,310	1,09,315.52	1,56,891.90	69.68
1991/92	Commercial Banks	80	59	1,13,252.05	1,65,220.12	68.55
	Regional Rural Banks	196	120	2,358.59	2,631.40	89.63
	Co-operative Banks	1,655	1,124	12,314.27	18,455.87	66.72
	Total:	1,931	1,303	1,27,924.91	1,86,307.39	68.66

ANNEXURE - VI

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR AND REIMBURSEMENT RECEIVED AS ON 31 MARCH 1992

(Amount in lakhs of rupees)

Sr. No.		Name of the bank (indicating in brackets the year in which the claim was met)	Total insured deposits paid and provided for	Repayments received by the Cor- poration	Balance (3) (4)
1.		2.	3.	4.	5.
1.	COM	MERCIAL BANKS			
	i) F	articulars relating to banks in respect of which ne Corporation has been reimbursed in full			
		 Bank of China, Calcutta (1963) Shree Jadeya Shanker Ling Bank Ltd., 	9.25	9.25	
	1.30	Bijapur (1965) 3) Bank of Behar Ltd., Patna (1970)	0.12 46.32	0.12 46.32	-
		Total : 'A'	55.69	55.69	
	t	Particulars relating to banks in respect of which he Corporation has been paid in part and balance due has been written off			
		4) Unity Bank Ltd., Madras (1963)	2.53	1.37	@@
		5) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964) Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)) 1.08 0.18	0.31 0.14	@@ @@
		6) Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969) 7) Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964)	8.80	4.41	@@
	•	8) Southern Bank Ltd., Calcutta (1964)	7.34	3.73	ĕĕ
		Total : 'B'	19.93	9.96	@@
	iii)	Particulars relating to banks in respect of which to Corporation has not been reimbursed in full	he		
		9) Bank of Alagapuri Ltd., Alagapuri (1963)	0.28		0.10
4	*	10) Cochin Navar Bank Ltd., Trichur (1964)	7.10 2.08		2.95 0.94
		11) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)	0.99		0.11
197	+	12) National Bank of Pakistan, Calcutta (1966)	(0.85)	(0.85
5-4	1	13) Habib Bank Ltd., Bombay (1966)	17.26		0.48
			(1.18		(1.18 9.69
		14) National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)	9.69 1,162.78		783.78
		15) Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)	146.59	27.65	118.94
	F1 5 9	16) Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987) 17) Lakshmi Commercial Bank Ltd., Delhi (198	7) 3,340.62	606.45	2,734.17
1		18) Hindustan Commercial Bank Ltd., Delin (18	L, 101.0.		2,048.90
1	*	19) United Industrial Bank Ltd., (1990)		97.89	3,501.58 208.45
		20) Traders Bank Ltd., (1990)	306.34 1,078.36		1,070.03
		21 Rank of Thaniavur Ltd., (1990)	764.50)	764.50
		22) Bank of Tamilnad Ltd., (1990) 23) Parur Central Bank Ltd., (1990) 24) Purbanchal Bank Ltd., (1991)	260.9 725.7	2 37.66	223.26 725.7
		Total: 'C	13,516.5	3 1,322.88	12,193.6
		Total 'A' + 'B' + 'C		1,388.53	12,193.6

ANNEXURE - VI (Contd.)

 				3.	4.	5.
 1.			2.			~
11.	CO-	OPE	ERATIVE BANKS			
	i)	Part	iculars relating to banks in respect of which Corporation has been reimbursed in full		1.84	++
	\$\$		Malvan Co-op. Urban Bank Ltd., Malvan (1977)	1.86	1.04	
	%	10.5	Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd.,	70	10.72	+++
	,,	_0,	Bombay (1978)	10.72	10.72	
			Total : 'D'	12.58	12.56	
	::\	D-4	iculars relating to banks in respect of which			
	11)	the (Corporation has not been reimbursed in full			
		27)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 70		5.73
	•	,	Bombay (1976)	5.73		3.70
	@ 2	28)	Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd.,	0.70		2.76
			Bombay (1977)	2.76		2.70
	@ 2	29)	Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd.,	0.60		0.60
			Bombay (1978)	0.60		0.00
	*	30)	Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd.,	40.40	11.94	34.49
			Ratnagiri (1978)	46.43	5.60	5.97
		31)	Vishwakarma Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	11.57	5.00	5.57
	*	32)	Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd.,	7.00	2.06	3.96
			Bombay (1979)	7.02	3.06	9.86
		33)	Kalavihar Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	13.17	3.31	9.00
	@	34)	Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd.,	0.00		2.30
			Ramdurg (1981)	2.30	10.05	78.36
		35)	Vysya Co-op. Bank Ltd., Bangalore (1982)	91.31	12.95	
	@		Dadhich Sahakari Bank Ltd., Bombay (1984)	18.51	13,37	5.14
	@		Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd., Kollur (1985)	13.96		13.96
	@		Adarsh Co-op. Bank Ltd., Mysore (1985)	2.74	0.65	2.09
	* ;	39)	Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank			
			Ltd., (1986)	4.85	3.45	1.40
	@	100	Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Gadag (1986)	22.85	6.50	16.35
	@		Manihal Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Manihal	(1987) 9.61	2.28	7.33
	@	42)	Hind Urban Co-op. Credit Bank Ltd.,			- No. 100 No.
	_		Lucknow (1988)	10.95	200 m	10.95
	@	43)	Yellamanchilli Co-op. Urban Bank Ltd.,			
	_		Yellamanchilli (1990)	4.36		. 4.36
		44)	Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd., Gurzala (1991)	3.89		3.89
	1000	45)	Kundara Co-op. Urban Bank Ltd., (1991)	17.37		17.37
	@	46)	Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-op.			
			Bank Ltd., (1991)	17.44		17.44
	@	47)	Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd., (1991)	0.72		0.72
			Total: 'E'	308.14	63.11	245.03
			Total: 'D' + 'E'	320.72	75.67	245.03
	15		Total : 'A' to 'E'	13,912.87	1,464.20	12,438.68

ANNEXURE - VI (Contd.)

- \$ Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India.
- * Scheme of amalgamation.
- @ Banks taken into liquidation.
- @@ Balances aggregating Rs. 9.97 lakhs have been written off. These include a sum of Rs. 0.10 lakh not paid but only provided for.
 - + Scheme of arrangement.
- ++ Provision of Rs. 0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.
- +++ Provision of Rs. 2.07 lakhs made in respect of untraceable depositors written back.
- \$\$ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1984.
- % The bank was voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1987.

Notes: (a) The figures of claims given above are after effecting adjustments.

(b) Figures given within brackets dehote prohibited liabilities in respect of Pakistani Nationals.

73.24

ANNEXURE - VII

CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL BORROWERS AS ON 31 MARCH 1992

Name of the Guarantee Scheme	ntee					()/	Credit institutions joined (+)/withdrawn ()/ceased () during the period April 1991 March 1992					Total number of participants as on 31 March 1992				
пеше	Comml. Banks	RRBs.	Co-op. Banks	SFCs	Total	Comml. Banks	RRBs.	Co-op. Banks	SFCs	Total	Comml. Banks	RRBs.	Co-op. Banks	SFCs	Total	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
nall Loans Gua- ntee Scheme, 197	1 64	194			258	(-)8	(-)1			(-)9	56	193			249	
nall Loans nancial Corpo- ions) Guarantee neme, 1971 £				2	2	-	į -		(-)2	(-)2			<u>.</u>		•	
rvice Cooperative cieties Guarantee neme, 1971 £	48	70	32		150		· -		(FF)	,	48	70	32	, 	150	
all Loans operative Credit seties) Guarantee eme, 1982 £	_			, 									·.	·		
all Loans -op. Banks) arantee								,			,					
all L -op. arant	oans Banks)	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	oans Banks) ee	

[£] These schemes have been terminated with effect from 1 April, 1992

ANNEXURE - VIII

NAMES OF CREDIT INSTITUTIONS WITHDRAWN / ALLOWED TO OPT OUT FROM THE LIST OF PARTICIPATING CREDIT INSTITUTIONS DURING THE YEAR 1991-92

Sr. No.	Name of the Institution
	Small Loans Guarantee Scheme, 1971
1.	Bharat Overseas Bank Ltd.
2.	American Express Bank Ltd.
3.	Bank of America National Trust & Savings Association
4.	Bank of Tokyo Ltd.
5.	Banque Nationale De Paris
6.	Citibank N.A.
7.	ANZ Grindlays Bank p.l.c.
8.	Oman International Bank S.A.O.G.
9.	Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank
	Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971
1.	Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
2.	West Bengal Financial Corporation
	Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984
1.	Veraval Mercantile Co-operative Bank Ltd.
2.	Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd.
3.	Koduvayur Co-operative Urban Bank Ltd.
4.	Arni Co-operative Town Bank Ltd.

ANNEXURE - IX

SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES

(Amount in crores of rupees)

Scheme/Category of borrowers					As at th	end of Jur	10			As at the			% to the total in
	1972	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	olumn 13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) £	(12) £	(13)	(14)
SMALL BORROWERS													
(A) SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR													
I. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	205.71	3546.24	4819.77	5736.44	7045.38	8842.29	10345.10	10998.22	14145.67	25562.68	27676.73	29166.66	99.95
i) Farmers & Agriculturists	134.67	2267.52	3041.59	3594.84	4181.98	5057.75	6020.34	6428.29	8504.48	10542.04	18565.55	19788.04	67.82
ii) Transport Operators	28.29	477.56	731.31	937.68	1239.58	1510.21	1606.00	1664.73	1665.58				
III) Retail Traders	28.34	398.86	511.83	574.80	709.84	972.45	1191.85	1257.99	1795.38				
(v) Professional & Self-employed persons	9.14	165.66	199.12	240.76	326.94	484.88	656.56	700.15	964.99	14519.56\$	8727.03\$	8973.00\$	30.74
v) Business Enterprises	5.27	150.08	209.70	239.62	322.51	473.42	609.51	694.64	923.18				
vi) Residual category of borrowers under the									,				
Differential Rate of Interest Scheme		86.56	126.22	148.74	264.53	343.58	260.84	252.42	292.06	501.08	384.15	405.62	1.39
II. Small Loans (Financial Corporations)													
Guarantee Scheme, 1971	2.56	10.89	18.58	35.64	52.68	69.24	85.19	92.28	108.68	2.70	4 17	•	
i) Transport Operators	2.35	10.33	18.35	35.40	52.28	68.93	84,88	91.97	108.36	2.70	4.14	•	
ii) Business Enterprises	0.21	0.56	0.23	0.24	0.40	0.31	0.31	0.31	0.32		0.03		
III. Service Co-operative Societies													
Guarantee Scheme, 1971	0.12	1.32	1.53	1.75	0.50	0.72	0.72	0.72	1.84	0.20	0.44	0.39	
IV. Small Loans (Co-operative Banks)													
Guarantee Scheme, 1984	-		-		5.69°	10.76	14.96	25.00	35.19	20.70	10.98	13.77\$	0.0
i) Transport Operators		7.4			1.84	3.63	5.49	8.54	13.31	1			
ii) Retall Traders			•		2.64	4.51	5.53	7.67	8.51	ļ			
iii) Professional & Self-employed persons		•			1.05	1.55	1.87	4.08	6.74	20.70\$	10.98\$		
iv) Business Enterprises					0.16	1.07	2.07	4.71	6.63	J			
TOTAL OF L II, III & IV :	208.39	3558.45	4839.88	5773.83	7104.25	8923.01	10445.97	11116.22	14291.38	25586.26	27692.32+	29180.82+	100.0
		, 4											
SI BORROWERS													
SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR													
V. Small Loans (Small-Scale Industries)													*
Guarantee Scheme, 1981													
All SSI Units Including cottage									.0.107.5		10000 01	17000 00	
industries etc.	•	3716.43@	3822.13	4153.73	4890.86	5843.69	7497.46	7738.03	10464.66	14094.00	16826.21+	17362.36	
GRAND TOTAL (A) + (B):	208.39	7274.88	8662.01	9927.56	11995.11	14766.70	17943.43	18854.25	24756.0	39680.26	44518.53	46543.18	٠

@ As on 31 March 1981

- As on 31 December 1984
- £ Due to non-receipt of statements from several participating credit institutions the figures furnished in these columns have been estimated on the basis of (i) actual receipt of remittances towards guarantee fee during the year (ii) priority sector advances port-folio of Public Sector Banks, as reported to Reserve Bank of India.
- \$ The sector-wise break-up of guaranteed advances is not available.
- Consequent on allowing credit institutions to exclude certain categories of advances from priority sector advances for the year 1990-91 and 1991-92, the revised figures of guaranteed advances as at 31 March 1990 and 1991 would be provisionally Rs. 35851.33 and Rs. 37410.16 crores respectively.

ANNEXURE - X

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of rupees) Claims received Claims disposed of Of the claims disposed of (vide Columns 4 & 5) Claims pending Period Claims paid Claims withdrawn Claims rejected at the end of the vear No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 8 13 381 0.23 Upto end of 1977 21,638 6.70 12,410 3.30 11,606 2.94 423 0.13 8.76 14,623 3.34 13,825 3.03 407 0.07 391 0.24 29,925 During 1978 0.85 25,739 6.95 23,930 5.69 1,054 0.41 755 11.30 During 1979 39,535 0.62 47,481 7.20 45,303 6.50 1.964 83.557 14.90 214 0.08 During 1980 1.77 16.25 74.030 11.14 72,216 9.08 582 0.28 1.232 During 1981 1,00,669 1.43 14.50 1,02,141 12.49 1,369 0.59 2,003 1.50.926 24.71 1,05,513 During 1982 1.18 27.84 1,27,714 19.64 1,23,202 17.94 1,643 0.52 2.869 1,47,474 During 1983 0.88 61.71 2,36,625 32.09 2,28,419 30.99 741 0.22 7.465 2,54,692 During 1984 3,36,663 71.80 10,178 0.68 4.66,611 114.45 1,19,770 41.97 4.53,722 114.91 During 1985 4,84,852 1,47,419 87.18 11.819 2.35 6,44,090 176.39 86.86 140.94 6,30,365 During 1986 24,994 6.42 7,42,061 141.92 25 0.07 7,67,080 148.41 10,71,221 255.27 During 1987 12,60,266 272.29 515 0.11 30,164 8.21 364.08 12,90,945 280.61 During 1988-89 15,28,391 (15 months) 1.209 0.30 25.193 7.70 15.98.791 346.58 15,72,389 338.58 15.03.349 355.75 During 1989-90 4.202 1.42 19,00,904 427.17 18,62,697 415.35 34.005 10.40 505.05 20,87,562 During 1990-91 133,35 1.591.77 68,79,570 1,415.46 2,79,573 1,53,413 42.96 7,87,470 73,12,556 1,908.17 316.40 81,00,026 Sub-Total 'A' During 1991-92 15,39,546 345.03 4,411 1.52 47,032 360.05 13.50 16,52,074 409.96 15,90,989 i) SLGS, 1971 7 0.02 10 0.06 18 0.08 1 II) SL (FC) GS, 1971

'A' + 'B' Negligible.

iii) SL (Co-op.

Sub-Total 'B'

(i) + (ii) + (iii)GRAND TOTAL

Banks) GS, 1984

@ Includes provisional figures of January 1992 - March 1992.

16,52.076

97,52,102

2

0.01

409.97

2,318.14

1.	To	be	pro	cess	рđ	
2.	Pro	ces	bea	and	to	b

be settled for want of clarification

21

15,39,574

84,19,144

21

15,91,028

89.03.584

0.01

360.14

1,951.91

0.01

345.06

1,760.52

--

1.58

134.93 2,00,446

4,421

2,83,994

Break-up o	f pending claims
Number	Amount
	(Rs. crores)
3,10,500	74.83
5,38,018	291.40
8,48,518	366.23

47,033

13.50

56.46 8,48,518

366.23

ANNEXURE - XI

SECTOR-WISE BREAK UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES
RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of rupees) Category of borrowers Total claims received Claims received during % to total Total upto % to total No. upto 31 March 1991 1991-92 amount in 31 March 1992 amount in Amount Number Amount Number Amount column (6) Number column (9) (3 + 5)(4 + 6)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1085.85 46.84 Farmers & Agriculturists 40,74,322 939.16 7,04,833 146.69 35.78 47,79,155 42.96 3,87,638 276.27 11.92 **Transport Operators** 3,24,658 233.31 62,980 10.48 140.91 34.37 21,15,762 555.46 23.96 414.55 5,05,091 Retail Traders 16,10,671 4 . Professional & Self 8.12 188.11 150.83 1,46,170 37.28 9.09 9.00.899 **Employed Persons** 7,54,729 5.83 135.04 102.28 1,32,487 32.76 7.99 6,20,149 4,87,662 **Business Enterprises** Residual category of borrowers 3.21 74.50 8.08 1.97 9,29,922 92,641 under DRI Scheme 8,37,281 66.42 Credit facilities for 7. consumption and for purchase or construction of 18,577 2.91 0.12 0.32 7,874 1.29 1.62 houses or tenaments 10,703 2318.14 100.00 97,52,102 409.97* 100.00 16,52,076* 81,00,026 1908,17 Total

^{*} Includes provisional figures of January 1992 - March 1992.

ANNEXURE - XII

CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981 AS ON 31 MARCH 1992

		Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981							
Category of credit institution	Government's Credit Guarantee Scheme for SSI (since cancelled) as on 31 March 1981	Credit institutions participating as on 31 March 1991	Credit institutions joined (+), withdrawn or deleted (-) during the year 1991-92	Credit institutions participating as on 31 March 1992					
1	2	3	4	5					
State Bank of India and its subsidiaries	8	. 8		8					
2. Nationalised Banks	20	20		20					
3. Other Scheduled Commercial Banks	44	30	(-) 2	28					
4. Non-Scheduled Commercial Banks	2			v					
Regional Rural Banks State Financial Corporations	34 18	144	(+) 8 · (-) 1 (-) 1	151 ·					
7. Other State Development Agencies	5 ;	3	(-) 2	1					
8. Co-operative Banks	197	165	(+) 5 (-) 21	149°					
Total	328	371	(+) 13 (-) 27	357					

*State Co-op. E	Banks	•	4
Central Co-op.	Banks		79
Primary Urban	Co-op.	Banks	66
		Total	149

ANNEXURE - XIII

SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

Names of credit institutions defaulted in remittance of the guarantee fee and opted out of the Scheme during the year 1991-92

I. State Financial Corporations

West Bengal Financial Corporation

II. Other Development Agencies

- 1. Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
- 2. Tripura Industrial Development Corporation Ltd.

III. Regional Rural Banks

Chindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank

IV. Co-operative Banks

- 1. Indore Cloth Market Co-operative Bank Ltd.
- 2. Jalgaon D.C.C. Bank Ltd.
- 3. Sahyog Co-operative Bank Ltd.
- 4. Sangli Janata Sahakari Bank Ltd.
- 5. United Mercantile Co-operative Bank Ltd., Nadiad
- 6. Veraval People's Co-operative Bank Ltd.
- 7. Basoda Nagarik Sahakari Bank Ltd.
- 8. The Amalner Co-operative Urban Bank Ltd.
- 9. Parsik Janata Sahakari Bank Ltd.
- 10. Janakalyan Sahakari Bank Ltd.
- 11. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Chhatrapur.
- 12. The Pratap Co-operative Bank Ltd.
- 13. Imphal Urban Co-operative Bank Ltd.
- 14. Mettupalayam Co-operative Urban Bank Ltd.
- 15. The Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd.
- 16. The Arni Co-operative Town Bank Ltd.
- 17. Veraval Mercantile Co-operative Bank Ltd.
- 18. Janata Commercial Co-operative Bank Ltd., Akola.
- 19. North Kanara Gaud Saraswat Brahmin Co-operative Bank Ltd., Girgaum.
- 20. Pravara Sahakari Bank Ltd., Shrirampur.

V. Other Scheduled Commercial Banks

- 1. Bharat Overseas Bank Ltd.
- 2. Algemene Bank Nederland NV.

Annexure - XIII (contd.)

Names of credit institutions joined the Scheme during the year 1991-92.

I. Regional Rural Banks

- 1. Aravali Kshetriya Gramin Bank
- 2. Allahabad Kshetriya Gramin Bank
- 3. Golconda Gramin Bank
- 4. Kapurthala-Firozpur Kshetriya Gramin Bank
- 5. Magadh Gramin Bank
- 6. Mewar Anchalik Gramin Bank
- 7. Prathama Bank
- 8. Ranchi Kshetriya Gramin Bank

II. Co-operative Banks

- 1. Surat District Co-operative Bank Ltd.
- 2. Coimbatore District Central Co-operative Bank Ltd.
- 3. Navsari People's Co-operative Bank Ltd.
- 4. Bijapur Sri Siddheshwar Urban Co-operative Bank

ANNEXURE - XIV

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIES

(Amount in crores of rupees)

					*			Of the claims	s disposed of			Claims	pending
Period		Claims	s received		disposed of		Claims Paid		Claims withdrawn		ms cted	as at the end of March 1992	
	•	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	t 'A' Corporation's Small Loans I) Guarantee Scheme, 1981	3			×			=					***************************************
	April 1981 to December 1981	1,308	1.74			_	, -		-	-	•	1,308	1.74
1 31	January 1982 to December 1982	4,013	9.40	3,105	2.13	1,542	0.37	1,537	1.72	26	0.04	2,216	9.01
1 31		9,325	32.58	7,328	12.93	5,184	3.43	2,066	9.00	78	0.50	4,213	28.66
1 31		18,300	53.98	9,522	13.73	7,855	9.91	1,610	2.92	57	0.90	12,991	68.91
1 31		22,048	71.99	22,791	25.08	18,264	12.06	4,116	11.61	411	1.41	12,248	115.82
1 31	January 1986 to December 1986	33,723	104.92	30,299	67.07	19,695	24.10	10,261	40.30	343	2.67	15,672	153.67
1	January 1987 to December 1987	44,711	131.68	40,206	88.16	38,099	69.09	1,580	8.26	527	10.81	20,177	197.19
	January 1988 to March 1989	93,716	216.90	81,351	156.56	67,002	92.78	13,542	48.54	807	15.24	32,542	257.53
	April 1989 to March 1990	74,894	192.58	1,01,579	368.08	82,046	169.96	16,971	126.85	2,562	71.27	5,857	82.0
	April 1990 to March 1991	83,809	243.71	76,148	249.25	65,694	131.81	8,968	71.53	1,486	45.91	13,518	76.4
	April 1991 to March 1992	78,447	217.26	80,510	255.67	66,728	117.23	12,825	106.83	957	31.61	11,455	38.0
	Total	4,64,294	1,276.74	4,52,839	1,238.66	3,72,109	630.74	73,476	427.56	7,254	180.36	*	

ANNEXURE - XIV (Contd.)

	10.0000 1000				-		Of the clair	ns disposed	of .		Claim	s pendir
Period	Claims	received	Claims	disposed of		laims Paid		laims ndrawn		laims jected	as a	at the end larch 199
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amou
1	2	3	4	5	6	. 7	8	9	10	11	12	1
Part 'B' Government's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Since cancelled)				*								
Claims pending as on 1 April 1981 (Taken over from Reserve		œ				,				*		
Bank of India)	30,826	98.18		*-				*				
1 April 1981 to 31 December 1981	13.911	20.56	5,447	10.69	4,225	6.54	462	1.94	760	2.21	39,290	108.05
1 January 1982 to 31 December 1982	10,447	20.53	20,445	24.43	16,936	14.62	2,309	5.57	1,200	4.24	29,292	104.15
1 January 1983 to 31 December 1983	7,878	20.08	19,469	26.78	16,394	16.28	1,734	7.23	1,341	3.27	17,701	97.45
1 January 1984 to 31 December 1984	7,921	16.50	18,262	33,53	10,214	21.32	5,496	8.33	2,552	3.88	7,360	80,42
1 January 1985 to 31 December 1985	5,259	14.07	8,597	31.96	5,325	12.92	3,085	17.24	187	1.80	4,022	62.53
1 January 1986 to 31 December 1986	4,914	14.90	6,903	42.10	3,965	14.32	2,480	22.07	458	5.71	2.033	35.33
1 January 1987 to 31 December 1987	4,870	17.39	5,601	33.81	4,849	26,32	584	3.84	168	3.65	1,302	18.91
1 January 1988 to 31 March 1989	10,820	24.20	8,186	20.70	6,788	11.39	841	4.83	557	4.48	3,936	.22.41
1 April 1989 to 31 March 1990	1,014	6.04	4,342	20.29	2,956	6.96	663	5.76	723	7.57	608	8.16
1 April 1990 to 31 March 1991	1.042	3.34	1,620	10.61	1,169	4.33	293	3.33	158	2.95	30	0.89
1 April 1991 to 31 March 1992	202	3.16	232	4.05	168	2.61	8	0.12	56	1.32	_	,
Sub-Total	68,278	160.77	99,104	258.95	72,989	137.61	17,955	80.26	8,160	41.08	-	
Total	99,104	258.95	99,104	258.95	72,989	137.61	17,955	80.26	8,160	41,08	-	

11 4000 100

ANNEXURE - XV

31.01

STATEMENT SHOWING AMOUNT-WISE RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS DURING THE YEAR 1991-92 UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of rupees)

	Claims for amount	Claims pe		Rece	The state of the s		Disp	osal durir	g the year			Total disp			pending on
	_	31 March	3.5	the ye	•	Pai	d	Withd	ran	Reject	ed	year			ch 1992
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
					(e)	V ?			•	V .					
1.	Upto Rs. 25,000/-	11,265	9.34	68,425	46.57	61,120	42.77	8,156	6.56	324	0.32	69,600	49.65	10,090	6.26
							. *					<i>.</i>			,
2.	Above Rs. 25,000/- and upto Rs. 1.00 lakh	1,043	5.83	5,997	26.27	3,763	16.01	2,323	11.56	163	0.83	6,249	28.40	791	3.70
		* 1	*	*			*								
3.	Above Rs. 1.00 lakh and upto Rs. 5.00 lakhs	697	15.76	3,154	69.14	1,531	31.51	1,764	40.65	204	5.04	3,499	77.20	352	7.70
	About Do E 00 lokbo	513	45.56	871	75.28	314	26.94	582	48.06	266	25.42	1,162	100.42	222	20.42
4.	Above Rs. 5.00 lakhs	010	40.00		70.20	014	20.04	, 002	10.00	200		.,,			
															
	Total	13,518	76.49	78,447	217.26	66,728	117.23	12,825	106.83	957	31.61	80,510	255.67	11,455	38.0

ANNEXURE - XVI

STATEMENT INDICATING THE SCHEME-WISE BREAK-UP OF GUARANTEE FEE RECEIVED DURING THE YEARS 1981 TO 1991-92

	Scheme	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988-89 (15 months)	1989-90	1990-91	1991-9
1.	Small Loans Guarantee Scheme, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56	101.51	389.32	331.90	351.44
2.	Small Loans (Financial Corporations)						*					*
۷.	Guarantee Scheme, 1971	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39	0.33	0.12	0.06	
3.	Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971	٠		٠	•	•	•			0.01	0.01	0.01
					v							
4.	Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	-	-	·	0.01	0.03	0.09	0.14	0.26	0.31	0.16	0.20
										*		
5.	Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	16.87	27.09	35.22	39,85	46.51	57.61	65.08	89.79	204.07	192.59	214.23
-	Total	40.21	57.67	71,17	87.91	105.66	127.25	145.17	191.89	593.83	524.72	565.88

*	1981		. •	Rs.	39,000/-	
	1982		-	Rs.	73,000/-	
	1983		-	Rs.	14,000/-	
	1984		-	Rs.	25,000/-	
	1985			Rs.	5,000/-	
	1986		•	Rs.	1,000/-	
	1987		-	Rs.	7,000/-	
19	88-89		•	Rs.	58,000/-	

ANNEXURE - XVII

INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1992

(Amount in crores of rupees)

			Dep	osit Insur	ance Fur	nd	Cred	dit Guara	ntee Fun	d		Gener	al Fund	1.50
Sr. No.	Particulars	RBI Purchase rate %	Face value	Book value	Value as per RBI rates	% of value to Book value	Face value	Book value	Value as per RBI rates	% of value to Book value	Face value	Book value	Value as per RBI trates	% of value o Book value
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A) Securitie	es which have deprecia	ated												
	2% Loan 2003	69.40	-		-		2.66	2.66	1.85	69.55	_	_	-	
2. 6 ³ /	% Loan 2006	63.90	14.29	14.28	9.13	63.94	2.42	2.43	1.55	63.79	2.15	2.15	1.37	63.72
	% Loan 2007	61.25				X 50000445 €	1,12	1.12	0.69	61.61	2.10	2.10	1,57	03.72
	6 Loan 2009	61.85	34.63	34.66	21.42	61.80	6.00	6.01	3.71	61.73	0.05	0.05	0.03	60.00
	2% Loan 2010	64.90	41.29	39.50	26.80	67.85	11.28	11.13	7.32	65.77	5.88	5.84	3.81	65.24
	Loan 2011	68.15	69.12	60.44	47.10	77.93	59.91	59.35	40.83	68.80	6.80	6.24	4.64	74.36
192	% Loan 2010	73,50	0.78	0.78	0.58	74.36	3.00	3.00	2.20	73.33	=	-	-	
	Loan 2013	77.50	39.48	38.48	30.60	79.52	61.65	60.76	47.78	78.64	15.00	15.02	11.62	77.36
	% Loan 2008	79.50	6.02	5.92	4.79	80.91	17.17	17.04	13.65	80.11	0.65	0.65	0.52	80.00
	Loan 2014	85.00	45.77	45.62	38.90	85.27	33.05	33.06	28.09	84.97	12.00	12.02	10.20	84.86
The second secon	% Loan 2012	87.20	13.41	13.42	11.69	87.11	26.17	26.20	22.82	87.10	10.26	10.27	8.95	87.15
	% Loan 2014	89.05	21.52	21.51	19.17	89.12	34.45	34.45	30.68	89.06	7.39	7.38	6.58	89.16
	% Loan 1996 (II)	99.80	9.11	9.16	9.09	99.24	25.00	25.00	24.95	99.80	-	1-	-	
	% Loan 2009	93.80	17.60	17.87	16.51	92.39	102.38	102.42	96.03	93.76	-	-		
The Market Committee of the Committee of	% Loan 2006	95.95	85.28	86.47	81.83	94.63	20.57	20.57	19.74	95.96	2.00	2.00	1.92	96.0
	% Loan 2007	94.35	(-	*			-		-	-	0.03	0.03	0.03	100.0
	% Loan 2008	93.90	3.85	3.85	3.62	94.03	-	-	-	9	2.00	2.00	1.87	93.5
	% Loan 2009	93.80	92.00	92.00	86.30	93.80	-			-	N a	-	(1 44))	
	% Loan 2015	96.65	87.12	87.14	84.20	96.63	100	1	-	•	11.10	11.12	10.73	96.4
	% Loan 2011 (I)	92.95			## Description	-	70.00	68.60	65.06	94.84	-	-		
	% Loan 2011	92.95	81.32	80.36	75.59	94.06	8.68	8.42	8.07	95.84	=	•		
	Loan 2011 (I)	unquoted	25.00	25.00	25.00	100.00	-	•	•			-	-	
	Loan 2011 (II)	,"	50.00	50.00	50.00	100.00	150.00	150.00	150.00	100.00		-	1	19
24. 12%	Loan 2011 (III)	"		₩.	2.0	:=	100,00	100.00	100.00	100.00	-	-		
25. 12%	Loan 2011 (III)		.		, ···		10.00	10.05	10.05	100,00			15	
Total	I 'A'		737.59	726.46	642.32	85.93	745.51	742.27	675.07	83.23	75.31	74.77	62.27	82.
Securities	- s which have apprecial	ted	ŗ						9					Į.
5 ³ / ₄ % Loa		67.80	3.00	1.86	2.03	109.14	1,5							
J.,470 LOG														
Total	'B'		3.00	1.86	2.03	109.14	-	-	=		-		-	



ANNEXURE - XVII (Contd.)

	2	3	4	5	6	7	8	3 9	10	11	12	13	14	1
;)	Investment in Government o	f India 182 days	Treasury	Bills				3	*				*	
	Date of Maturity	Purchase rate												
	1. 3 April 1992	95.27		-	-	-		-			0.23	0.22	0.22	
	2do	98.0687	0.19	0.19	0.19	-		-		-		-	•	
	3do	98.3558	0.25	0.25	0.25		-	-				-	•	
	4. 1 May 1992	95,1346	-	_	4	-	-		-	-	0.46	0.44	0.44	
		95.1648	-		-	-	-	-		٠,-	0.09	0.09	0.09	
		95.2253	_	-	•	-	_	-		•	0.50	0.48	0.48	
	6do	95.3764	-		-	-	-		-	-	0.50	0.48	0.48	
	* *	97.2074	-		-	-	1.36	1.32	1.32	-	-	-	•	
	8. 15 May 1992	97.2596	0.29	0.28	0.28	-	0.21	0.21	0.20	-		-	•	
	9do	95.25	-	-	-	-	0.53	0.51	0.51	-	0.12	0.11	0.11	
	10do	95.25	-	-	-	-	1.20	1.14	1.14	-	-		, 9	
	11. 26 June 1992	95.9286	-	-	-	-	0.45	0.43	0.43	-		-	-	
	12do	96.1374	1.30	1.25	1.25		0.30	0.29	0.29		. 91	. •	-	
	13do	96.1635	2.40	2.31	2.31	-	-	•	•		-	•	•	
	14do	95.23	0.70	0.67	0.67	-	15.05	14.33	14.33		-	•	-	
	15. 10 July 1992	95.25	-	-	-	-	0.80	0.76	0.76	-	-	•		
	16do	95.2761	-		. =7	-	0.20	0.19	0.19		-		•	
	17do	95.3544	-	-	-	4	0.25	0.24	0.24		•	-	•	
	18do	95.3250	5.00	4.77	4.77		-	-	-		-	-	-	
	19. 7 August 1992	95.5250	1.94	1.85	1.85	-	44.06	42.09	42.09	•		-	*	
	20. 21 August 1992	95.45	; _	-		•	74.00	70.63	70.63		-	-		-
	21do	95.9000	1.05	1.00	1.00		1.95	1.87	1.87			•	-	-
	22. 4 September 1992	100000000000000000000000000000000000000												
	Total 'C'		13.12	12.57	12.57	-	140.36	134.01	134.00	•	1.90	1.82	1.82	
	Total 'A' + 'B' + 'C'		753.71	740.89	656.92		885.87	876.28	809.07	•	77.21	76.59	64.09	

	Depreciation in the value of Investments as on 31 March 1992	Existing provision as on 31 March 1991	Additional provision made
Deposit Insurance Fund	84.17	75.55	8.62
Credit Guarantee Fund	67.20	61.00	6.20
General Fund	12.50	12.00	0.50

Rates are as per RBI purchase and sale prices of Government of India Securities list as on 6 March & 30 March 1992.

	us Year		Denosi	t Insurance	Cred	it Guarantee
Deposit Insurance	Credit Guarantee	LIABILITIES		Fund		Fund
Fund	Fund		Rs. in	Rs. in	Rs. in	Rs. ir
Rs. in	Rs. in		lakhs	lakhs	lakhs	lakhs
lakhs	lakhs					
		1. Fund (Balance at the				75108.00
6541.00	49514.00	end of the year)		12246.00		70100.00
		Surplus Balance (as per		28278.23		-
27141.33		Revenue Account Annexed)		28278.23		•
		3. Investment Reserve :				
	2 8 10 2 2	Balance at the beginning	7554.61		6100.24	
7554.61	6100.24	of the year Add : Amount Provided	7554.01		*	
	les:	for during the year	862.38		619.97	
	· ,			. 0440.00		6720.22
7554.61	6100.24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8416.99		0,20.21
		Claims intimated and				
	00.05	Claims admitted				71.63
	38.25	but not paid 5. Estimated liability in				
		respect of claims intimated		•		
1818.76	35557.88	but not admitted		5096.62		37711.2
1010.70	33337.33	Insured deposits				
98.09	-	remaining unclaimed		82.64		
		7. Other Liabilities				
2233.98	9679.86	 Sundry Creditors 	1415.40		12633.56	
		ii) Credit Guarantee				
25859.49		Fund	27396.04			
		iii) Provision for	40040.00			
7411.00	-	Income-Tax	10619.00			•
35504.47	9679.86			39430.44	*	12633.5
7						
					* .	
				a a		
78658.26	100890.23	ar v		93550.92		132244.6
78008.20	100090.23			93030.92		132244.0

Notes: 1) As on the date of the Balance Sheet in respect of claims paid to depositors, the Corporation is entitled to receive by way of subrogation an amount of Rs. 12,438.72 lakhs (previous year Rs. 12,140.67 lakhs). The recovery against the same will be accounted for as per Corporation's past practice in the year it is received.

 No provision for losses have been provided for by the Corporation in case of the closure of Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. as the Corporation opines that the deposits are adequately covered by the assets of the Bank.

As per our report of even date attached.

FOR N. B. SHETTY & CO. Chartered Accountants

(R. JANAKIRAMAN) Chairman

(Ms. I. T. VAZ) Director

(N. B. SHETTY)
Partner
BOMBAY,
DATED: 24 JUNE, 1992.

CREDIT GUARANTEE CORPORATION and Credit Guarantee Corporation Act, 1961) Form 'A' of business on 31 March 1992 AND CREDIT GUARANTEE FUND

Previou							
Deposit	Credit	1		Depo	sit Insurance		Suarantee
Insurance	Guarantee	ASSETS			Fund ·	F	und
Fund	Fund		-		1		
Rs. in	Rs. in			Rs. in	Rs. in	Rs. in	Rs. in
lakhs	lakhs	* *		lakhs	lakhs	lakhs	lakhs
		Balance with					
		the Reserve		,			
4.93	553.05	Bank of India			27.32	1 4 4	405.97
4.55	555.05	2. Investments in			21.02		400.07
		Central Govt.					
67775.24	66543.63	Securities (at cost)			74088.86		87627.88
01113.24	00343.03				74000.00		07027.00
		D.I.	C.G.				
		Fund	Fund				
		Rs. in	Rs. in		×		
		lakhs	lakhs				
	0.00	Face					
	*		88587.43				
		Market	00001.10			2 4	
*			80907.67				
			THE SERVE AND A		0070.00		2575.12
2389.42	2140.96	Interest accrued on Inverse.	stments		2672.69		2373.12
		4. Other Assets		*			
		 Outstanding Premit 					
		Guarantee fees and					
		claims paid due fro	m Banks/			700 70	
86.51	355.62	Credit Institutions		117.31		730.79	
		ii) Outstanding interes	st on	•			
		overdue premium a	and				
1.47	85.61	guarantee fee		6.13		78.97	
,		iii) Amount paid towar	ds claims				
		remaining undisbur	sed with				
0.06		the liquidator of a b		0.06			
0.00		iv) Government of Ind	ia Credit				
		Guarantee Scheme	e (Old) for				
	47.24	Small Scale Indust		-		137.93	
=		v) Deposit Insurance		-		27396.03	
•	25859.49	vi) Income-tax deduct	ed at				
	5400 50	source		16638.55		13291.97	
8214.81	5128.50	superior and a company control of				-	
185.82	176.13	vii) Sundry Debtors	-		40700	, 	41005.0
8488.67	31652.59		^		16762.05		41635.6
					93550.92		132244.6
78658.26	100890.23					-	

2. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted in the Deposit Insurances Fund includes liability devolved on the Corporation on account of liquidation of Bank of Karad Ltd. to the extent of Rs. 4543 lakhs based on the insured deposits of the said bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank. The estimated liability bank as on 30 June 1991 in pursuance of the RBI letter dated 1 June 1992 intimating liquidation of the above bank.

Previous year's figures have been regrouped wherever considered necessary.

(T. S. LASCHAR) Director (B. D. SHAH) Director (V. MAHADEVAN)
Director

(R. L. WADHWA) Director

(KUM. U. S. BANERJEE)
Chief Accountant

Revenue Account for the

I. -- DEPOSIT INSURANCE FUND

Previou Deposit Insurance	us Year Credit Guarantee	EXPENDITURE		Insurance and		Guarantee und
Fund	Fund		Rs. in	Rs. in	Rs. in	Rs, ir
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs		lakhs	lakhs	lakhs	lakhs
3119.95	53429.44 38.25	To Claims (a) Paid during the year (b) Admitted but not paid	764.10 🖊		45091.52 71.63	
		Add: Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the			07741 05	
1818.76	35557.88	end of the year	5096.62		37711.25	
4938.71	89025.57	Less : Estimated liability in respect	5860.72		82874.40	
*		of claims intimated but not admitted at the			05557.00	
1027.97	28633.84	end of the previous year	1818.76		35557.88	
3910.74	60391.73	Add :	4041.96		47316.52	
		Excess provision written back (per contra)				
3910.74	60391.73	Net claims		4041.96		47316.5
00.0		To Provision for depreciation		862.38		619.9
	96.17	in the value of investment To Loss on sale of investment		804.26		286.9
	90.17	To Balance of Fund at the				
		end of the year (as per		12246.00		75108.0
6541.00 4633.11	49514.00	actuarial valuation) To Net Surplus carried down		5881.44		70100.0
15084.85	110001.90		,	23836.04		123331.4
-	3352.57	To Net Deficit brought down				1536.5
3352.57		To Transfer to Credit Guarantee Fund (per contra))	1536.54	90	
140.00		To Provision for Income-Tax F.Y. 1990-91		#		
		To Short Provision for				
1111.00 _		Income Tax F.Y. 1989-90 To Provision for				
-	_	Income-Tax 1991-92		3208.00		
27141.33		To Balance carried to Balance Sheet		28278.23		
		4			э	4500
31744.90	3352.57	TOTAL		33022.77		1536.5

Notes: 1 .Estimated liability for claims intimated out not admitted pertaining to Credit Guarantee Fund is arrived at after deducting from such claims in respect of Small Loans (Small Borrowers) Guarantee Scheme, 1971, a sum equal to 2.75 per cent and in respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, a sum equal to 43.92 per cent (previous year 2.28% and 39.04 % respectively) on account of usual rejections/withdrawals.

In case where statements of guaranteed advances were not received from the credit institutions the ad-hoc payments received from them towards guarantee fee have been taken to the Revenue Account.

In respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, provision has not been made either in respect of non-receipt
of guarantee fee or in respect of ad-hoc receipt of guarantee fee where the latter is considered inadequate.

As per our report of even date attached.

FOR N. B. SHETTY & CO. Chartered Accountants

(R. JANAKIRAMAN) Chairman

(Ms. I. T. VAZ)
Director

(N. B. SHETTY)
Partner

BOMBAY,

DATED: 24 JUNE, 1992.

CREDIT GUARANTEE CORPORATION 'B')

year ended 31 March 1992

AND CREDIT GUARANTEE FUND

	ıs Year						
Deposit	Credit		ъ				
Insurance	Guarantee	INCOME	Deposit	Insurance			Credit Guarant
Fund	Fund			Fund			Fu
Rs. in	Rs. in.		-				
lakhs	lakhs	A Comment of the Comm		Rs. in			Rs.
				lakhs		7	lak
· NIL	10510.00	By Balance of Fund					
MIL	40549.00	at the beginning of the year	4	6541.00			10511
8056.60		Dy Deposit Insurance Premia		0541.00			49514.
	¥ •• 7	(including interest on overdue premia)		9348.44			
	52471.91	By Guarantee Fee (including		٠.			
		interest on overdue guarantee fees) By Recoveries in respect of					56587
Sugar and Australia	,	Deposit Insurance claims					•
120.95	5530.96	settled/guarantee claims paid		ACC OF	_		
		By Excess provision for Deposit		466.05			5285
	••	Insurance claims written back (per cont	ra)				
6662.11	7963.70	By Income from	,				
0002.11	1963.70	Investments (Gross)		7480.55			10407
		Deposit Credi					
		Insurance Guarantee Fund Fund					
		Rs. in lakhs Rs. in lakhs					
		(Tax deducted at source 1248.82 1366.93		3			
		at source 1248.82 1366.93 Previous year 1568.26 1074.19			2		
		By Profit/Loss on sale/					
104.06		redumption of Investments					
		By Interest on refund of					
		Tax deducted at source					
141.13	133.76	for A.Y. 1989-90					
	3352.57	By Net Deficit carried down					1536
15084.85	110001.90		_	23836.04			123331
4633.11		Dy Not Curalia brancht dans	_				
27111.79		By Net Surplus brought down By Balance brought forward		5881.44			
27111.79		from last year		27141.33			• .
	. 8	By Transfer from Deposit					(*)
	3352.57	Insurance Fund (per contra)		·			1536
							1000
2 2.				2			
1.4.19							
31744.90	3352.57	TOTAL		33022.77			1536
31744.50	0002.01	10 mile		550EE.77			1536.

As per past practice, provision for depreciation on investments is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities. However, Rs. 33500.00 lakhs Government of India 12% Loan 2011 which was unquoted as on 31-03-1992 and depreciation for the same not being considered has since been quoted by the RBI @ Rs. 96.50 as on 06-06-1992. Hence, the depreciation of Rs. 1173.00 lakhs has not been provided for in the accounts.

96.50 as on 06-06-1992. Hence, the depreciation of Hs. 11/3.00 takns has not been provided for in the accounts.
5. The recovery on account of subrogation rights on settlement of claims under Credit GuaranteeFund which cannot be estimated will be accounted for as per the Corporation's past practice, in the year, it is received.
6. The Corporation has made necessary provision towards actuarial liability as worked out by an approved Actuary towards Credit Guarantee Fund and Deposit Insurance Fund on the fund balances at the close of the financial year ended 31 March 1992.
7. The Corporation has decided to refund guarantee fees in respect of cretain categories of advances. The liability on account of the same is estimated on ad-hoc basis at Rs. 8495.00 lakhs (Rs. 13,000.00 lakhs previous year).
8. Fund-wise allocation of Income tax provision for current year has been made after taking into account the previous year's deficit/ surplesse in the respective funds account.

surpluses in the respective funds account.

(T. S. LASCHAR) Director

(B. D. SHAH) Director

(V. MAHADEVAN) Director

(R. L. WADHWA) Director

Previous Year (Rs. in lakhs)		LIABILITIES	Rs. in lakhs		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
	1.	CAPITAL				
5,000.00		Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961.				5,000.00
	2.	RESERVES			i.e.	
		A) General Reserve		•		
1,820.22		Balance at the beginning of the year	1,694.03		i.	
		Add : Surplus transferred from Revenue Account	76.62			à-
126.19		Less : Deficit transferred from Revenue Account				
1,694.03		Balance at the end of the year			1,770.65	
		B) Investment Reserve				
1,199.70		Balance at the beginning of the year	1,199.70			
		Add : Amount provided during the year	50.54			
1,199.70		Balance at the end of the year			1,250.24	
22.51		C) Capital Reserve			22.51	
					100000000000000000000000000000000000000	
2.916.24						3,043.40
	3.	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				
303.49		Outstanding expenses	316.94		. *	
366.22		Sundry Creditors	0.54			
90.00		Provision for Income-tax	223.00			
759.71 -						540.48
8,675.95		TOTAL				8,583.88

Notes: (1) As per past practice, provision for depreciation in investments is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities.

As per our report of even date attached.

FOR N. B. SHETTY & CO. Chartered Accountants

(R. JANAKIRAMAN) Chairman


(Ms. I. T. VAZ) Director

(N. B. SHETTY)
Partner
BOMBAY,

DATED: 24 JUNE, 1992.

CREDIT GUARANTEE CORPORATION and Credit Guarantee Corporation Act, 1961) Form 'A' of business on 31 March 1992 FUND

Previous Year (Rs. in lakhs)		ASSETS	Rs. In lakhs	Rs. in lakhs
		* 2 * 1 * 1 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2		
	1.	CASH		
0.08		i) in hand	0.12	
6.51		ii) with Reserve Bank of India	4.99	
6.59				5.11
		*		
	2.	INVESTMENT IN CENTRAL		
7,822.48	۷.	GOVERNMENT SECURITIES (at cost)	,,	7,658.68
7,022.40		(Rs. in lakhs)		
		Face value 7,720.49 Market value 6,408.43		
		Market value 6,408.43		
			*	273.16
266.78	3.	INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS		2/3.10
			*	
	4.	OTHER ASSETS		
		a. Furniture, Fixture & Equipment		
26.80	1=0	less depreciation	23.20	
1.48		b. Stock of Stationery	1.49	
0.40		c. Pre-paid Expenses	2.70	
		d. Advances for expenses, Staff		
		Allowances receivable from		
		Reserve Bank of India and	41,50	
51.78		other deposits e. Income tax deducted at source	578.04	
499.64		e. Income lax deducted at source		
580.10				646.93
500.10				
		and the second s	As too a place terminant sees	0.500.00
8,675.95		TOTAL		8,583.88



(T. S. LASCHAR) Director (B. D. SHAH) Director (V. MAHADEVAN)
Director

(R. L. WADHWA) Director

(KUM. U. S. BANERJEE) Chief Accountant

Previous Year Rs. in lakhs)		EXPENDITURE	lakhs
		To Salaries and Allowances and contribution	663.07
693.84		to staff Provident Fund	17.72
27.02		To Contribution to Staff Pension and Gratuity Fund	0.01
		To Directors' & Committee Members Fees	
	9	To Directors' & Committee Members' travelling	0.15
0.06		& other allowances	79.49
85.29		To Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	11.90
9.48		To Establishment, Travelling and Halting Allowances	5.19
6.40		To Printing & Stationery	4.38
4.12		To Postage, Telegrams & Telephones	0.35
0.35		To Auditors' Fees	0.59
1.47		To Legal Charges	35.94
30.22	**	To Miscellaneous Expenses	4.42
5.24		To Depreciation	50.54
		To Provision for Depreciation on Investment	
**		To Provision for Income-tax for financial year 1991-92	133.00
		To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down	76.62
863.49		TOTAL	1,083.3
76.19		To Balance ^B/D	-
50.00		To Short provision for Income-tax for financial year 1989-90	-
12 12 13 1 To	4	To Balance being excess of income over expenditure transferred to General Reserve	76.6
126.19		TOTAL	76.6

Notes: (1) Government of India permitted the Corporation to retain recoveries in respect of claims paid account under Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) received/to be received upto 31 March 1986 and such recoveries are being accounted for in the Revenue Account of General Fund under Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. This year there is no such recovery. However, Government of India have allowed the Corporation to retain with it amounts (Rs. 304.12 lakhs) out of recoveries effected in claims paid account during the period 1 April 1986 to 31 March 1991 towards cost of establishment expenditure for managing the residual work for their scheme for Small Scale Industries (old) (Previous year nil)

As per our report of even date attached.

(1889) - A

FOR N. B. SHETTY & CO. Chartered Accountants


(R. JANAKIRAMAN) Chairman

(Ms. I. T. VAZ) Director

(N. B. SHETTY)
Partner
BOMBAY,
DATED: 24 JUNE, 1992.

CREDIT GUARANTEE CORPORATION 'B') year ended 31 March 1992 FUND

revious Year Rs. in lakhs)	INCOME	Rs. in lakhs
761.11	By Income from Investment (Gross) (Tax deducted at source Rs. 182.37 lakhs) (Previous year : Rs. 175.23 lakhs)	778.62
0.90	By Recoveries in claims paid account in Govt. of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old)	Control of
24.47	By Interest on Refund of Tax Deducted at source for Assessment year 1989-90	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0.82	By Miscellaneous Receipts	
76.19	By Balance being excess of expenditure over income carried down for the year	i kir owi Lie Massiro
		and refer the
863.49	TOTAL	1,083.37
126.19	By Balance being excess of expenditure over income transferred to General Reserve	estate to
	By Balance B/D	76.62
126,19	TOTAL	76.62



(3) The Corporation has a contingent liability in respect of Income Tax demand amounting to Rs. 4,86,09,388.00 for the Assessment year 1989-90, which is under appeal. However, the same has been adjusted by the Department against the Income Tax refund for the Assement year 1988-89.

(T. S. LASCHAR) Director (B. D. SHAH) Director (V. MAHADEVAN)
Director

(R. L. WADHWA) Director

(KUM. U. S. BANERJEE) Chief Accountant

AUDITOR'S REPORT

N. B. SHETTY & CO.

Chartered Accountants
14/2, Western India House,
Sir P. M. Road,
Bombay 400 001.
Tel.: 287 0588 / 0939 / 4140

We have audited the attached Balance Sheets of (i) the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation as at 31st March, 1992 and also the Revenue Accounts of the said funds annexed thereto for the year ended on that date and report that:

- i) we have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) the said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Accounts read with the notes thereon give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 in the manner as required and exhibit a true and fair view :

- a) in the case of the Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) General Fund of the State of Affairs of the said funds of the Corporation as at 31st March, 1992 and,
- b) in the case of the Revenue Accounts (i) of the surplus in the case of Deposit Insurance Fund and General Fund and (ii) of the deficit in the case of Credit Guarantee Fund of the Corporation for the year ended on that date.

For N. B. SHETTY & CO. Chartered Accountants

BOMBAY, DATED: 24th June, 1992. sd/-(N. B. Shetty) (Partner)



AN OUTLINE OF FUNCTIONS AND ACTIVITIES

INTRODUCTION:

- 1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly small depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public, contributes to the growth of the banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and consequent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.
- 1.2 The introduction of credit guarantee schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks. the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hesitation on the part of the credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.
- 1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions, the two organisations were merged in July 1978 and the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

DEPOSIT INSURANCE SCHEME:

Institutional coverage

 The Deposit Insurance Scheme was introduced with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits with all commercial banks (including Regional Rural Banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar coverage is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 87 co-operative banks in such of the States as have yet to pass the necessary legislation.

Extent of insurance cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits held by him in the same right and capacity in all branches of that bank upto a monetary ceiling of Rs. 30,000/-.

Insurance premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium at the rate of 4 paise per annum per hundred rupees. The premium is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost.

Payment of insurance claims

- 5.1 When a bank goes into liquidation the Corporation pays to every depositor, through the liquidator, the amount of deposits upto Rs. 30,000/-. When a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle the depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation pays to each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs. 30,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of reconstruction/ amalgamation.
- 5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of the rights of subrogation, recoveries effected by it from out of the assets of the insured bank in liquidation/amalgamation.





CREDIT GUARANTEE SCHEMES:

Extension of guarantee support

- 6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to certain specified categories of small borrowers and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. and continued by the Corporation, are intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending needbased credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.
- A credit guarantee scheme for small-scale in-6.2 dustries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organisation (Reserve Bank of India) had been in operation since July 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation. Accordingly, this scheme was cancelled by the Government of India in March 1981 and the Corporation, in its place introduced a new scheme with effect from 1 April 1981 covering advances to small scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising out of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as an agent of the Government. With the integration of the credit guarantee functions relating to smallscale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted to the priority sectors.
- 6.3 Effective from 1 April 1989 and pursuant to the recommendations of the Expert Committee, 1987 the scope of the credit guarantee schemes has been enlarged to cover the entire gamut of priority sector advances as defined by the Reserve Bank of India. However, since 1990-91, at the request of some participating credit institutions, the Corporation has allowed exclusion of certain categories of advances guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. from total priority sector advances for the purpose of payment of guarantee fee and consequently these advances ceased to get Corporation's guarantee cover.

Aims, Description and Coverage

- 7.1 Corporation's various credit guarantee schemes till end March 1992 were as indicated below:
 - (i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971.
 - (ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971.
 - (iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.
 - (iv) Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.
 - (v) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.
 - (vi) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.
- 7.2 The schemes at (ii), (iii) & (v) have been terminated with effect from 1 April 1992 on account of nil/negligible participation and persistent default in payment of guarantee fee by participants.
- i) The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on 1 April 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks to the priority sector (other than small scale industries) as defined by Reserve Bank and this includes farmers and agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons, and educational, housing and consumption loans.
- ii) The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from 1 April 1981 and it covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks, Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies to small-scale industrial units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.
- iii) The Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 covers credit facilities granted by eligible primary (urban)co-operative banks to the priority sector as defined by Reserve Bank, including activities allied to agriculture, road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans. All eligible licensed primary (urban) co-operative banks are as defined in clause (gg) of Section 2 of the DICGC Act,





1961 as well as eligible unlicensed primary (urban) cooperative banks recommended by the Reserve Bank of India as eligible, can participate in the Scheme.

The salient features of various schemes in operation are tabulated in the Annexure.

Guarantee fee:

8. The consideration for extension of the guarantee cover is the payment of guarantee fee at the stipulated rates calculated on the balances outstanding under the 'priority sector' advances (except certain specified categories) and paid yearly in advance by the credit institutions. The fee rate is 1.50 per cent per annum with effect from 1 April 1989. The Regional Rural Banks are, however, allowed to pay the fee at half the normal rate (i.e. @ 0.75 per cent per annum) for first five years from the date of their joining the Small Loans Guarantee Scheme, 1971. The fee is required to be paid regularly and in advance, on an annual basis in order to keep the guarantee in force.

Guarantee Cover - Key Characteristics

Automatic bulk coverage

9.1 The guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements with the Corporatioon and pay the fee regularly at the prescribed rates. The schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursal without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for covering each credit facility. Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

Benefit confined to 'Priority Sector' borrowers,

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers in the priority sector who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the

guarantee schemes, such as ceilings on amount of credit as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits have been placed on the Corporation's claim liability.

Invocation of guarantee

Five conditions have to be complied with before a claim under the guarantee can be preferred by a credit institution. These are (i) minimum period of 3 years has elapsed after grant of an eligible advance; (ii) the guarantee fee due has been paid on the entire priority sector advances outstanding as and when they became due; (iii) the advance under guarantee has not been repaid within one month from the date on which a notice of demand for repayment of the entire dues has been served on the borrower; (iv) the advance is treated by the credit institution as bad or doubtful of recovery and (v) it is provided or accounted for as such in the books of the credit institution. The Corporation would expect the credit institution to take effective steps against the borrowers, sureties and the securities wherever realisable before invoking the guarantee. The Corporation pays 60% or 50% of the 'amount in default', as the case may be, subject to certain absolute limits stipulated in the schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment of the claims, the claimant institutions are required to continue effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the right of subrogation. Credit institutions have been delegated the power to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action, compromise and scaling down of dues and writeoff in respect of cases falling below specified cut-off points. In all other cases, they are required to obtain the Corporation's prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.





ANNEXURE

CREDIT GUARANTEE SCHEMES - SALIENT FEATURES

Schemes	Eligible participants	Category of Borrowers	Guarantee fee	Guarantee cover
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A) SMALL BORROWERS (I) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	Commercial Banks (Including Regional Rural Banks)	(i) Transport Operators	1.5 per cent uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 0.75% p.a. for first five years of their joining this Scheme)	60% of the amount in default Rs. 1,50,000/- whichever lower.
	•	(ii) Retall Traders	do	60% of the amount in default Rs. 25,000/- whichever lower.
		(iii) Professional & self employed persons & Business Enterprises	do	60% of the amount in default Rs. 50,000/- whichever lower.
		(iv) Farmers & Agricultur- ists - Direct Finance 1) For raising crops	do	60% of the amount in default Rs. 10,000/- whichever lower.
		For developmental activities	do	60% of the amount in default Rs. 20,000/- whichever lower.
		3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances	do	60% of the amount in default Rs. 30,000/- (i.e. Rs. 10,000x whichever is lower.
		For allied activities i) Pisciculture	do	60% of the amount in default Rs. 37,500/- whichever lower.
		ii) Sericulture	do	60% of the amount in default of Rs. 18,750/- whichever is lower.
		ili) Animal Husbandry	do	60% of the amount in default of Rs. 15,000/- whichever is lower.
		iv) Poultry Farming		60% of the amount in default of Rs. 22,500/- whichever is lower.
		v) Dairy Farming		60% of the amount in default of Rs. 15,000/- whichever is lower.

(With overall celling of Rs. 60,000/- for more than one activity)





 (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(v) Indirect Finance to		
		agriculture		* - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		(As per RBI definition of	1.5 per cent uniformly to be	60% of the amount in default or
		priority sector except	calculated on outstanding	Rs. 60,000/- whichever is lower
		advances for construc-	priority sector advances as on	per borrowing constituent/
		tion and running of cold	31 March every year and col-	Institution.
		storage and to custom	lected annually (in case of	
		service units which will	RRBs the rate of guarantee fee	
		 be covered under Small 	is 0.75% p.a. for first five years	
		Loans (SSI) Guarantee	of their joining this Scheme)	
		Scheme 1981)		
		le le		
		(vi) Education	2	
		Credit facilities to	do	60% of the amount in default.
		individuals for educa-		
		tional purposes gran-		
		ted by eligible credit		
		institutions under		
		special schemes intro-		
		duced by them for the		
		purpose.		
		(vii) State Sponsored		
		Organisations for		
		SCs/STs		
		Advances sanctioned to	do	60% of the amount in default of
		State Sponsored		Rs. 60,000/- whichever is lowe
		Organisations for SC/		(per borrowing constituent
		ST for the specific		Institution).
		purpose of purchase		
		and supply of inputs to		
		and/or the marketing of		
		the outputs of the		
		beneficiaries of these		
7 2		organisations.		
		-		
		(viii) Housing-Direct		
		Finance		60% of the amount in default
		Loans upto Rs. 5,000/-	do	00% of the amount in delatin
		for construction of		
		houses granted to SC/		
		ST and the weaker		,
		sections of the society.		
		(ix) Housing-Indirect		
		Finance		76
		i) Assistance given to	do	60% of the amount in default
		any governmental	*	Rs. 60,000/- whichever is low
		agency for the		(per borrowing constituer
		purpose of		Institution).
		constructing houses		
	19.5	exclusively for the		
		benefit of SC/ST and		
		low-income groups		
		and where loan		
		component does not		
		exceed Rs. 5,000/-		
		per unit.		
		per unit.		× 1
		ii) Assistance to any	do	do
		government agency		
		for slum clearance		
		and rehabilitation of		
		slum dwellers sub-		
		ject to other condi-		
		tions specified.		
			2	
		(x) Consumption	-4-	60% of the amount in defa
ž.		Dura consumption	do	CON OF THE WHOOME IN COM
		loops granted under the	9	
		Consumption Credi	l .	
		Constitution	A-2	

	ANNEXURE - (Comd.)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
II) Small Loans (Co- operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	Primary Urban Co-op- erative Banks	i) Transport Operators	1.5 per cent uniformly to be cal- culated on outstanding priority sector advances as on 31 March, every year and col- lected annually.	60% of the amount in default or Rs. 1,50,000/- whichever is lower.			
		ii) Retall Traders	do	60% of the amount in default or Rs. 25,000/- whichever is lower.			
	*	iii) Business Enterprises & Professional & Self- employed persons	·do	60% of the amount in default or Rs. 50,000/- whichever is lower.			
		iv) Educational Loans	do	60% of the amount in default.			
		v) Consumption Loans to Individuals upto Rs. 500/-	do	do			
		vi) Housing Loans not exceeding Rs. 25,000/- to a) Individuals b) Government Agency	do do	60% of the amount in default. 60% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/insti- tution.			
	ž.			•			
		vii) Activities allied to Agriculture i) Pisciculture	do	60% of the amount in default or Rs. 37,500/- whichever is lower.			
		II) Sericulture	do	60% of the amount in default or Rs. 18,750/- whichever Is lower.			
		ili) Animal Husbandry	do	60% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower.			
		iv) Poultry Farming	do	60% of the amount in default or Rs. 22,500/- whichever is lower.			
		v) Dairy Farming	do	60% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower.			
		vi) Purchase of bullock carts, carnel carts, pack animals etc,	do	60% of the amount in default or Rs. 10,000/- whichever is lower.			
		/morall colli-	D- 00 0001 1	The state of the s			

(overall celling of Rs. 60,000/- for more than one activity)





	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
3)	SMALL SCALE IN	DUSTRIES			r	
	Small Loans (Small Scale In- dustries) Guaran- tee Scheme, 1981	Commercial Banks (including RRBs), Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies.	, t 1 1	Small Scale Industrial units (including ancilliary units) to whom credit acilities not exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate extended.	1.5 per cent uniformly to be cal- culated on, outstanding priority sector advances as on 31 March, every year and col- lected annually.	60% of the arnount in default or Rs. 20 lakhs (apportioned separately and equally viz. Rs. 10 lakhs for term loans and Rs. 10 lakhs for working capital) whichever is lower.
		4		Small Scale industrial	do	do
		(\	units in backward areas with credit facilities with out any limit.) .	
				Small Scale Industrial units (including ancilliary units) in other than backward areas having total credit facilities exceeding Rs. 2.00 lakhs.	do	50% of the amount in default of Rs. 20 lakhs (apportioner separately and equally viz. Rs 10 lakhs for term loans and Rs 10 lakhs for working capital whichever is lower.
			Indir	ect Finance to SSI		
		×	·	Agencies involved in as- sisting the decentralised sector in the supply of inputs and marketing of outputs of artisans, vil- lage and cottage indus- tries	do	(a) 60% of the amount default or Rs. 60,000 whichever is lower in re spect of credit facilities re exceeding Rs. 2 lakhs po borrowing constituent in the aggregate.
						(b) 50% of the amount in of fault or Rs. 60,000/- white ever is lower in respect credit facilities esceedings. 2 lakhs per borrowic constituent in the agg
			ii)	Government sponsored Corporation/organisations providing funds to the weaker section in the priority sector (provided they are not covered by Government or any other guarantee)	do	gate. do
			iii)	Loans for construction and running of cold storage.	do	60%/50% (as stated above) the amount in default or Rs. lakhs (Rs. 10 lakhs each working capital and term loa whichever is lower.
			iv)	Advances to custom service units managed by individuals, institutions or organisations who maintain a fleet of tractors, buildozers, well boring equipment, threshers, combines etc. and undertake work from farmers on contract basis	do	do
			v)	Industrial Estates Loans for setting up in- dustrial estates.		do

